

विषय सूची

| क्र. सं. | पैराग्राफ /अनुबंध सं. | ब्योरे |
|----------|-----------------------|---|
| 1 | 1 | प्रस्तावना |
| 2 | 1.1 | पूँजी |
| 3 | 1.2 | ऋण जोखिम |
| 4 | 1.3 | बाज़ार जोखिम |
| 5 | 2 | दिशानिर्देश |
| 6 | 2.1 | पूँजी के तत्व |
| 7 | 2.2 | बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी भार |
| 8 | 2.3 | क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए पूँजी भार |
| 9 | 2.4 | सहायक कंपनियों के लिए पूँजी भार |
| 10 | 2.5 | सीआरएआर की गणना की प्रक्रिया |
| 11 | अनुबंध 1 | टियर I पूँजी के भाग के रूप में बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) संबंधी दिशानिर्देश |
| 12 | अनुबंध 2 | नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों को शामिल करने की शर्तें |
| 13 | अनुबंध 3 | उच्चतर टियर II की पूँजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए पात्र होने के लिए ऋण पूँजी लिखतों पर लागू शर्तें |
| 14 | अनुबंध 4 | उच्चतर टियर II पूँजी के भाग के रूप में बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) पर लागू शर्तें |
| 15 | अनुबंध 5 | टियर - II पूँजी जुटाने हेतु बैंकों द्वारा गौण ऋण के रूप में गैर जमानती बांड जारी करने की शर्तें |
| 16 | अनुबंध 6 | विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए पूँजी भार |
| 17 | अनुबंध 7 | अवधि पद्धति |
| 18 | अनुबंध 8 | हारिजेंटल डिसअलाउंस |
| 19 | अनुबंध 9 | सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार |
| 20 | अनुबंध 10 | ऋण और बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार की गणना के उदाहरण |
| 21 | अनुबंध 11 | समेकित अनुदेशों और परिपत्रों की सूची |
| 22 | 3 | शब्दावली |

'पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड- बासल । ढाँचा' पर मास्टर परिपत्र

उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में यह निर्णय लिया कि बासेल समिति द्वारा निर्धारित पूँजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों के अनुसार भारत में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए पूँजी पर्याप्तता संबंधी उपाय के रूप में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जाये । इस परिपत्र में तुलन-पत्र आस्तियों, अनिधिक मर्दों तथा तुलन-पत्र से इतर अन्य निवेशों के लिए जोखिम भार तथा जोखिम भारित आस्तियों और अन्य एक्सपोज़र के योग के अनुपात के रूप में रखी जाने वाली न्यूनतम पूँजी निधियां और ट्रेडिंग बही की पूँजी अपेक्षा निरन्तरता के आधार पर निर्धारित की गयी है।

पिछले अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 11 में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों का समेकन किया गया है और उन्हें अद्यतन किया गया है।

प्रयोज्यता

सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों पर।

1. प्रस्तावना

इस मास्टर परिपत्र में ऋण और बाज़ार जोखिमों के लिए बैंकों द्वारा रखी जानेवाली पूँजी और पूँजी प्रभार के घटकों से संबंधित अनुदेशों को शामिल किया गया है। इसमें ऋण और बाज़ार जोखिम के लिए स्पष्ट पूँजी प्रभार के प्रावधान की चर्चा की गयी है तथा ट्रेडिंग बही में ब्याज दर से संबद्ध लिखतों के लिए, ट्रेडिंग बही में ईक्विटी के लिए तथा ट्रेडिंग और बैंकिंग दोनों बहियों में विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातु सहित) के लिए पूँजी प्रभार की गणना से संबद्ध मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग बही में व्यापार के लिए धारित संवर्ग में शामिल प्रतिभूतियां, बिक्री के लिए उपलब्ध संवर्ग में शामिल प्रतिभूतियां, खुली स्वर्ण स्थिति सीमा, खुली विदेशी मुद्रा स्थिति सीमा, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग स्थितियां तथा ट्रेडिंग बही के एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सहित अन्य डेरिवेटिव शामिल हैं।

1.1. पूँजी

पूँजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि बैंक के पास अपने कारोबार में जोखिम से उत्पन्न हानि को आत्मसात् करने के लिए स्थिर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त पूँजी होनी चाहिए। पूँजी को प्रत्येक पात्र लिखत की विशेषता/गुणवत्ता के आधार पर टीयरों (श्रेणियों) में विभाजित

किया गया है। पर्यवेक्षीय प्रयोजन से पूंजी को दो संवर्गों : टियर I और टियर II में विभक्त किया गया है। ये संवर्ग पूंजी के रूप में विभिन्न लिखतों की गुणवत्ता दर्शाते हैं। टियर I पूंजी में मुख्यतया शेयर पूंजी और प्रकट आरक्षित निधि शामिल है तथा यह बैंक की उच्चतम गुणवत्ता वाली पूंजी है क्योंकि यह हानि को आत्मसात् करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध है। दूसरी ओर टियर II पूंजी में कतिपय आरक्षित निधियां और अधीनस्थ ऋण के कुछ प्रकार आते हैं। टियर II पूंजी की हानि आत्मसात् करने की क्षमता टियर I पूंजी की अपेक्षा उच्चतर होती है। जब पूंजी निर्गमों के निवेशकों की आय पर बैंक द्वारा काउंटर गारंटी दी गई हो तो ऐसे निवेशों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए टियर I // विनियामक पूंजी नहीं माना जाएगा।

1.2. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को प्रायः बैंक के उधारकर्ता या काउंटरपार्टी द्वारा करार की शर्तों के अनुसार अपना दायित्व पूरा करने में चूक करने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उधारकर्ताओं या काउंटरपार्टियों की ऋण गुणवत्ता में कमी से संबद्ध हानि की संभावना है। किसी बैंक के संविभाग (पोर्टफोलियो) में ऋण देने, खरीद-बिक्री करने, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी ग्राहक या काउंटरपार्टी की असमर्थता या अनिच्छा के कारण हुई चूक से हानि हो सकती है अथवा ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या आभासित गिरावट से संविभाग में कटौती होने से हानि उत्पन्न हो सकती है।

अधिकांश बैंकों के लिए ऋण जोखिम के सबसे बड़े और सबसे स्पष्ट स्रोत ऋण हैं, परंतु बैंक की सभी गतिविधियों में ऋण जोखिम के अन्य स्रोत विद्यमान हैं, जिनमें बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही तथा तुलनपत्र की मदें और तुलनपत्रेतर मदें शामिल हैं। बैंकों के समक्ष ऋण के अलावा विभिन्न वित्तीय लिखतों अर्थात् स्वीकृतियां, अंतर बैंक लेनदेन, व्यापार वित्तपोषण, विदेशी मुद्रा लेनदेन, वित्तीय फ्यूचर्स, स्वैप्स, बांड, ईक्विटी, ऑप्शन में तथा गारंटियों में और लेनदेन के निपटान में ऋण जोखिम (या काउंटरपार्टी जोखिम) रहता है।

ऋण जोखिम प्रबंध का लक्ष्य बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोजर को स्वीकार्य पैमानों के भीतर रखकर बैंक की जोखिम समायोजित प्रतिफल दर को अधिकतम करना है। यह आवश्यक है कि बैंक अपने पूरे संविभाग में निहित जोखिम तथा अलग-अलग ऋण या लेनदेन में निहित जोखिम का प्रबंधन करे। बैंकों को ऋण जोखिम की माप करने, उनकी निगरानी करने और उनका नियंत्रण करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में सचेत रहना होगा कि उनके पास इन जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी है और जो जोखिम घटित हुए हैं उनके लिए उनकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुई है।

1.3. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम से तात्पर्य बैंक के उस जोखिम से है जो बाज़ार मूल्यों में घट-बढ़ से, खासकर ब्याज दरों, विदेशी विनिमय दरों, ईक्विटी और पण्य मूल्यों में घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होता है। सरल शब्दों में कहें तो बाज़ार जोखिम को बाज़ार के परिवर्तनशील घटकों में परिवर्तन से बैंक को होनेवाली हानि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में की है कि "यह ईक्विटी और ब्याज दर बाज़ारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्य मूल्यों में घट-बढ़ से तुलनपत्र स्थितियों और तुलनपत्रेतर स्थितियों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम है।" अतः बाज़ार जोखिम ब्याज दरों के बाज़ार स्तर अथवा प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और ईक्विटी के मूल्यों में परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों की तेज गति के कारण बैंक की आय और पूंजी के समक्ष उत्पन्न जोखिम है।

2. दिशानिर्देश

2.1. पूंजी के तत्व: पूंजी निधियों में टियर I पूंजी तथा टियर II पूंजी के तत्व शामिल किए जाएंगे।

2.1.1 टियर I पूंजी के तत्व : टियर I पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं-

- i) प्रदत्त पूंजी (सामान्य शेयर), सांविधिक प्रारक्षित निधियां तथा अन्य प्रकट निर्बंध प्रारक्षित निधियां, यदि कोई हों।
- ii) बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर जो समय-समय पर लागू कानूनों के अंतर्गत टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के पात्र हैं।
- iii) टियर 1 की पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखत (आइपीडीआइ); और
- iv) आस्तियों की बिक्री से प्राप्त अधिशेष दर्शानेवाली पूंजीगत प्रारक्षित निधियां।

टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) से संबंधित दिशानिर्देश, न्यूनतम विनियामक अपेक्षा निर्दिष्ट करते हुए, अनुबंध 1 में दिए गए हैं। टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आइपीडीआइ) से संबंधित दिशानिर्देश, न्यूनतम विनियामक अपेक्षा निर्दिष्ट करते हुए, अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

बैंक टियर I पूंजी की गणना में तिमाही/छमाही लाभों को केवल तभी शामिल कर सकते हैं जब तिमाही/छमाही परिणामों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा करायी गयी हो और वे परिणाम सीमित समीक्षा के अधीन न हों।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों जो भारतीय बैंक संघ के साथ हुए 9 वे द्विपक्षीय समझौते में सहभागी थे, को पेंशन विकल्प पुनः खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण हुए व्यय का परिशोधन करने की विशेष छूट दी गई। इस मामले की अपवादात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मदों से संबंधित अपरिशोधित व्यय को टियर I पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

2.1.3 टियर II पूंजी के तत्व : टियर II पूंजी के तत्वों में अप्रकट-प्रारक्षित निधियां, पूनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान और हानि के लिए प्रारक्षित निधियां, मिश्र ऋण पूंजी लिखत, गौण ऋण और निवेश प्रारक्षित निधि खाता शामिल हैं।

क. अप्रकट प्रारक्षित निधियां

इन्हें पूंजी में शामिल किया जा सकता है बशर्ते ये कर के बाद के लाभों के संचय के द्योतक हों और किसी ज्ञात देयता का भार उन पर न हो। नेमी तौर पर इनका उपयोग सामान्य ऋण और परिचालन संबंधी हानियों को आत्मसात् करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ख. पूनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां

टियर-II की पूंजी में शामिल करने के लिए पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों का निर्धारण करते समय 55 प्रतिशत बट्टे पर उनका मूल्यन करना विवेकपूर्ण होगा। इस प्रकार की प्रारक्षित निधियाँ पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों के रूप में तुलन-पत्र में परिलक्षित होंगी।

ग. सामान्य प्रावधान और हानि के लिए प्रारक्षित निधियां

इस प्रकार की प्रारक्षित निधियां यदि वे किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा पहचानी जा सकने योग्य संभावित हानि के कारण नहीं हैं और संभावित हानियों की पूर्ति के लिए उपलब्ध हैं तो इन्हें टियर-II की पूंजी में शामिल किया जा सकता है। इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामान्य प्रावधानों तथा हानि के लिए प्रारक्षित निधियों को टियर-II की पूंजी का भाग मानने से पहले सभी ज्ञात हानियों और अनुमान लगायी जा सकने वाली संभावित हानियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। सामान्य प्रावधान /हानि के लिए प्रारक्षित निधियाँ कुल भारांकित जोखिम आस्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक ही शामिल की जा सकती हैं।

बैंकों द्वारा धारित 'अस्थायी प्रावधान' जो कि सामान्य स्वरूप के हैं तथा किसी प्रकार की अभिनिर्धारित आस्तियों के आधार पर नहीं किये गये हैं, को कुल जोखिम भारत आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर टियर II की पूंजी के एक भाग के रूप में समझा जाए, यदि ऐसे प्रावधानों को निवल अनर्जक आस्तियों के प्रकटीकरण हेतु कुल अनर्जक आस्तियों में से घटाया नहीं गया है।

कुल जोखिम भारत आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन अनर्जक आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान टियर II पूंजी के लिए पात्र होंगे।

घ. मिश्र ऋण पूंजी लिखत

ऐसे लिखत जो ईक्विटी से अधिक मिलते-जुलते हैं, विशेष रूप से जब वे परिसमापन को रोककर निरंतर आधार पर हानियों का समर्थन कर सकते हैं, तब उन्हें टियर II की पूंजी में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में निम्नलिखित लिखतों को मान्यता दी गई है और इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

- i. उच्चतर टियर II की पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत
- ii. उच्चतर टियर II पूंजी के भाग के रूप में बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)

न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं को दर्शाते हुए उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित लिखतों से संबंधित दिशानिर्देश क्रमशः अनुबंध 3 और अनुबंध 4 में दिए हैं।

ड. गौण ऋण

बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से टियर II की पूंजी के रूप में रुपया अधीनस्थ ऋण जुटा सकते हैं लेकिन वह अनुबंध 5 में दी गई शर्तों के अधीन होगा।

च. निवेश आरक्षित निधि खाता

'खरीद-बिक्री के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधान किसी वर्ष में आवश्यक राशि से अतिरिक्त पाए जाने की स्थिति में अतिरिक्त राशि को लाभ-हानि खाते में जमा किया जाना चाहिए तथा उसके बराबर राशि को (कर, यदि कोई है को घटाकर तथा ऐसे अतिरिक्त प्रावधान पर लागू सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण को घटाकर) तुलन पत्र में 'राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित निधि खाता-"आरक्षित निधि तथा अधिशेष" में विनियोग किया जाए तथा यह राशि

सामान्य प्रावधान/हानि आरक्षित निधि के लिए निर्धारित कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टियर II की पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होगी।

छ. बैंकों को 'मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान' और 'देश विशेष से संबंधित जोखिम के लिए धारित प्रावधान' को टियर II की पूंजी में शामिल करने की अनुमति है। तथापि, 'अन्य सामान्य प्रावधान / हानि वाली प्रारक्षित निधियां' और 'देश विशेष से संबंधित जोखिम के लिए धारित प्रावधान' सहित मानक आस्तियों संबंधी प्रावधानों को कुल जोखिम भारित आस्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक टियर-II की पूंजी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

2.1.4 स्टेप-अप ऑप्शन-संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस)द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए 'बासेल III : अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा' शीर्ष के एक दस्तावेज के अनुसार विनियामक पूंजी लिखत में कोई स्टेप अप ऑप्शन या मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनके अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे। बासेल III 1 जनवरी 2013के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा। अतः बैंकों को 'स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टियर I तथा टियर II पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें।

2.1.5. पूंजीगत निधियों की गणना से कटौतियां

2.1.5.1. टियर I की पूंजी से कटौतियां- टियर I की पूंजी से निम्नलिखित कटौतियां की जानी चाहिए

क) सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेशों, अगोचर आस्तियों और चालू अवधि में हानियों तथा पहले की अवधि से आगे लायी गयी हानियों को टियर-I की पूंजी में से घटा दिया जाना चाहिए।

ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के निर्माण के परिणामस्वरूप बैंक के तुलनपत्र में कोई मूर्त परिसंपत्ति की वृद्धि न होते हुए बैंक की टियर I पूंजी में वृद्धि होती है। अतः आस्थगित कर आस्ति, जो अमूर्त आस्ति है, को टियर I की पूंजी में से घटाया जाना चाहिए।

2.1.5.2 टियर I तथा टियर II पूंजी से कटौतियां

क. सहायक कंपनियों में ईक्विटी / गैर -ईक्विटी निवेश

बासल I ढाँचे के अंतर्गत 'एकल' आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करते समय, बैंक द्वारा किसी सहायक कंपनी की ईक्विटी तथा गैर-ईक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश को, जिनकी गणना संबंधित विनियामक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विनियामक पूंजी के रूप में की जाती है, प्रवर्तक बैंक की टियर I और टियर II पूंजी में से प्रत्येक में से 50 प्रतिशत घटाया जाना चाहिए।

ख. मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण से संबंधित ऋण संवर्धन

i) प्रथम हानि सुविधा की क्रियाविधि

प्रवर्तक द्वारा दिया गया प्रथम हानि ऋण संवर्धन पूंजी निधियों से कम किया जाएगा तथा यह कटौती पूंजी की उतनी राशि तक सीमित होगी जितनी प्रतिभूतीकरण न किए जाने की परिस्थिति में आस्तियों के संपूर्ण मूल्य के लिए बैंक को रखनी होती। यह कटौती 50 प्रतिशत टियर I तथा 50 प्रतिशत टियर II पूंजी से की जाएगी।

ii) द्वितीय हानि सुविधा की क्रियाविधि

प्रवर्तक द्वारा दिया गया द्वितीय हानि ऋण संवर्धन संपूर्णतः पूंजी निधियों में से कम किया जाएगा। यह कटौती 50 प्रतिशत टियर I तथा 50 प्रतिशत टियर II पूंजी से की जाएगी।

iii) अन्य पक्षकार द्वारा किये गये ऋण संवर्धन की क्रियाविधि

यदि बैंक थर्ड पार्टी सेवाप्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा दिया गया प्रथम हानि ऋण संवर्धन ऊपर पैरा (क) में दिए गए अनुसार संपूर्णतः पूंजी में से कम किया जाएगा।

iv) प्रवर्तक द्वारा हामीदारी

एसपीवी द्वारा जारी तथा बैंकों में अनुषंगी बाज़ार खरीद सहित निर्गम की मूल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि में अंतरित/धारित प्रतिभूतियों की 50 प्रतिशत टियर I तथा 50 प्रतिशत टियर II की पूंजी में से कटौती की जाएगी; अन्य पक्षकार सेवादाताओं से हामीदारी

यदि बैंक ने एसपीवी द्वारा जारी तथा बैंकों में अंतरित/धारित ऐसी प्रतिभूतियों की हामीदारी दी है जो कि निवेश स्तर से निम्न स्तर की हैं तो उनकी 50 प्रतिशत टियर 1 तथा 50 प्रतिशत टियर II की पूंजी में से कटौती की जाएगी।

2.1.6. टियर II के तत्वों के लिए उच्चतम सीमा

मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन से टियर II के तत्वों को टियर I के कुल तत्वों के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित रखना चाहिए।

2.1.7. परस्पर धारिताओं के मानदंड

(i) नीचे 2.1.6(ii) में सूचीबद्ध सभी प्रकार के लिखतों, जो कि अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं तथा निवेशिती बैंक/वित्तीय संस्था के लिए पूंजी दर्जे के लिए पात्र हैं, में किसी बैंक/वित्तीय संस्था का निवेश, निवेशकर्ता बैंकों की पूंजी निधि (टियर I और टियर II पूंजी) के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

(ii) निम्नलिखित लिखतों में बैंक/वित्तीय संस्था का निवेश उक्त 2.1.5(i) में संदर्भित 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा में शामिल होगा।

क) ईक्विटी शेयर्स

ख) पूंजी दर्जे के लिए पात्र अधिमानी शेयर

ग) टियर I की पूंजी के स्तर के लिए पात्र नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखत

घ) अधीनस्थ ऋण लिखत

ङ) उच्चतर टियर II के स्तर के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत; तथा

च) पूंजी के रूप में अनुमोदित कोई अन्य लिखत

(iii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी बैंक के ईक्विटी शेयरों में नयी साझेदारी अर्जित करने से यदि निवेशकर्ता बैंक/वित्तीय संस्था की धारिता निवेश किये जाने वाले बैंक की ईक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उन्हें ऐसा अर्जन नहीं करना चाहिए।

(iv) वर्तमान में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायक संस्थाओं/कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में किए गए निवेश को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए मूल बैंक की टियर I तथा टियर II की पूंजी में से प्रत्येक से 50 प्रतिशत कम किया जाता है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त 2.1.7(ii) में सूचीबद्ध लिखतों में किए गए निवेश पर जिसे निवेशकर्ता बैंक/वित्तीय संस्था के टियर I पूंजी से घटाया नहीं गया है, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से ऋण जोखिम के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

(v) पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए जिन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएँ समझा जा सकता है उनकी संकेतक सूची निम्नानुसार है:

- बैंक
- म्यूचुअल फंड
- बीमा कंपनियाँ
- गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
- आवास वित्त कंपनियाँ
- मर्चेंट बैंकिंग कंपनियाँ
- प्राथमिक व्यापारी

टिप्पणी :

निम्नलिखित निवेश ऊपर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के दायरे में नहीं आते हैं।

- क) भारत में कार्यरत अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत धारित ईक्विटी शेयरों में निवेश
- ख) भारत के बाहर प्रवर्तक/महत्वपूर्ण शेयरधारक (अर्थात् विदेशी सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियाँ) के रूप में निगमित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश।
- ग) भारत के बाहर निगमित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में भारत के बाहर ईक्विटी धारिताएं ।

2.1.8 स्वैप लेन-देन

बैंकों को सूचित किया जाता है कि टियर I/टियर II के नवोन्मेषी बॉण्ड के संबंध में स्थायी दर रुपया देयताओं से अस्थायी दर विदेशी मुद्रा देयताओं में परिवर्तन वाले स्वैप लेन-देन न करें।

2.1.9 पूंजीगत निधियों की न्यूनतम अपेक्षा

बैंकों द्वारा निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाये रखा जाना अपेक्षित है।

2.1.10 ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार

बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी बहियों में ऋण जोखिमों का प्रबंधन निरंतर आधार पर करें और यह सुनिश्चित करें कि ऋण जोखिमों के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं को निरंतर आधार अर्थात् प्रत्येक कारोबार दिवस की समाप्ति पर बनाया रखा जा रहा है। ऋण जोखिम के लिए सीआरएआर की गणना पर लागू जोखिम भार अनुबंध 9 में दिए गए हैं।

2.2 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार

2.2.1 बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी आवश्यकता निर्धारित करने के पहले कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि :

- i) संपूर्ण निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार निर्धारित करें।
- ii) विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण पर जोखिम की स्थिति की सीमा पर 100 प्रतिशत जोखिम भार निर्धारित करें; तथा
- iii) निवेश संविभाग में खरीद-बिक्री के लिए धारित तथा विक्रय के लिए उपलब्ध संवर्गों में धारित निवेशों के न्यूनतम पांच प्रतिशत तक निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि का निर्माण करें।

2.2.2 बाद में बैंकों की बाज़ार जोखिम को समझने और मापने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बाज़ार जोखिमों के लिए सुनिश्चित पूंजी प्रभार नियत किया जाए। बैंकों को खरीद-बिक्री के लिए रखी गयी /बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियों, सोने से संबंधित जोखिम की स्थिति, विदेशी मुद्रा जोखिम की स्थिति, डेरिवेटिव्स में खरीद-बिक्री की स्थिति और खरीद-बिक्री बही जोखिम से प्रतिरक्षा के लिए नियत डेरिवेटिव्स के मामलों में बाज़ार संबंधी जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप, खरीद-बिक्री के लिए रखी गयी श्रेणी में सम्मिलित निवेश पर बाज़ार जोखिम के लिए रखा गया 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार आवश्यक नहीं होगा।

2.2.3 आरंभ में बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार बैंकों पर वैश्विक आधार पर लागू होगा। बाद में, यह उन सभी समूहों पर भी लागू किया जाएगा जिनमें बैंक नियंत्रक संस्था है।

2.2.4 बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर बाजार जोखिमों का प्रबंधन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा निरंतर अर्थात् प्रत्येक कारोबार दिवस की समाप्ति पर रखी जा रही है। बैंकों से यह भी अपेक्षा है कि वे बाजार

जोखिमों के प्रति किसी एक दिन के भीतर होनेवाले एक्सपोजर की निगरानी और नियंत्रण के लिए कठोर जोखिम प्रबंध प्रणाली सुस्थापित रखें।

2.2.5 ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार : ब्याज दर संबद्ध लिखतों और ईक्विटी के लिए पूंजी प्रभार बैंक की ट्रेडिंग बही में इन मदों के वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। वर्तमान बाजार मूल्य निवेशों के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होगा। न्यूनतम पूंजी अपेक्षा को दो अलग पूंजी प्रभारों के रूप में व्यक्त किया गया है - अर्थात् प्रत्येक प्रतिभूति के लिए शॉर्ट और लॉग पोजिशन के लिए *विशिष्ट जोखिम भार* तथा संविभाग की ब्याज दर जोखिम के लिए *सामान्य बाजार जोखिम भार*, जहां विभिन्न प्रतिभूतियों अथवा लिखतों की लॉग और शॉर्ट पोजिशन को प्रति संतुलित किया जा सकता है। भारत में डेरिवेटिव और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अलावा अन्य लिखतों में शॉर्ट पोजिशन की अनुमति नहीं है। बैंकों को नीचे दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग बही में ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य ब्याज दर संबद्ध लिखतों में पोजिशन लेने या रखने के जोखिम की माप करने के बाद विशिष्ट जोखिम और सामान्य जोखिम दोनों के लिए ट्रेडिंग बही में (डेरिवेटिव छोड़कर) ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का प्रावधान करना होगा।

2.2.5.1. विशिष्ट जोखिम : यह उस हानि का जोखिम है जो किसी प्रतिभूति में मुख्यतया प्रतिभूति के निर्गमकर्ता से संबद्ध कारकों के कारण मूल्य में हुई गिरावट के कारण हुई हो। विशिष्ट जोखिम प्रभार की रचना इस उद्देश्य से की गयी है ताकि किसी प्रतिभूति में प्रतिभूति के निर्गमकर्ता से संबद्ध कारकों के कारण उसके मूल्य में हुई गिरावट से सुरक्षा प्रदान की जाए। विभिन्न एक्सपोजरों के लिए विशिष्ट जोखिम प्रभार को तीन शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है - अर्थात् सरकार पर दावे, बैंकों पर दावे और अन्य पर दावे और उसे अनुबंध 7 में दर्शाया गया है।

2.2.5.2. सामान्य बाजार जोखिम:

सामान्य बाजार जोखिम की पूंजी आवश्यकताओं का उद्देश्य बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से होने वाली हानि के जोखिम का सामना करना है। यह पूंजी भार चार घटकों का जोड़ है :

- संपूर्ण खरीद-बिक्री बही में कुल खरीद से ज्यादा बिक्री (उसकी भारत में डेरिवेटिव और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अलावा अन्य में अनुमति नहीं है) या अधिक्रय;
- प्रत्येक समय सीमा में मिलती-जुलती स्थिति का छोटा अनुपात (दि "वर्टिकल डिस्अलाउन्स");

- अलग-अलग समय सीमाओं पर मिलती-जुलती स्थितियों का बड़ा अनुपात (दि "हॉरिजॉन्टल डिस्अलाउन्स"), तथा
- जहां उचित हो वहां ऑप्शन्स में जोखिम की स्थितियों के लिए कुल भार।

2.2.5.3 बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना: बासल समिति ने बाजार जोखिमों के पूंजी प्रभार की गणना के लिए दो व्यापक कार्य-पद्धतियों का सुझाव दिया है। एक है मानकीकृत कार्य-पद्धति तथा दूसरी बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेल पद्धति। यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभ में बैंक मानकीकृत कार्य-पद्धति अपनाएंगे। मानकीकृत कार्य-पद्धति में बाजार जोखिम को मापने की दो मुख्य पद्धतियां हैं, एक 'अवधिपूर्णता' पद्धति तथा दूसरी 'अवधि' पद्धति। चूंकि 'अवधि' पद्धति ब्याज दर जोखिम को मापने की अधिक सम्यक पद्धति है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी प्रभार निर्धारित करने के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति अपनायी जाए। तदनुसार, बैंकों को चाहिए कि वे प्रत्येक स्थिति की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की अलग से गणना करके सामान्य बाजार जोखिम प्रभार की गणना करें। इस पद्धति की निम्नलिखित प्रक्रिया है:

- पहले प्रत्येक लिखत की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की गणना करें;
- फिर अनुबंध 7 के अनुसार लिखत की परिपक्वता के आधार पर 0.6 तथा 1.0 प्रतिशत अंकों के बीच प्रत्येक लिखत की आशोधित अवधि पर प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन लागू करें ;
- इससे मिलने वाले पूंजी प्रभार अंकों को अनुबंध 7 में दिए गए अनुसार पंद्रह टाइम बैण्ड्स वाली परिपक्वता सीढ़ी में स्थानबद्ध करें;
- प्रत्येक टाइम बैण्ड में अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री (डेरिवेटिव तथा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को छोड़कर भारत में खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं है) स्थिति पर आधार जोखिम को व्यक्त करने के लिए तैयार किया गया 5 प्रतिशत वर्टिकल डिस्अलाउन्स लागू करें; तथा
- अनुबंध 8 में निर्धारित डिस्अलाउन्स के अधीन प्रत्येक टाइम बैण्ड में निवल स्थितियों को हॉरिजॉन्टल समायोजन के लिए आगे ले जाएं।

2.2.5.4 ब्याज दर डेरिवेटिव पर पूंजी प्रभार

बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना के अंतर्गत खरीद-बिक्री बही में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव तथा तुलन-पत्र बाह्य लिखत तथा ट्रेडिंग बही एक्सपोजर की हेजिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव जिन पर ब्याज दर परिवर्तनों का असर पड़ेगा, उदाहरण के लिए एफ आर ए, ब्याज दर स्थितियों आदि शामिल की जानी चाहिए। ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के लिए पूंजी प्रभार की गणना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

2.2.5.5 ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के संबंध में माप प्रणाली

2.2.5.5.1 ब्याज दर डेरिवेटिव

मापन प्रणाली में समस्त ब्याज दर डेरिवेटिव तथा खरीद-बिक्री बही में ऐसे तुलन-पत्र बाह्य लिखत जो कि ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों (उदा. वायदा दर करार (एफआरए), अन्य वायदा संविदाएं, बाण्ड फ्यूचर्स, ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा स्वैप तथा वायदा विदेशी मुद्रा स्थितियां) से प्रभावित होते हैं समाविष्ट होने चाहिए। नीचे पैरा 2.2.5.5.2 में दिये गये अनुसार ऑप्शन्स पर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर कार्रवाई करने के लिए नियमों का सारांश इस अनुभाग के अंत में दिया गया है।

2.2.5.5.1.1 जोखिम स्थितियों की गणना

डेरिवेटिव को संबंधित अंडरलाइंग में स्थितियों में परिवर्तित किया जाए तथा उन पर दिशानिर्देशों में दिये गये अनुसार विशिष्ट तथा सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों को लागू करना चाहिए। पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए, रिपोर्ट की गयी राशियां अंडरलाइंग अथवा कल्पित अंडरलाइंग की मूल राशि का बाज़ार मूल्य होनी चाहिए। उन लिखतों के लिए जहां प्रकट कल्पित राशि, प्रभावी कल्पित राशि से भिन्न है वहां बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का प्रयोग करना चाहिए।

i. फ्यूचर्स तथा फॉवर्ड संविदा और फॉवर्ड रेट करार

इन लिखतों को कल्पित सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति के संयोग के रूप में माना जाता है। किसी फ्यूचर्स अथवा फॉवर्ड रेट करार की परिपक्वता, सुपुर्दगी अथवा संविदा के प्रयोग तक की अवधि तथा जहां लागू हो वहां - आधारभूत (अंडरलाइंग) लिखत की अवधि होगी। उदाहरण के लिए जून तीन माह ब्याज दर फ्यूचर्स (जिसे अप्रैल में लिया गया) में अधिक्रय को पांच महीनों की परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय तथा दो महीनों की परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूति में खरीद से अधिक बिक्री के रूप में रिपोर्ट की जाए। जहां विभिन्न प्रकार के सुपुर्दगी योग्य लिखतों को संविदा पूरी करने के लिए सुपुर्द किया जा सकता है,

वहां बैंक के पास यह चुनने का लचीलापन है कि कौन सी सुपुर्दगी योग्य प्रतिभूति अवधिक्रम में जाएगी लेकिन उन्हें एक्सचेंज द्वारा परिभाषित किसी परिवर्तन घटक को ध्यान में लेना चाहिए।

(ii) स्वैप

स्वैप्स को संबंधित परिपक्वतावाली सरकारी प्रतिभूतियों में दो कल्पित स्थितियों के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए - एक ब्याज दर स्वैप जिसके अंतर्गत बैंक अस्थिर दर पर ब्याज प्राप्त कर रहा है और निर्धारित ब्याज अदा कर रहा है उसे अगले ब्याज निर्धारण की अवधि की समकक्ष परिपक्वता के अस्थिर दर लिखत में अधिक्रय तथा स्वैप की शेष अवधि के समकक्ष परिपक्वता के निर्धारित-दर लिखत में खरीद से अधिक बिक्री माना जाएगा। ऐसे स्वैप्स के लिए जो कि किसी अन्य संदर्भ कीमत उदा. स्टॉक इंडेक्स, के अनुसार नियत अथवा अस्थिर ब्याज दर का भुगतान अथवा प्राप्त करते हैं, ब्याज दर घटक को ईक्विटी प्रेडमवर्क में ईक्विटी घटक को सम्मिलित करते हुए उचित पुनर्मूल्यनिर्धारण परिपक्वता श्रेणी में नियत करना चाहिए। प्रति मुद्रा (क्रॉस-करंसी) स्वैप्स के विभिन्न चरणों को संबंधित मुद्राओं के लिए संबंधित परिपक्वता क्रमों में रिपोर्ट किया जाए।

2.2.5.5.1.2. मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत डेरिवेटिव के लिए पूंजी प्रभारों की गणना

i. एक समान स्थिति का अनुमत समायोजन

बैंक निम्नलिखित को ब्याज दर परिपक्वता ढांचे में से पूर्णतः निकाल दें (विशिष्ट तथा सामान्य बाज़ार जोखिम, दोनों के लिए);

- समान जारीकर्ता, कूपन, मुद्रा तथा परिपक्वता वाले एक समान लिखतों में अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां (वास्तविक तथा कल्पित दोनों)।
- किसी फ्यूचर अथवा फॉवर्ड में एक समान स्थिति तथा उसके अनुरूपी अंडरलाइंग को भी पूर्णतः समायोजित किया जाए (तथापि फ्यूचर के समाप्त होने के समय को दर्शाने वाले चरण को रिपोर्ट किया जाना चाहिए) तथा अतः उसे गणना में से निकाल दिया जाए।

जब फ्यूचर अथवा फॉवर्ड में विभिन्न प्रकार के सुपुर्दगीयोग्य लिखत शामिल हैं तो फ्यूचर अथवा फॉवर्ड संविदा तथा उसके अंडरलाइंग में स्थितियों का समायोजन करने की अनुमति केवल उन मामलों में है जहां सुपुर्दगी के लिए खरीद से अधिक बिक्री वाले व्यापारी के लिए अत्यधिक लाभप्रद तथा सहज अभिज्ञेय अंडरलाइंग प्रतिभूति उपलब्ध है। ऐसे मामलों में इस प्रतिभूति की कीमत, जिसे कभी

'चीपेस्ट-टु-डिलीवर' कहा जाता है तथा फ्यूचर तथा फॉवर्ड संविदा की कीमत लगभग साथ-साथ घटनी-बढ़नी चाहिए।

विभिन्न मुद्राओं की स्थितियों के बीच किसी प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं होगी; प्रति मुद्रा (क्रॉस करंसी) स्वैप्स अथवा फॉवर्ड विदेशी मुद्रा सौदों के अलग-अलग चरणों को संबंधित लिखतों में कल्पित स्थितियों के रूप में माना जाए तथा प्रत्येक मुद्रा की उचित गणना में शामिल किया जाए।

इसके अतिरिक्त, समान श्रेणी के लिखतों में विपरीत स्थितियों को कतिपय परिस्थितियों में मिलती-जुलती समझा जा सकता है और उन्हें पूर्णतः समायोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस कार्रवाई के लिए अर्हक होने के लिए स्थितियों को समान अंडरलाइंग लिखतों से संबंधित होना चाहिए, समान अनुमानित मूल्य का होना चाहिए तथा समान मुद्रा में अंकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त :

- फ्यूचर्स के लिए : फ्यूचर्स संविदा से संबंधित कल्पित अथवा अंडरलाइंग लिखतों में स्थितियों का समायोजन एक-समान उत्पादों के लिए होना चाहिए और एक-दूसरे की परिपक्वता में सात दिनों से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
- स्वैप्स तथा एफआरए के लिए : संदर्भ दर (अस्थिर दर स्थितियों के लिए) एक समान होना चाहिए और कूपन अत्यधिक मिलता हुआ (अर्थात् 15 बेसिस पॉइंट्स के भीतर) होना चाहिए, तथा
- स्वैप्स, एफआरए तथा फॉवर्ड के लिए : ब्याज निर्धारण की अगली तारीख अथवा फिक्स्ड कूपन पोजिशन्स अथवा फॉवर्ड्स के लिए परिपक्वता की शेष अवधि निम्नलिखित सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए :
 - अब से एक महीने से कम; उसी दिन
 - अब से एक महीना तथा एक वर्ष के बीच; सात दिन के भीतर
 - अब से एक वर्ष से अधिक; तीस दिन के भीतर।

बड़े स्वैप बहियों वाले बैंक अवधि क्रम में सम्मिलित करने के लिए स्थितियों (पोजिशन्स) की गणना करने के लिए इन स्वैप्स के लिए वैकल्पिक सूत्रों (फॉर्म्युले) का प्रयोग कर सकते हैं। यह पद्धति होगी अवधि पद्धति में प्रयोग में लाए गये प्रतिफल में होने वाले परिवर्तन से निवल वर्तमान मूल्य की संवेदनशीलता / अस्थिरता की गणना करना तथा फिर इन संवेदनशीलताओं / अस्थिरताओं का अनुबंध 7 में दिये गये टाइम-बैण्ड्स में विनियोजन करना।

ii. विशिष्ट जोखिम

ब्याज दर तथा करंसी स्वैप्स, एफआरए, फॉर्वर्ड विदेशी मुद्रा संविदा तथा ब्याज दर फ्यूचर्स, विशिष्ट जोखिम प्रभार के अधीन नहीं होंगे। यह छूट ब्याज दर इंडेक्स (उदा. लाइबोर) पर फ्यूचर्स पर भी लागू होगी। तथापि, फ्यूचर्स संविदाओं के मामले में जहां आधारभूत प्रतिभूति ऋण प्रतिभूति है अथवा विविध ऋण प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करने वाला इंडेक्स है, वहां उपर्युक्त पैराग्राफों में दिये गये अनुसार जारीकर्ता की ऋण जोखिम के अनुसार विशिष्ट जोखिम प्रभार लागू होगा।

iii. सामान्य बाज़ार जोखिम

सामान्य बाज़ार जोखिम सभी डेरिवेटिव उत्पादों में स्थितियों पर उपर्युक्त पैराग्राफों में परिभाषित किये गये अनुसार एक समान लिखतों में पूर्णतः अथवा अत्यधिक मिलती-जुलती स्थितियों के लिए मिलने वाली छूट के अधीन नकदी स्थितियों के समान ही लागू होता है। लिखतों की विभिन्न श्रेणियों को परिपक्वताक्रम में निर्धारित कर, उन पर पूर्व में दिये गये नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

सारणी - ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर कार्रवाई का सारांश

| लिखत | विशिष्ट जोखिम प्रभार | सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार |
|--|-----------------------------|--|
| एक्सचेन्ज - ट्रेडेड फ्यूचर - सरकारी ऋण प्रतिभूति - कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति - ब्याज दरों पर इंडेक्स (उदा. माइबोर) | नहीं हां नहीं | हां, दो स्थितियों के रूप में हां, दो स्थितियों के रूप में हां, दो स्थितियों के रूप में |
| ओटीसी फॉर्वर्ड - सरकारी ऋण प्रतिभूति - कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति - ब्याज दरों पर इंडेक्स (उदा.माइबोर) | नहीं हां नहीं | हां, दो स्थितियों के रूप में हां, दो स्थितियों के रूप में हां, दो स्थितियों के रूप में |
| एफआरए, स्वैप्स | नहीं | हां, दो स्थितियों के रूप में |
| फॉर्वर्ड विदेशी मुद्रा | नहीं | हां, प्रत्येक मुद्रा में एक स्थिति के रूप में |
| ऑप्शन्स - सरकारी ऋण प्रतिभूति - कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति - ब्याज दरों पर इंडेक्स (उदा.माइबोर) - एफआरए, स्वैप्स | नहीं हां नहीं नहीं | |

2.2.5.5.2. ऑप्शन्स पर कार्रवाई

ऑप्शन्स में बैंकों की गतिविधियों में विविधता तथा ऑप्शन्स के लिए मूल्य जोखिम के मापन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए निम्नलिखित वैकल्पिक पद्धतियों का प्रयोग करने की अनुमति है:

- वे बैंक जो केवल क्रय ऑप्शन्स¹ का प्रयोग करते हैं, वे नीचे भाग (क) में दर्शायी गयी सरल पद्धति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है;
- वे बैंक जो ऑप्शन्स भी लिखते हैं, उनसे नीचे भाग (ख) में निर्धारित किसी एक मध्यवर्ती पद्धति का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

क) सरलीकृत पद्धति

सरलीकृत पद्धति के अंतर्गत ऑप्शन की पोजिशन तथा संबद्ध अंडरलाइंग, नकदी या वायदा, पर मानकीकृत पद्धति नहीं लागू की जाती है बल्कि उन्हें 'कार्व-आउट' कर उस पर अलग से पूंजी प्रभार की गणना की जाती है जिसमें सामान्य बाजार जोखिम और विशिष्ट जोखिम दोनों रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त जोखिम अंकों को संबद्ध संवर्ग अर्थात् इस परिपत्र के खंड 2.2.5 से 2.2.7 में वर्णित ब्याज दर संबद्ध लिखतों, ईक्विटी और विदेशी मुद्रा के पूंजी प्रभारों में जोड़ा जाता है। केवल खरीदे गये ऑप्शन्स की सीमित श्रेणी में व्यवहार करने वाले बैंकों को विशिष्ट व्यापारों के लिए नीचे सारणी 1 में निर्धारित सरलीकृत पद्धति का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। यह गणना कैसे की जाएगी इसका एक उदाहरण ऐसा है -- यदि 10 रु.प्रति शेयर के चालू मूल्य वाले 100 शेयरों के किसी धारक के पास 11 रु. के स्ट्राइक मूल्य वाला समकक्ष पुट ऑप्शन है तो पूंजी प्रभार होगा : 1,000 रु. x 18% (अर्थात् 9% विशिष्ट तथा 9% सामान्य बाजार जोखिम) = 180 रु., उसमें से ऑप्शन तथा शेयरों के मूल्यों के बीच के अंतर की राशि (11 रु.- 10 रु.) x100 = 100 रु. को घटाएं, अर्थात् भार होगा 80 रु.। जिन ऑप्शन्स का अंडरलाइंग विदेशी मुद्रा अथवा ब्याज दर संबंधित लिखत है, उनपर भी इसी प्रकार की पद्धति लागू होती है।

¹ यदि उनकी सभी लिखित ऑप्शन्स स्थितियां समान ऑप्शन्स में पूर्णतः मिलती जुलती अधिक्रय स्थितियों द्वारा प्रतिरक्षित हैं, तो बाजार जोखिम के लिए कोई पूंजी प्रभार आवश्यक नहीं है।

सारणी 1 सरलीकृत पद्धति : पूंजी प्रभार

| स्थिति | कार्रवाई |
|---|---|
| लांग कैश और लांग पुट अथवा शॉर्ट कैश तथा लांग कॉल | आधारभूत प्रतिभूति ² के बाज़ार मूल्य को आधारभूत प्रतिभूति के विशिष्ट और सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों ³ के योग से गुणा कर तथा गुणनफल में से ऑप्शनस् तथा शेयरों के मूल्यों के बीच के अंतर की राशि (यदि है) जिसकी न्यूनतम सीमा शून्य ⁴ है, को घटाकर पूंजी भार प्राप्त होगा। |
| लांग कॉल अथवा लांग पुट | (i) अंडरलाइंग प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य को अंडरलाइंग के लिए विशिष्ट तथा सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभारों ³ के जोड़ से गुणा कर मिलने वाले आंकड़े (ii) ऑप्शन ⁵ का बाज़ार मूल्य इनमें से कम जो भी है, वह पूंजी प्रभार होगा |

ख) मध्यवर्ती पद्धति

i. डेल्टा-प्लस पद्धति

डेल्टा प्लस पद्धति में ऑप्शन के बाजार जोखिम और पूंजी अपेक्षा की माप करने के लिए उनके संवेदनशीलता पैमानों अथवा "ग्रीक अक्षरों" का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक

² कतिपय मामलों में, जैसे विदेशी मुद्रा, यह स्पष्ट नहीं होगा कि 'अंडरलाइंग प्रतिभूति' कौन सी है; इसे वह आस्ति को माना जाए जो कि ऑप्शन को प्रयोग में लाने पर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, अंकित मूल्य का प्रयोग उन मद्दों के लिए किया जाए जहां अंडरलाइंग लिखत का बाज़ार मूल्य शून्य हो सकता है जैसे कैप्स एण्ड फ्लोर्स, स्वैप्शनस् आदि।

³ कुछ ऑप्शनस् (उदा. जहां ब्याज दर अथवा मुद्रा अंडरलाइंग है) पर विशिष्ट जोखिम नहीं होती है, लेकिन कतिपय ब्याज दर संबंधित लिखतों (उदा. कॉर्पोरेट डेट प्रतिभूति अथवा कॉर्पोरेट बाँण्ड इंडेक्स पर ऑप्शनस्; संबंधित पूंजी प्रभारों के लिए पैराग्राफ 2.2.5 देखें) पर ऑप्शनस् के मामले में तथा ईक्विटीज तथा स्टॉक इंडाइसीज (देखें पैराग्राफ 2.2.6) पर ऑप्शनस् में विशिष्ट जोखिम होगी। इस गणना के अंतर्गत करंसी ऑप्शनस् के लिए प्रभार होगा 9%।

⁴ छः महीनों से अधिक शेष परिपक्वताके ऑप्शनस् के लिए स्ट्राइक मूल्य की तुलना फॉर्वाड मूल्य से करनी चाहिए न की चालू मूल्य से। ऐसा करने में असमर्थ बैंक को 'इन-दी-मनी' राशि को शून्य समझना चाहिए।

⁵ जहां स्थिति खरीद-बिक्री बही (अर्थात् खरीद-बिक्री बही में शामिल न होने वाली कतिपय विदेशी मुद्रा अथवा पण्यों की स्थितियों पर ऑप्शनस्) में नहीं आती है, वहां उसके बजाय बही मूल्य का प्रयोग करना स्वीकार्य है।

ऑप्शन का डेल्टा समकक्ष पोजिशन खंड 2.2.5 से 2.2.7 में वर्णित मानकीकृत पद्धति का अंग बन जाता है तथा डेल्टा समकक्ष राशि पर सामान्य बाजार जोखिम भार लागू होता है। इसके बाद ऑप्शन पोजिशन के गामा और वेगा जोखिमों पर अलग पूंजी प्रभार लगाया जाता है। ऑप्शन्स लिखने वाले बैंकों को भाग 2.2.5 से 2.2.7 में निर्धारित मानकीकृत पद्धति के भीतर डेल्टा-भारित ऑप्शन्स स्थितियों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे ऑप्शन्स को अंडरलाइंग के बाजार मूल्य का डेल्टा से गुणा करके मिलने वाले आंकड़े के समान स्थिति के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

तथापि, चूंकि डेल्टा ऑप्शन्स स्थितियों से संबद्ध जोखिमों को पर्याप्तता से कवर नहीं करता है, इसलिए बैंकों को कुल पूंजी भार के अभिकलन के लिए गामा (जो डेल्टा के परिवर्तन की दर को मापती है) तथा वेगा (जो अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में किसी ऑप्शन के मूल्य की संवेदनशीलता को मापती है) संवेदनशीलताओं को भी मापना आवश्यक होगा। इन संवेदनशीलताओं का किसी अनुमोदित विनिमय मॉडेल अथवा बैंक के स्वामित्व वाले ऑप्शन्स प्राइसिंग मॉडेल के अनुसार अभिकलन किया जाएगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक⁶ के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

अंडरलाइंग के रूप में ऋण प्रतिभूतियों अथवा ब्याज दर सहित डेल्टा-भारित स्थितियों को निम्नलिखित क्रियाविधि के अंतर्गत अनुबंध 7 की सारणी में दिये गये अनुसार ब्याज-दर टाइम-बैण्ड में निर्धारित किया जाएगा। अन्य डेरिवेटिव की तरह दो चरणबद्ध पद्धति अपनाई जानी चाहिए जिसमें अंडरलाइंग संविदा लागू होने के समय एक प्रविष्टि आवश्यक है और अंडरलाइंग संविदा की परिपक्वता पर दूसरी। उदा. के लिए जून तीन-माह ब्याज दर फ्यूचर पर बॉट कॉल ऑप्शन को अप्रैल में उसके डेल्टा समकक्ष मूल्य के आधार पर पांच महीनों की परिपक्वतावाली अधिक्रय स्थिति समझा जाएगा और 2 महीनों की परिपक्वतावाली खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति⁷। लिखित ऑप्शन को उसी तरह दो महीनों की परिपक्वतावाली अधिक्रय स्थिति तथा पांच महीनों की परिपक्वतावाली खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति के रूप में निर्धारित किया जाएगा। उच्चतम अथवा न्यूनतम अस्थिर दर लिखत को अस्थिर दर प्रतिभूतियों तथा

⁶ भारतीय रिज़र्व बैंक, अवधि समाप्त होने वाले विदेशी ऑप्शन्स की कतिपय श्रेणियों (अर्थात् बॅरियर्स, डिजिटल्स) अथवा 'एंट-दी-मनी' ऑप्शन्स में व्यापार करने वाले बैंकों द्वारा या तो सिनैरियो पद्धति अथवा इंटरनल मॉडेल्स आल्टरनेटिव का प्रयोग किया जाना पसंद करेगा, दोनों मॉडेल्स में विस्तृत पुनर्मूल्यांकन पद्धति संभव है।

⁷ किसी बॉण्ड फ्यूचर पर दो-महीनों के कॉल ऑप्शन, जहां बॉण्ड की सुपुर्दगी सितंबर में होती है, को अप्रैल में अधिक्रय बॉण्ड तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति में पांच-माह जमा समझा जाएगा और दोनों स्थितियां डेल्टा-भारित होंगी।

यूरोपियन-स्टाइल ऑप्शन्स की एक सिरीज के संयोग के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए 15% उच्चतम दर वाले छमाही लाइबोर इंडेक्स से जुड़े तीन-वर्षीय अस्थिर दर के बॉण्ड का धारक उसे निम्नानुसार समझेगा :

क. ऐसी ऋण प्रतिभूति जिसका छः महीनों में पुनर्मूल्यन होगा; तथा

ख. 15% संदर्भ दर वाले किसी एफआरए पर पांच लिखित कॉल ऑप्शन्स की सिरीज, प्रत्येक पर अंडरलाइंग एफआरए लागू होने के समय नकारात्मक चिह्न तथा अंडरलाइंग एफआरए की अवधिपूर्णा⁸ के समय सकारात्मक चिह्न होगा।

अंडरलाइंग के रूप में *ईक्विटीज वाले ऑप्शन्स* के लिए पूंजी भार भी डेल्टा-भारित स्थितियों पर आधारित होंगे और उसे भाग 2.2.5 में दिये गये बाज़ार जोखिम की माप में सम्मिलित किया जाएगा। इस गणना के प्रयोजन से प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार को अलग अंडरलाइंग के रूप में समझा जाए। विदेशी मुद्रा तथा सोने की स्थितियों पर ऑप्शन्स के लिए पूंजी भार भाग 2.2.7 में दी गयी पद्धति के आधार पर होगा। डेल्टा जोखिम के लिए विदेशी मुद्रा तथा सोने के ऑप्शन्स के निवल डेल्टा-आधारित समकक्ष को संबंधित विदेशी मुद्रा (अथवा सोने) की स्थिति की जोखिम की गणना में शामिल किया जाएगा।

डेल्टा-जोखिम से उत्पन्न उपर्युक्त पूंजी भारों के अलावा गामा तथा वेगा जोखिम के लिए अतिरिक्त पूंजी भार होंगे। डेल्टा-प्लस पद्धति का प्रयोग करने वाले बैंकों को प्रत्येक ऑप्शन स्थिति (जिसमें प्रतिरक्षा स्थितियां शामिल हैं) के लिए गामा और वेगा का अलग से अभिकलन करना होगा। पूंजी भारों की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाए:

क. प्रत्येक अलग ऑप्शन के लिए "गामा इम्पैक्ट" का अभिकलन टेलर सिरीज एक्स्पेंशन के अनुसार नीचे दिये रूप में किया जाए:

$$\text{गामा प्रभाव} = \frac{1}{2} \times \text{गामा} \times \text{वीयू}^2$$

जहां वीयू = ऑप्शन के अंडरलाइंग का उतार-चढ़ाव।

⁸ इस अटेंचमेण्ट के पैराग्राफ 2.2.5.5.1.2 में दी गयी अन्वयधिक मिलनी-जुलनी स्थितियों का लागू होने वाले नियम इस संबंध में 2% लागू होंगे हैं।

⁹ यहां पर ब्याज दर तथा इक्विटी ऑप्शन्स के लिए निर्धारित आधारभूत नियम, गामा पूंजी प्रभारों की गणना करते समय विशिष्ट जोखिम को आबद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं। तथापि, रिज़र्व बैंक विशिष्ट बैंकों को ऐसा करने के लिए कह सकता है।

¹⁰ अलग-अलग परिपक्वता क्रम में मुद्रा से स्थितियों को निर्धारित करना है।

¹¹ अवधि पद्धति का प्रयोग करने वाले बैंक अनुबंध 8 में निर्धारित टाइम-बैण्ड्स का प्रयोग करें।

ख. वीयु का निम्नानुसार अभिकलन किया जाएगा :

- ब्याज दर ऑप्शन्स के लिए यदि अंडरलाइंग बाण्ड है तो मूल्य संवेदनशीलता की गणना पूर्व में वर्णित रीति से की जाए। जहां अंडरलाइंग ब्याज दर है वहां उसी प्रकार गणना की जा।
- इक्विटीज तथा इक्विटी सूचकांकों पर ऑप्शन्स के लिए; जिनकी वर्तमान में अनुमति नहीं है, अंडरलाइंग के बाज़ार मूल्य को 9%⁹ से गुणा किया जाए।
- विदेशी मुद्रा तथा सोने के ऑप्शन्स के लिए; अंडरलाइंग के बाज़ार मूल्य को 9% से गुणा किया जाए;

ग. इस अभिकलन के प्रयोजन से निम्नलिखित स्थितियों को *समान अंडरलाइंग* समझा जाए :

- ब्याज दरों¹⁰ के लिए, अनुबंध 7¹¹ में दिये गये अनुसार प्रत्येक टाइम-बैंड;
- इक्विटीज तथा स्टॉक सूचकांकों के लिए, प्रत्येक राष्ट्रीय बाज़ार;
- विदेशी मुद्रा तथा सोने के लिए; प्रत्येक करेंसी पेयर तथा सोना;

घ. समान अंडरलाइंग वाले पर प्रत्येक ऑप्शन पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक गामा प्रभाव होगा। इन अलग-अलग गामा प्रभावों को जोड़ा जाएगा और इसके योग से प्रत्येक अंडरलाइंग के लिए मिलने वाला निवल गामा प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक होगा। केवल नकारात्मक निवल गामा प्रभाव को पूंजी गणना में शामिल किया जाएगा।

ङ. कुल गामा पूंजी भार, उपर्युक्त अभिकलन के अनुसार निवल नकारात्मक गामा प्रभाव के निरपेक्ष मूल्य का योग होगा ।

च. *अस्थिरता जोखिम* के लिए पूंजी भार की गणना बैंकों को ऊपर परिभाषित किये गये अनुसार समान अंडरलाइंग पर सभी ऑप्शन्स के लिए वेगाज़ के योग का अस्थिरता में $\pm 25\%$ के समानुपातिक परिवर्तन द्वारा गुणन करके करनी होगी ।

छ. वेगा जोखिम के लिए *कुल पूंजी भार*, वेगा जोखिम के लिए अभिकलित अलग-अलग पूंजी भारों के निरपेक्ष मूल्य का योग होंगे ।

ii) परिदृश्य पद्धति

परिदृश्य पद्धति के अंतर्गत ऑप्शन से संबद्ध आधारभूत की अस्थिरता और परिवर्तन के स्तर के लिए ऑप्शन संविभाग के मूल्य में परिवर्तन की गणना करने के लिए 'सिमुलेशन' तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सामान्य बाजार जोखिम भार का निर्धारण उस परिदृश्य "ग्रिड" (अर्थात् आधारभूत प्रतिभूति तथा अस्थिरता परिवर्तनों का विनिर्दिष्ट संयोग) के आधार पर होता है जो अधिकतम हानि को जन्म देता है। डेल्टा प्लस पद्धति तथा परिदृश्य पद्धति के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी भार का निर्धारण प्रत्येक ऑप्शन के लिए डेल्टा समकक्ष राशि को खंड 2.2.5 और खंड 2.2.6 में दिए गए विनिर्दिष्ट जोखिम भार से गुणा कर प्राप्त किया जाता है।

अधिक परिष्कृत बैंकों को ऑप्शन्स संविभागों तथा संबद्ध प्रतिरक्षा स्थितियों के लिए बाजार जोखिम पूंजी भार को सिनैरिओ मैट्रिक्स एनालिसिस पर आधारित करने का भी अधिकार है। ऑप्शन्स संविभाग के जोखिम घटकों में परिवर्तनों की नियत सीमा निर्दिष्ट करके तथा इस 'ग्रिड' में विभिन्न बिंदुओं पर ऑप्शन संविभाग के मूल्य में परिवर्तनों का अभिकलन करके यह निष्पादित किया जाएगा। पूंजी भार की गणना के प्रयोजन से बैंक ऑप्शन की अंडरलाइंग दर अथवा मूल्य तथा उस दर अथवा मूल्य की अस्थिरता में साथ-साथ होने वाले परिवर्तनों के लिए मैट्राइसिस का प्रयोग करके ऑप्शन संविभाग का पुनर्मूल्यांकन करेगा। उपर्युक्त पैराग्राफ 7 में परिभाषित किये गये अनुसार प्रत्येक अलग-अलग अंडरलाइंग के लिए अलग मैट्रिक्स बनाया जाएगा। एक विकल्प के रूप में, प्रत्येक राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेकानुसार ब्याज दर ऑप्शन्स पर ऑप्शन्स के महत्वपूर्ण व्यापारी बैंकों को अभिकलन टाइम-बैण्ड्स के न्यूनतम छः सेटों पर आधारित करने की अनुमति दी जाएगी। इस पद्धति का प्रयोग करते समय, खंड 2.2.5 में परिभाषित किये गये अनुसार किसी एक सेट में टाइम-बैण्ड्स में तीन से अधिक को शामिल नहीं किया जाएगा।

ऑप्शन्स तथा संबंधित प्रतिरक्षा स्थितियों का मूल्यांकन अंडरलाइंग के चालू मूल्य के ऊपर तथा नीचे की निर्दिष्ट सीमा पर किया जाएगा। ब्याज दरों की विस्तार सीमा अनुबंध 8 में प्रतिफल में कल्पित परिवर्तनों से समनुरूप है। उपर्युक्त पैराग्राफ 7 में दी गयी ब्याज दर ऑप्शन्स की गणना के लिए वैकल्पिक पद्धति का प्रयोग करने वाले बैंकों को टाइम-बैण्ड्स के प्रत्येक सेट के लिए, टाइम-बैण्ड्स जिस समूह¹² के हैं, उसे लागू होने वाले प्रतिफल में कल्पित परिवर्तनों के उच्चतम परिवर्तन का उपयोग करना चाहिए। अन्य सीमा विस्तार हैं, ईक्विटीज के लिए $\pm 9\%$ तथा

¹² उदा. यदि 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष तथा 5 से 7 वर्ष के टाइम-बैण्ड्स को मिलाया गया है तो इन तीन बैण्ड्स के प्रतिफल में उच्चतम कल्पित परिवर्तन 0.75 होगा।

विदेशी मुद्रा तथा सोने के लिए $\pm 9\%$ । समस्त जोखिम श्रेणियों के लिए, सीमा विस्तारों को एक समान अंतरालों में विभाजित करने के लिए इस पद्धति को कम से कम सात बार (वर्तमान में मिले उत्तर को शामिल करते हुए) प्रयोग में लाना चाहिए।

मैट्रिक्स के दूसरे आयाम के लिए अंडरलाइंग दर अथवा मूल्य की स्थिरता में परिवर्तन आवश्यक है। अंडरलाइंग दर अथवा मूल्य की अस्थिरता में $+ 25\%$ तथा $- 25\%$ की अस्थिरता तक के परिवर्तन के समान का एकल परिवर्तन ज्यादातर मामलों में पर्याप्त होना अपेक्षित है। तथापि परिस्थितियों के अनुसार रिज़र्व बैंक यह चाहेगा कि अस्थिरता में भिन्न परिवर्तन को प्रयोग में लाया जाए तथा /अथवा ग्रिड पर अंतस्थ बिंदुओं की गणना की जाए।

मैट्रिक्स के अभिकलन के बाद, प्रत्येक सेल में ऑप्शन तथा अंडरलाइंग प्रतिरक्षा लिखत का निवल लाभ अथवा हानि होगी। प्रत्येक अंडरलाइंग के लिए पूंजी भार की फिर मैट्रिक्स में निहित अधिकतम हानि के रूप में गणना की जाएगी।

इन मध्यवर्ती पद्धतियों को बनाते समय आप्शनस् से संबद्ध प्रमुख जोखिमों को कवर करने की चेष्टा की गयी है। ऐसा करते समय, यह ध्यान है कि जहां तक विशिष्ट जोखिम का संबंध है, केवल डेल्टा संबंधित तत्वों को व्यक्त किया गया है; अन्य जोखिमों को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक जटिल पद्धति आवश्यक होगी। दूसरी ओर, अन्य क्षेत्रों में प्रयोग में लाए गए पूर्वानुमानों के सरलीकरण के परिणामस्वरूप कतिपय ऑप्शनस् स्थितियों पर अपेक्षाकृत परंपरागत कार्रवाई की गयी है।

ऊपर उल्लिखित ऑप्शनस् जोखिमों के अलावा भारिबैं को ऑप्शनस् से संबद्ध अन्य जोखिम जैसे आरएचओ (ब्याज दर की तुलना में आप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर) तथा थेटा (समय की तुलना में ऑप्शन के मूल्य में परिवर्तन की दर) का भी ध्यान है। यद्यपि भारिबैं वर्तमान में उन जोखिमों की माप के लिए किसी प्रणाली का प्रस्ताव तो नहीं करता है, तथापि उल्लेखनीय ऑप्शनस् व्यापार करने वाले बैंकों से कम से कम ऐसे जोखिमों पर कड़ी निगरानी रखने की अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, यदि बैंक ऐसा चाहते हैं तो उन्हें ब्याज दर जोखिम के लिए अपने अभिकलनों में आरएचओ को शामिल करने की अनुमति है।

2.2.6 ईक्विटी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना

खरीद-बिक्री बही में ईक्विटी को रखने अथवा उनमें पोज़िशन लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। यह उन सभी लिखतों पर लागू होगी जो कि ईक्विटी के समान बाज़ार प्रवृत्ति दर्शाते हैं लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम द्वारा कवर किया गया है) पर नहीं। कवर किए गए लिखतों में मताधिकार वाले अथवा गैर-मताधिकार वाले ईक्विटी शेयरों, ईक्विटी की प्रवृत्ति रखने वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरण के लिए : म्युचुअल फंड के यूनिटों तथा ईक्विटी के क्रय अथवा विक्रय की प्रतिबद्धताएं, शामिल हैं। विशिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समान) के लिए पूंजी प्रभार 11.25% होगा तथा विशिष्ट जोखिम की गणना बैंक की सकल ईक्विटी स्थितियों (अर्थात् ईक्विटी की समस्त अधिक्रय स्थितियों तथा ईक्विटी की समस्त खरीद से अधिक बिक्री स्थितियों का जोड़ - तथापि शॉर्ट ईक्विटी स्थिति की भारत में कार्यरत बैंकों को अनुमति नहीं है) पर की जाती है। सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार सकल ईक्विटी स्थितियों पर भी 9% होगा।

शेयरों तथा उद्यम पूंजी निधियों के यूनिटों में निवेश पर पहले तीन वर्षों के दौरान जब उन्हें एचटीएम संवर्ग में रखा जाता है, तब ऋण जोखिम की माप करने के लिए 150% जोखिम भार दिया जाना चाहिए। जब इन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संवर्ग में रखा या अंतरित किया जाता है, बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना संबंधी वर्तमान दिशानिर्देश के अनुसार बाजार जोखिम के विशिष्ट जोखिम घटक के लिए पूंजी प्रभार 13.5% पर निर्धारित किया जाए ताकि वह 150% का जोखिम भार दर्शा सके। सामान्य बाजार जोखिम घटक के लिए भार 9% होगा जैसा कि अन्य ईक्विटी के मामले में है।

2.2.7 विदेशी मुद्रा तथा सोने की जोखिम की स्थितियों पर पूंजी प्रभार की गणना

वर्तमान में विदेशी मुद्रा की जोखिम स्थितियों तथा सोने की जोखिम की स्थितियों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होता है। अतः विदेशी मुद्रा तथा सोने की जोखिम की स्थिति पर वर्तमान में 9% पूंजी प्रभार है। इन जोखिम की स्थितियों पर, सीमित अथवा वास्तविक इनमें से जो भी अधिक हो, 9% पूंजी प्रभार लागू होना जारी रहेगा। यह बासल समिति की अपेक्षा के अनुरूप है।

2.3 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के लिए पूंजी भार

2.3.1 बैंकिंग बही में सीडीएस स्थितियों के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षा

2.3.1.1 बाह्य/तृतीय पक्षकार सीडीएस बचाव का निर्धारण

2.3.1.1.1 खरीदी गई सीडीएस स्थितियों द्वारा प्रतिरक्षित बैंकिंग बही स्थितियों के मामले में प्रतिरक्षित एक्सपोजर के संबंध में संदर्भ हस्ती /अंतर्निहित आस्ति के लिए किसी एक्सपोजर को हिसाब में नहीं लिया जाएगा एवं एक्सपोजर को माना जाएगा कि उसे सुरक्षा विक्रेता के द्वारा हिसाब में ले लिया गया है बशर्ते :

(क) सीडीएस पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट परिचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता हो;

(ख) क्रेडिट जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सुरक्षा विक्रेता पर लागू जोखिम भार अंतर्निहित आस्ति के जोखिम भार से कम हो; तथा

(ग) अंतर्निहित आस्ति तथा संदर्भ /सुपुर्दगी योग्य दायित्व के बीच कोई असंतुलन न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है तो निर्धारित की जाने वाली क्रेडिट सुरक्षा की राशि की गणना निम्नलिखित पैराग्राफ 2.3.1.1 (ii) के अनुसार की जानी चाहिए।

2.3.1.1.2 यदि उपर्युक्त शर्तों (क) तथा (ग) को पूरा नहीं किया जाता हो या बैंक इनमें से किसी भी शर्त का बाद में उल्लंघन करता हो तो बैंक अंतर्निहित आस्ति पर एक्सपोजर की गणना करेगा तथा सीडीएस स्थिति को व्यापार बही में अंतरित कर दिया जाएगा जहां वह विशिष्ट जोखिम, प्रतिपक्षकार जोखिम तथा व्यापार बही पर यथा लागू सामान्य बाजार जोखिम (जहां लागू हो) के अधीन होगा।

2.3.1.1.3 अंतर्निहित एक्सपोजर के असुरक्षित हिस्से को बासल II ढांचे के अंतर्गत यथालागू जोखिम-भारित किया जाएगा। यदि अंतर्निहित आस्ति/दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगीयोग्य आस्ति/दायित्व के बीच कोई असंतुलन हो तो क्रेडिट सुरक्षा की राशि को आस्ति अथवा परिपक्वता के संबंध में समायोजि किया जाएगा। इनका ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

(i) आस्ति असंतुलन

यदि अंतर्निहित आस्ति संदर्भ आस्ति अथवा सुपुर्दगी योग्य दायित्व से भिन्न है तो आस्ति असंतुलन उत्पन्न होगा। सुरक्षा क्रेता द्वारा सुरक्षा को केवल तभी उपलब्ध माना जाएगा जब असंतुलित आस्तियां सीडीएस पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के पैराग्राफ उपर्युक्त 4 (ट) में यथानिर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।

(ii) परिपक्वता असंतुलन

यदि क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता के समतुल्य अथवा उससे अधिक हो तो सुरक्षा क्रेता सुरक्षा की राशि की गणना करने का पात्र होगा। तथापि, यदि सीडीएस संविदा की परिपक्वता अंतर्निहित आस्ति की परिपक्वता से कम हो तो उसे परिपक्वता असंतुलन माना जाएगा। परिपक्वता असंतुलन के मामले में, सुरक्षा की राशि का निर्धारण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :

क. यदि क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पाद की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** से कम हो तो सुरक्षा का निर्धारण नहीं किया जाएगा।

ख. यदि क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता **तीन महीने** या उससे अधिक हो तो जिस अवधि के लिए सुरक्षा उपलब्ध है उसके अनुपात में सुरक्षा का निर्धारण किया जाएगा। जब परिपक्वता असंतुलन हो तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा।

$$P_a = P \times (t - .25) \div (T - .25)$$

जहां

P_a = परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजित किए गए क्रेडिट सुरक्षा का मूल्य

P = क्रेडिट सुरक्षा

t = Min (T, क्रेडिट सुरक्षा व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्ष में प्रदर्शित

T = Min (5, वर्ष में प्रदर्शित अंतर्निहित एक्सपोजर की अवशिष्ट परिपक्वता)

उदाहरण : मान लीजिए अंतर्निहित आस्ति कोई कॉर्पोरेट बांड है जिसका अंकित मूल्य ` 100/- है और उसकी अवशिष्ट परिपक्वता 5 वर्ष तथा सीडीएस की अवशिष्ट परिपक्वता 4 वर्ष है। क्रेडिट सुरक्षा राशि की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगी :

$$100 * \{ (4 - .25) \div (5 - .25) \} = 100 * (3.75 \div 4.75) = 78.95$$

ग. सीडीएस संविदा की अवशिष्ट परिपक्वता के **तीन महीना** होते ही सुरक्षा का निर्धारण करना बंद कर दिया जाएगा।

2.3.1.2 आंतरिक बचाव (हेजेज)

बैंक अपने मौजूदा कर्पोरेट बांड संविभागों में क्रेडिट जोखिम के बचाव के लिए सीडीएस संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बैंक किसी बैंकिंग बही क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र का बचाव आंतरिक बचाव (बैंक के व्यापार डेस्क से खरीदी गई तथा व्यापार बही में धारित सुरक्षा) या बाह्य बचाव (किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता से खरीदी गई सुरक्षा) के द्वारा कर सकता है। जब कोई बैंक अपनी व्यापार बही में दर्ज किसी सीडीएस का प्रयोग करते हुए किसी बैंकिंग क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र (कर्पोरेट बांड) का बचाव (अर्थात् किसी आंतरिक बचाव का प्रयोग करते हुए) करता है तो बैंकिंग बही एक्सपोज़र का बचाव पूंजी प्रयोजनों के लिए तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बैंक किसी सीडीएस के माध्यम से क्रेडिट जोखिम को व्यापार बही से किसी पात्र तृतीय पक्षकार सुरक्षा प्रदाता को स्थानांतरित न कर दे। इस सीडीएस को बैंकिंग बही एक्सपोज़र के परिप्रेक्ष्य में पैराग्राफ 2.3.1 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। जहां इस प्रकार की तृतीय पक्षकार सुरक्षा की खरीद की जाती है और उसका निर्धारण विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए किसी बैंकिंग बही एक्सपोज़र के बचाव के रूप में किया जाता है तो आंतरिक एवं बाह्य सीडीएस बचाव के लिए कोई पूंजी बनाए रखना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार के मामलों में बाह्य सीडीएस बैंकिंग बही एक्सपोज़र के लिए परोक्ष बचाव के रूप में कार्य करेगा तथा बाह्य/तृतीय पक्षकार बचाव के मामले में लागू पैराग्राफ 2.3.1 के अनुसार पूंजी पर्याप्तता लागू होगी।

2.3.2 व्यापार बही में सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता

2.3.2.1 सामान्य बाजार जोखिम

सामान्यतः क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के कारण सुरक्षा क्रेता अथवा सुरक्षा विक्रेता के लिए सामान्य बाजार जोखिम की कोई स्थिति नहीं पैदा होती। तथापि, देय/प्राप्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है। प्राप्य/देय प्रीमियम में ब्याज दर जोखिम की गणना करने के लिए प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में सांकेतिक स्थिति के रूप माना जा सकता है। इन स्थितियों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए समुचित पूंजी प्रभार

लगाया जाएगा। सुरक्षा क्रेता/विक्रेता देय/प्राप्य प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में लघु/दीर्घ स्थिति के समतुल्य मानेगा।

2.3.2 संदर्भ हस्ती के एक्सपोजर के लिए विशेष जोखिम

सीडीएस सुरक्षा विक्रेता/सुरक्षा क्रेता के लिए संदर्भ आस्ति/दायित्व में विशेष जोखिम के लिए सांकेतिक दीर्घ/लघु स्थिति पैदा करता है। विशेष जोखिम पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए सीडीएस की सैद्धांतिक राशि तथा उसकी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम प्रभार नीचे दी गई सारणियों के अनुसार होगा।

| व्यापार बही में खरीदी एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी - एसआई को छोड़कर अन्य संस्थाओं के प्रति एक्सपोजर | | | | |
|--|--|--------------|----------------------|--------------|
| 90 दिन | | | 90 दिन के बाद | |
| ईसीएआई द्वारा रेटिंग * | लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता | पूंजी प्रभार | ईसीएआई द्वारा रेटिंग | पूंजी प्रभार |
| एए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 0.28 % | एएए | 1.8 % |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 1.14% | एए | 2.7% |
| | 24 महीने से अधिक | 1.80% | ए बीबीबी | 4.5% 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 13.5% | बीबी तथा उससे कम | 13.5% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% | | |

*ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के स्वरूप हैं। "+" या " - " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

| व्यापार बही में खरीद एवं बेची गई सीडीएस स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी प्रभार : वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों / एनबीएफसी -एनडी- एसआई के प्रति एक्सपोजर | | |
|---|--|--------------|
| ईसीएआई द्वारा रेटिंग * | लिखत की अवशिष्ट परिपक्वता | पूंजी प्रभार |
| एए से बीबीबी | 6 महीने या उससे कम | 1.4% |
| | 6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक तथा उसे शामिल करते हुए | 7.7% |
| | 24 महीने से अधिक | 9.0% |
| बीबी तथा उससे कम | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |
| अनरेटेड (यदि अनुमत) | सभी परिपक्वताएं | 9.0% |

उपर्युक्त सारणी 90 दिन तक के एक्सपोजरों पर लागू होगी। 90 दिन के बाद वाणिज्यिक स्थावर संपदा कंपनियों/एनबीएफसी-एनडी-एसआई के प्रति एक्सपोजरों के लिए पूंजी प्रभार 9.0% की दर से लिया जाएगा भले ही संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व की रेटिंग कुछ भी हो।

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां प्रयुक्त रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पुअर के स्वरूप हैं। "+" या " - " जैसे मॉडिफायरों को मुख्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3.3.2.1 सीडीएस द्वारा प्रतिरक्षित स्थितियों के लिए विशेष जोखिम पूंजी

(i) जब दो चरणों (अर्थात् सीडीएस स्थितियों में दीर्घ एवं अल्पकालिक चरण) के मूल्य सदैव विपरीत दिशा में बढ़ते हों और व्यापक रूप से एक ही सीमा तक, तो बैंक विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति तब होगी जब दो चरणों में पूर्णतया एक समान सीडीएस हों। ऐसे मामलों में सीडीएस स्थितियों के दोनों चरणों में कोई विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षा लागू नहीं होती।

(ii) जब दो चरणों का मूल्य (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) सदैव विपरीत दिशा में बढ़ता हो लेकिन व्यापक रूप से एक ही सीमा तक नहीं तो बैंक 80% विशेष जोखिम पूंजी प्रभारों को पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति तब होगी जब किसी दीर्घकालिक अवधि का बचाव सीडीएस के द्वारा किया गया हो और संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य दायित्व तथा सीडीएस दोनों की परिपक्वता बिल्कुल एक समान हो। इसके अतिरिक्त, सीडीएस की प्रमुख विशेषताओं (उदाहरणार्थ क्रेडिट इवेंट परिभाषाएं, निपटान प्रणालियां) के कारण सीडीएस की कीमत में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कि वह नकदी स्थिति की कीमतों में परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से अलग हो।

लेनदेन जिस सीमा तक जोखिम स्थानांतरित करता है उस सीमा तक उच्चतर पूंजी प्रभार के साथ लेनदेन के पक्ष पर 80% विशेष जोखिम ऑफ-सेट लगाया जाएगा जबकि दूसरी तरफ विशेष जोखिम अपेक्षा शून्य होगी।

(iii) जब दो चरणों (अर्थात् दीर्घ एवं अल्पकालिक) का मूल्य प्रायः विपरित दिशा में बढ़ता हो तो बैंक आंशिक रूप से विशेष पूंजी प्रभारों को ऑफ-सेट कर सकते हैं। यह निम्नलिखित स्थितियों में होगा :

(क) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 2.3.2.1(ii) में किया गया है लेकिन नकदी स्थिति तथा सीडीएस के बीच आस्ति असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (संदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और वह सीडीएस पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश के पैराग्राफ 4 (ट) की अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(ख) इस स्थिति का वर्णन पैराग्राफ 2.3.2.2.1 (ii) में किया गया है लेकिन क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति के बीच परिपक्वता असंतुलन है। तथापि, अंतर्निहित आस्ति को सीडीएस प्रलेखन में (सुदर्भ/सुपुर्दगी योग्य) दायित्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) में से प्रत्येक मामले में लेनदेन (अर्थात् क्रेडिट सुरक्षा तथा अंतर्निहित आस्ति) के प्रत्येक पक्ष पर विशेष जोखिम पूंजी अपेक्षाएं लागू करने की बजाय दोनों में से केवल उच्चतर पूंजी अपेक्षा लागू होगी।

2.3.2.2.2 सीडीएस स्थितियों में विशेष जोखिम प्रभार जो बचाव के लिए नहीं हैं

पैराग्राफ 2.3.2.2.1 के अंतर्गत जिन मामलों का वर्णन किया गया है उन मामलों में स्थितियों के दोनों पक्षों के संदर्भ में विशेष जोखिम प्रभार का आकलन किया जाएगा।

2.3.3 काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

ट्रेडिंग बही में सीडीएस लेनदेन के कारण काउंटरपार्टी ऋण जोखिम के प्रयोजन से ऋण एक्सपोजर की गणना बासल II ढांचे के अंतर्गत वर्तमान एक्सपोजर

2.3.3.1 सुरक्षा विक्रेता

सुरक्षा विक्रेता का सुरक्षा क्रेता के प्रति एक्सपोजर तभी होगा जब शुल्क/प्रीमियम बकाया हो। ऐसे मामले में ट्रेडिंग बही में एकल नाम वाले सीडीएस की समस्त अधिक्रय (लॉन्ग) स्थितियों में काउंटरपार्टी ऋण जोखिम की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह मूल्य धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य ऋणात्मक हो) तथा उसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोजर अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा। तथापि, अतिरिक्त गुणक की अधिकतम सीमा अदत्त प्रीमियम तक सीमित रहेगी।

| सुरक्षा विक्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक (सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में) | |
|--|---------------|
| संदर्भित दायित्व का प्रकार | अतिरिक्त गुणक |
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

2.3.3.2 सुरक्षा क्रेता

कोई सीडीएस संविदा क्रेडिट इवेंट भुगतान के कारण सुरक्षा विक्रेता पर काउंटरपार्टी एक्सपोजर का निर्माण करती है। ट्रेडिंग बही में सीडीएस की सभी शार्ट पोजीशनों के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य के योग के रूप में की जाएगी, यदि वह धनात्मक हो (शून्य, यदि बाजार दर आधारित मूल्य नकारात्मक हो) और इसमें नीचे सारणी में दिये गये संभावित भावी एक्सपोजर के अतिरिक्त गुणक को जोड़ा जाएगा:

| सुरक्षा क्रेता के लिए अतिरिक्त गुणक (सीडीएस की नोशनल मूल राशि के प्रतिशत के रूप में) | |
|--|---------------|
| संदर्भित दायित्व का | अतिरिक्त गुणक |
| दायित्व - बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाले | 10% |
| बीबीबी से कम और बिना रेटिंग वाले | 20% |

2.3.3.3 सीडीएस में संपाश्वीकृत लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

जैसा कि 23 मई 2011 के परिपत्र आइडीएमडी. पीसीडी. सं. 5053/14.03.04/2010-11 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक बाजार प्रतिभागी संपाश्वीकृत प्रतिभूति और मार्जिन रखेंगे। ओटीसी बाजार में खरीद-बिक्री होने वाले सीडीएस की गणना वर्तमान एक्सपोज़र विधि के अनुसार की जाएगी। इस विधि के अंतर्गत, किसी एक संविदा के लिए काउंटरपार्टी ऋण जोखिम प्रभार की गणना, संपाश्वीकृत को हिसाब में लेते हुए, निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{काउंटरपार्टी जोखिम पूंजी प्रभार} = \text{द(आरसी + अतिरिक्त गुणक)} - \text{सीएज्} \times \text{आर} \times 9\%$$

जहां:

आरसी = बदलने की लागत

अतिरिक्त गुणक = संभावित भावी एक्सपोज़र की राशि, जिसकी गणना उपर्युक्त 2.3.3 पैरा के अनुसार की जाएगी।

सीए= नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर 1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र के पैरा 7.3 "ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपाश्वीकृत लेनदेन" में निर्धारित व्यापक विधि के अंतर्गत पात्र संपाश्वीकृत की अस्थिरता आधारित राशि अथवा शून्य, यदि लेनदेन पर कोई पात्र संपाश्वीकृत लागू नहीं किया गया है।

आर = काउंटरपार्टी का जोखिम भार

2.3.4 भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे एक्सपोज़र पर कार्रवाई

भुगतान की महत्वपूर्ण सीमा जिसके नीचे हानि की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाता है प्रतिधारित प्रथम हानि के पोजीशन के बराबर होती है और उस पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से सुरक्षा क्रेता को 1111% का जोखिम भार लगाना चाहिए।

2.4 सहायक कंपनियों के लिए पूंजी भार

2.4.1. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने प्रस्ताव किया है कि नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे को विस्तृत कर उसमें, समेकित आधार पर, उन नियंत्रक कंपनियों को शामिल किया जाए जो बैंकिंग

समूह की मूल कंपनियां हैं। विवेकपूर्ण दृष्टि से यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं अपनायी जायें तथा उनमें स्थानीय स्थितियों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित किया जाये।

2.4.2. तदनुसार, बैंक अपनी सहायक कंपनियों के जोखिम भारित तत्वों को बैंक की अपनी आस्तियों पर लागू जोखिम भार के समकक्ष, काल्पनिक आधार पर, अपने तुलन-पत्र में स्वैच्छिक रूप से शामिल कर सकते हैं। बैंकों को कुछ समय के अंदर अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी निश्चित करनी चाहिए ताकि कुछ समय बाद पूरे समूह के लिए अपनाये जाने वाले एकीकृत तुलन-पत्र को अपनाने पर उनकी शुद्ध मालियत की संभावित कमी को टाला जा सके। अतः बैंकों को मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से शुरू कर चरणबद्ध रूप से बैंक की बहियों में अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करने के लिए कहा गया।

2.4.3. संस्थाओं का समूह जिसमें एक लाइसेंस-प्राप्त बैंक शामिल है, के रूप में परिभाषित समेकित बैंक को निरंतर आधार पर मूल बैंक पर लागू होने वाला न्यूनतम जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना चाहिए। पूंजी निधियों की गणना करते समय, मूल बैंक निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें:

- i. बैंकों को न्यूनतम 9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात बनाए रखना चाहिए। बैंकेतर सहायक कंपनियों को उनके संबंधित नियंत्रकों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना चाहिए। किसी भी सहायक कंपनी के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कमी आने की स्थिति में कमी को कवर करने के लिए मूल कंपनी को अपनी खुद की नियंत्रक आवश्यकताओं से अतिरिक्त पूंजी बनाए रखनी चाहिए।
- ii. समूह में गैर-समेकित कंपनियों (अर्थात्, वे कंपनियां जिन्हें समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टों में समेकित नहीं किया गया है) में अंतर्निहित जोखिमों को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा गैर-समेकित कंपनियों की विनियामक पूंजी में किसी प्रकार की कमी को समेकित बैंक की पूंजी में से, संस्था में उक्त बैंक के ईक्विटी स्टोक के अनुपात में घटाया जाना (टियर I तथा टियर II पूंजी के समान अनुपात में) चाहिए।

2.5. सीआरएआर की गणना के लिए प्रक्रिया

2.5.1. जोखिम भार लगाने के प्रयोजन हेतु किसी ऋणकर्ता के निधिक और गैर निधिक ऋण जोखिम आदि के जोड़ की गणना करते समय बैंक ऋणकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजर में से निम्नलिखित को घटाएं: -

- (क) अग्रिम जिनकी संपार्श्विक प्रतिभूति, नकद मार्जिन या जमाराशियां हैं।
- (ख) चालू या अन्य खातों में ऋण शेष, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित नहीं है और किसी भी ग्रहणाधिकार से मुक्त है।
- (ग) ऐसी आस्तियां, जहां मूल्यहास या अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान किये गये हैं।
- (घ) डीआइसीजीसी/ई सीजीसी से प्राप्त दावे जिन्हें समायोजन होने तक के लिए अलग खाते में रखा गया है।

(ङ) सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित अग्रिमों पर प्राप्त आर्थिक सहायता, जिसे अलग खाते में रखा गया है।

2.5.2. अनुबंध 9 में बताये गये परिवर्तन गुणक को लागू करने के बाद समायोजित किये गये तुलनपत्रेतर मूल्य को यथानिर्दिष्ट संबंधित प्रतिपक्षी को दिये गये जोखिम भार द्वारा पुनः गुणा किया जायेगा।

2.5.3. विदेशी मुद्रा संविदाओं के लिए सीआरएआर की गणना: विदेशी मुद्रा संविदाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: प्रतिमुद्रा (Cross Currency) ब्याज दर स्वैप, फॉवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाये, करेंसी फ्युचर्स, खरीदे गये मुद्रा ऑप्शन्स और इसी तरह की अन्य संविदाएं।

14 कैलेंडर दिवस या उससे कम की मूल परिपक्वतावाली विदेशी मुद्रा संविदाओं को, प्रतिपक्ष कोई भी हो, अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार 'शून्य' जोखिम भार दिया जाना चाहिए।

तुलनपत्र से इतर अन्य मदों की भांति नीचे निर्धारित दो चरण वाली गणना लागू की जायेगी:

- (क) चरण 1 - प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल राशि का नीचे दिये गये परिवर्तन गुणक से गुणन किया जायेगा :

| अवशिष्ट अवधिपूर्णता | परिवर्तन गुणक |
|---------------------------------|---------------|
| एक वर्ष या उससे कम | 2 प्रतिशत |
| एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक | 10 प्रतिशत |
| पांच वर्ष से अधिक | 15 प्रतिशत |

(ख) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य को अनुबंध 9 के भाग घ में चरण 2 में दिये गये अनुसार संबंधित प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा :

2.5.4 ब्याज दर से संबंधित संविदाओं के लिए सीआरएआर की गणना :

ब्याज दर संविदाओं में एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप, आधार (बेसिस) स्वैप, फॉर्वाड रेट करार, ब्याज दर फ्यूचर्स, खरीदे गये ब्याज दर ऑप्शन्स और इसी तरह की अन्य संविदाएं शामिल होंगी। तुलनपत्र से इतर अन्य मदों की भांति नीचे निर्धारित दो चरण वाली गणना लागू की जायेगी:

(क) चरण 1 - प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल राशि को नीचे दिये गये प्रतिशतों से गुणा किया जायेगा :

| अवशिष्ट अवधिपूर्णता | परिवर्तन गुणक |
|---------------------------------|---------------|
| एक वर्ष या उससे कम | 0.5 प्रतिशत |
| एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक | 1.0 प्रतिशत |
| पांच वर्ष से अधिक | 3.0 प्रतिशत |

(ख) चरण 2 - इस प्रकार प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य को अनुबंध 9 के भाग 1 घ में चरण 2 में दिए गए अनुसार संबद्ध प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा।

2.5.5 बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का योग

पूंजी प्रभार का योग करने से पूर्व विशिष्ट जोखिम तथा सामान्य बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भारों की अलग से गणना की जाए। बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए सारणी 2 में दिए गए प्रोफार्मे का प्रयोग किया जाए :

सारणी-2: बाजार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार

(करोड़ रुपये में)

| जोखिम श्रेणी | पूंजी प्रभार |
|--|--------------|
| I. ब्याज दर (क + ख) | |
| क. सामान्य बाज़ार जोखिम | |
| • निवल स्थिति (पैरेलल शिफ्ट) | |
| • हॉरिज़ॉन्टल डिसएलाउअॅन्स (कर्वेचर) | |
| • वर्टिकल / डिसएलाउअॅन्स (बेसिस) | |
| • ऑप्शन्स | |
| ख. विशिष्ट जोखिम | |
| II. ईक्विटी (क + ख) | |
| क. सामान्य बाज़ार जोखिम | |
| ख. विशिष्ट जोखिम | |
| III. विदेशी मुद्रा तथा सोना | |
| IV. बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार (I+II+III) | |

2.5.6. कुल जोखिम-भारित आस्तियों तथा पूंजी अनुपात की गणना

2.5.6.1. बैंकिंग बही में ऋण जोखिम के लिए तथा सभी ओटीसी डेरिवेटिव्स पर काउन्टर पार्टि ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों की गणना करे।

2.5.6.2 उपर्युक्त प्रोफॉर्मा के अनुसार प्राप्त पूंजी प्रभार को $100 \div 9$ से गुणा करके बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को आनुमानिक जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित करें (सीआरएआर की वर्तमान अपेक्षा 9% है तथा इसलिए पूंजी प्रभार को $(100 \div 9)$ से गुणा करके आनुमानिक जोखिम भारित आस्तियां प्राप्त की जाती हैं)

2.5.6.3 उपर्युक्त 2.4.6.1 के अनुसार ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों तथा उपर्युक्त 2.4.6.2 के अनुसार खरीद-बिक्री बही के आनुमानिक जोखिम भारित आस्तियों को जोड़कर बैंक के लिए कुल जोखिम-भारित आस्तियां प्राप्त करें।

2.5.6.4 रखी गयी विनियामक पूंजी तथा जोखिम-भारित आस्तियों के आधार पर पूंजी अनुपात की गणना करें।

2.5.7 बाज़ार जोखिम के लिए उपलब्ध पूंजी की गणना :

बाज़ार जोखिम के समर्थन हेतु उपलब्ध पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण जोखिम के समर्थन के लिए आवश्यक पूंजी को कुल पूंजी निधि से घटाया जाए। यह नीचे सारणी 3 में दिया गया है:

सारणी 3: बाजार जोखिम के लिए पूंजी की गणना

(करोड़ रुपये में)

| | | | |
|---|---|-------------|------|
| 1 | पूंजी निधि <ul style="list-style-type: none"> ▪ टियर I पूंजी ▪ टियर II पूंजी | 55 50 | 105 |
| 2 | कुल जोखिम भारित आस्तियां <ul style="list-style-type: none"> ▪ ऋण जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए ▪ बाजार जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए | 1000 140 | 1140 |
| 3 | कुल सीआरएआर | | 9.21 |
| 4 | ऋण जोखिम के समर्थन के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी (1000*9%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ टियर I- 45 (1000 के 4.5 % की दर से) ▪ टियर II- 45 (1000 के 4.5 % की दर से). | 45 45 | 90 |
| 5 | बाजार जोखिम के समर्थन के लिए उपलब्ध <ul style="list-style-type: none"> ▪ टियर I- (55-45) ▪ टियर II- (50-45) | 10 5 | 15 |

2.5.8 उदाहरण

ऋण तथा बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार के अभिकलन के लिए दो उदाहरण अनुबंध 10 में दिए गए हैं।

टियर I पूंजी के भाग के रूप में बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) संबंधी दिशानिर्देश

1. निर्गम की शर्तें

1.1. सीमाएं

नवोन्मेषी टियर 1 लिखतों सहित टियर अधिमान शेयरों की बकाया राशि किसी भी समय कुल टियर पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सीमा सुनाम तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद लेकिन, निवेशों के घटाने से पूर्व, टियर पूंजी की राशि पर आधारित होगी। 40 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा से अधिक टियर अधिमान शेयरों का निर्गम टियर पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, उच्चतर टियर पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र होगा; लेकिन निवेशकों के अधिकारों और दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

1.2 राशि

बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों द्वारा जुटायी जानेवाली राशि के संबंध में निर्णय बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

1.3 परिपक्वता अवधि

पीएनसीपीएस बेमीयादी होंगे।

1.4 विकल्प

- (i) पीएनसीपीएस 'पुट ऑप्शन' अथवा 'स्टेप अप ऑप्शन' सहित निर्गमित नहीं किये जाएंगे।
- (ii) लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक किसी तारीख विशेष को कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं;
 - (क) लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति लिखत के कम-से-कम 10 वर्ष तक चलते रहने पर दी जाएगी; तथा
 - (ख) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा।

1.5 लाभांश

निवेशकों को देय लाभांश की दर या तो निश्चित दर होगी अथवा बाज़ार निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संबंधित अस्थिर दर होगी।

1.6 लाभांश का भुगतान

(क) निर्गमकर्ता बैंक चालू वर्ष की आय में से वितरण योग्य अधिशेष की उपलब्धता के अधीन लाभांश अदा कर सकेगा, साथ ही वह ऐसा तभी कर सकेगा जब:

(i) बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो;

(ii) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे;

(iii) लाभांश के छमाही भुगतान के मामले में पिछले वर्ष के अंत के तुलन पत्र में संचित हानि न हो, तथा

(iv) लाभांश के वार्षिक भुगतान के मामले में चालू वर्ष के तुलन पत्र में कोई संचित हानि न हो।

(ख) लाभांश संचयी नहीं होगा अर्थात् किसी एक वर्ष में न दिये गये लाभांश को आगे के वर्षों में अदा नहीं किया जाएगा चाहे पर्याप्त लाभ उपलब्ध हो और सीआरएआर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा के अनुरूप हो। जब विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर लाभांश अदा किया जाता है तब अदत्त राशि आगामी वर्षों में नहीं चुकाई जाएगी, चाहे पर्याप्त लाभ की स्थिति हो और सीआरएआर का स्तर विनियामक न्यूनतम अपेक्षा के अनुकूल हो।

(ग) उपर्युक्त (क) में दी गयी शर्तों के परिणामस्वरूप लाभांश की अदायगी न होने/विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर लाभांश की अदायगी होने के सभी मामले निर्गमकर्ता बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

1.7 दावों की वरिष्ठता

पीएनसीपीएस में निवेशकों के दावे ईक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ माने जाएंगे तथा अन्य सभी लेनदारों और देनदारों के दावों से गौण होंगे।

1.8 अन्य शर्तें

(क) पीएनसीपीएस पूर्णतया चुकता, गैर-जमानती तथा सभी प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होना चाहिए।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश क्रमशः निर्गम के 49% तथा निर्गम के 24% की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10% से अधिक न हो तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के 5% से अधिक न हो। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश रुपये में मूल्यवर्गित कार्पोरेट ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) सीमा से बाहर होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयरों और ईक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता सांविधिक/ विनियामक सीमा के अधीन होगी।

(ग) बैंकों को लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का, यदि कोई हो, अनुपालन करना चाहिए।

2. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन

(क) आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के उद्देश्य से बैंक की विभिन्न शाखाओं या अन्य बैंकों द्वारा निर्गम के लिए संगृहीत तथा टियर I अधिमान शेयरों के आबंटन को अंतिम रूप दिये जाने तक रखी गयी निधि को गणना में लेना होगा।

(ख) तथापि, बैंक द्वारा पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा जुटायी गई कुल राशि आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में नहीं मानी जाएगी और इस प्रकार इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

3. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

3.1 पीएनसीपीएस निर्गमित करनेवाले बैंकों को निर्गम पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रस्ताव दस्तावेज़ की प्रति के साथ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को उपर्युक्त मद 1 में विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों तथा जुटायी गयी पूंजी के ब्योरे सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

3.2 बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों से टियर I पूंजी के पात्र पीएनसीपीएस के तौर पर जुटायी गयी राशि के निर्गम-वार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के भीतर इस अनुबंध के अंत में दिए गए प्रोफार्मा में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 रिपोर्ट किया जाना चाहिए। स्टाक एक्सचेंज के फ्लोर पर इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा द्वितीयक बाज़ार में की गयी बिक्री/खरीद के ब्योरे क्रमशः अभिरक्षकों तथा प्राधिकृत बैंकों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 3

मई 2000 की फेमा अधिसूचना संख्या 20 की अनुसूची 2 और 3 में निर्धारित एलईसी रिटर्न की सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से दैनिक आधार पर रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

4. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों में निवेश

(क) 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 के द्वारा निर्धारित निवेशक बैंक की पूंजी निधि की 10 प्रतिशत की समग्र सीमा के अनुपालन की गणना करने के लिए किसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीएनसीपीएस में किया गया निवेश पूंजी स्थिति के लिए पात्र अन्य लिखतों में उसके निवेश के साथ गिना जाएगा।

(ख) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेश पर पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

(ग) अन्य बैंकों के पीएनसीपीएस में किसी बैंक के निवेश को पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र के तौर पर माना जाएगा तथा इस संबंध में पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा का अनुपालन किया जाना होगा।

5. टियर 1 अधिमान शेयरों के बदले अग्रिमों की मंजूरी

बैंकों को स्वयं उनके द्वारा जारी पीएनसीपीएस की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करना चाहिए।

6. तुलनपत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा उन्हें तुलनपत्र की 'अनुसूची I-पूंजी' के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

रिपोर्टिंग फार्मेट
(अनुबंध -1 का पैरा 3(2) देखें)

टियर - I पूंजी के रूप में पात्र बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों (पी एन सी पी एस) में विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश का ब्योरा

क. बैंक का नाम:

ख. कुल निर्गम का आकार/जुटाई गई राशि (रुपये में):

ग. जारी करने की तारीख:

| विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) | | | अनिवासी भारतीय (एनआरआई) | | |
|---------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|--|
| एफआइआइ की संख्या | जुटाई गई राशि | | एनआरआई की संख्या | जुटाई गई राशि | |
| | रुपये में | कुल निर्गम की मात्रा की प्रतिशतता के रूप में | | रुपये में | कुल निर्गम की मात्रा की प्रतिशतता के रूप में |
| | | | | | |

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- (i) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया कुल निवेश निर्गम की मात्रा के 49 प्रतिशत से अधिक न हो तथा किसी भी वैयक्तिक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा किया गया निवेश निर्गम की मात्रा के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (ii) सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया कुल निवेश निर्गम की मात्रा के 24 प्रतिशत से अधिक न हो तथा किसी भी अनिवासी भारतीय द्वारा किया गया निवेश निर्गम की मात्रा के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

दिनांक

बैंक की मुहर

**टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु नवोन्मेषी बेमीयादी
ऋण लिखत पर लागू शर्तें**

नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतों (नवोन्मेषी लिखत), जो बांडों या डिबेंचरों के रूप में भारतीय बैंक जारी कर सकते हैं, को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र बनने हेतु निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना चाहिए:

1. भारतीय रुपयों में नवोन्मेषी लिखतों को जारी करने की शर्तें

- i) राशि: नवोन्मेषी लिखतों द्वारा जुटाई जानेवाली राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाए।
- ii) सीमाएं: बैंक द्वारा नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से प्राप्त की गई कुल राशि कुल टियर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टियर 1 पूंजी की राशि के संदर्भ में पैरा 4.4 के अनुसार गुडविल, डीटीए तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर, लेकिन निवेशों को घटाने से पहले पात्र राशि की गणना की जाएगी। उपर्युक्त सीमा से अधिक नवोन्मेषी लिखत टियर 1 के अंतर्गत शामिल करने के पात्र होंगे जो टियर 1 पूंजी के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन होंगे। तथापि, निवेशकों के अधिकार तथा दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- iii) परिपक्वता अवधि: नवोन्मेषकारी लिखत निरंतर बने रहेंगे।
- iv) ब्याज दर: निवेशकों को देय ब्याज दर नियत दर या बाज़ार द्वारा निर्धारित रुपया ब्याज बेंचमार्क दर से संबद्ध अस्थायी दर पर होगी।
- v) विकल्प: नवोन्मेषी लिखतों को 'पुट ऑप्शन' अथवा 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं किया जाएगा। तथापि बैंक 'कॉल ऑप्शन' के साथ लिखत जारी कर सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक का सख्ती से अनुपालन हो:

(क) लिखत कम-से-कम दस वर्षों तक चलने के बाद ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाए; तथा

(ख) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) की पूर्वानुमति से ही कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया जाए। कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉल

ऑप्शन का प्रयोग करते समय और कॉल ऑप्शन प्रयोग करने के बाद, बैंक की सीआरएआर स्थिति को ध्यान में रखेगा।

vi) लॉक-इन शर्त :

(क) नवोन्मेषी लिखत लॉक-इन शर्त पर होंगे जिसके अनुसार जारीकर्ता बैंक को ब्याज की देयता नहीं होगी, यदि

- i) बैंक का सीआरएआर, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं से कम है; अथवा
- ii) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर कम हो जाए या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं से कम हो जाए।

(ख) तथापि, बैंक, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, जब ऐसे भुगतान से निवल हानि हो या निवल हानि में वृद्धि हो बशर्ते सीआरएआर विनियामक मानदंड से अधिक हो।

(ग) ब्याज संचयी नहीं होगा।

(घ) बैंकों द्वारा लॉक-इन शर्त का प्रयोग करने के हर मौके पर जारीकर्ता बैंक को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित करना चाहिए।

vii) दावों की वरिष्ठता : नवोन्मेषी लिखतों में निवेशकों के दावे निम्नलिखित होंगे :

- क) इक्विटी शेयरों में निवेशकों के दावों से वरिष्ठ; तथा
- ख) अन्य सभी ऋणकर्ताओं के दावों से अधीनस्थ

viii) डिस्काउंट : नवोन्मेषी लिखतों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए उत्तरोत्तर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये निरंतर हैं।

ix) अन्य शर्तें

क) नवोन्मेषी लिखत पूर्णतः भुगतान किए गए, अप्रतिभूतित और प्रतिबंधित शर्तें रहित होना चाहिए।

ख) भारतीय रुपयों में जारी नवोन्मेषी लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी ऋण लिखतों में निवेश के लिए तयशुदा रुपया मूल्यांकित कंपनी ऋण के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) सीमा से बाहर होंगे। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की समग्र सीमा में होंगे, बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं निवेश करता है।

(ग) बैंकों को इन लिखतों के संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।

2. विदेशी मुद्रा में नवोन्मेषी लिखतों के निर्गम की शर्तें

अपनी पूंजी निधि को बढ़ाने के लिए बैंक विदेशी मुद्रा में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नवोन्मेषी लिखत जारी कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो:

- i) विदेशी मुद्रा में जारी नवोन्मेषी लिखतों को भारतीय रुपयों में जारी लिखतों पर लागू होनेवाली सभी शर्तों का अनुपालन करना चाहिए।
- ii) पात्रता राशि का अधिकतम 49 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है।
- iii) विदेशी मुद्रा में जारी नवोन्मेषी लिखत विदेशी मुद्रा उधारों की सीमाओं के अतिरिक्त होंगे जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

क) विदेशी मुद्रा में जारी अपर टियर II लिखतों की कुल राशि अक्षत टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पात्र राशि पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद

लेकिन इस मास्टर परिपत्र के पैरा 2.1.4.2(क) के अनुसार निवेशों के घटाने से पहले टियर I की राशि के संदर्भ में संगणित की जाएगी।

ख) यह, जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक व्यवहार पर मास्टर परिपत्र के अनुसार प्राधिकृत विक्रेताओं (एडी) के लिए विदेशी मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त होगी।

3. रिज़र्व अपेक्षाओं का अनुपालन

किसी बैंक द्वारा नवोन्मेषी लिखतों के माध्यम से अर्जित कुल राशि को रिज़र्व अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं के आकलन के लिए देयता के रूप में गणना नहीं की जाएगी तथा इसलिए इन पर सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।

4. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

नवोन्मेषी लिखत जारी करनेवाले बैंकों को निर्गम पूर्ण हो जाने के बाद जुटाये गये ऋण के विवरणों के साथ एक रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उपर्युक्त पैरा I में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों के साथ ऑफर दस्तावेज की एक प्रति भी शामिल होनी चाहिए।

5. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों में निवेश

i) अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नवोन्मेषी लिखतों में किसी बैंक के निवेश की गणना पूंजी स्थिति के लिए पात्र ऐसे अन्य लिखतों में निवेश के साथ 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा निर्धारित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की क्रॉस होल्डिंग के लिए कुल निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत के अनुपालन की गणना करते समय तथा क्रॉस होल्डिंग सीमाओं के अधीन की जाएगी।

ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए नवोन्मेषी लिखतों में बैंक के निवेश करने पर पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए इस मास्टर परिपत्र के पैरा 2.1.6(iv) में निर्धारित किए गए अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

6. नवोन्मेषी लिखतों की प्रतिभूति पर अग्रिमों की मंजूरी

बैंकों को अपने द्वारा जारी किए गए नवोन्मेषी लिखतों की प्रतिभूति के बदले अग्रिम मंजूरी नहीं करना चाहिए।

7. तुलन पत्र में वर्गीकरण

बैंक नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों के निर्गम से जुटायी गयी राशि को तुलन पत्र में अनुसूची 4 "उधार" के अंतर्गत दर्शाए।

**उच्चतर टियर II की पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए
पात्र होने के लिए ऋण पूंजी लिखतों पर लागू शर्तें**

भारतीय बैंकों द्वारा बांड/डिबेंचर्स जारी किए जाने वाले ऋण पूंजी लिखतों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से उच्चतर टियर II की पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा।

1. उच्चतर टियर II पूंजी लिखतों के निर्गम की शर्तें

i) निर्गम की मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लिये बिना विदेशी मुद्रा में लिखत जारी किये जा सकते हैं, बशर्तें निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है :

क. विदेशी मुद्रा में जारी उच्चतर टियर II लिखतों के लिए 25 जनवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तों (स्टेप-अप ऑप्शन को छोड़कर) का अनुपालन करना चाहिए, बशर्तें विनिर्दिष्ट रूप से उनमें परिवर्तन न किया गया हो।

ख. विदेशी मुद्रा में जारी उच्चतर टियर II लिखतों की कुल राशि अक्षत टियर I पूंजी के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को टियर I पूंजी के संदर्भ में की जाएगी, जिसमें से गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाया जाएगा, परंतु निवेशों को घटाने के पहले की राशि ली जाएगी।

ग. यह जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक व्यवहार पर 1 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र आरबीआइ/2006-07/24 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा लिये जानेवाले विदेशी मुद्रा उधार की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त है।

घ. भारतीय रुपये में जुटाये गये उच्चतर टियर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश कार्पोरेट ऋण लिखत में निवेश की सीमा से बाहर होगा। लेकिन इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक अलग सीमा के अधीन होगा।

ii) राशि

उच्चतर टियर II के लिखतों के अंतर्गत जुटायी जानेवाली कुल राशि बैंकों का निदेशक मंडल निर्धारित करेगा।

iii) सीमाएं

उच्चतर टियर II के लिखत तथा टियर I की पूंजी के अन्य घटक मिलाकर टियर I की पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। उपर्युक्त सीमा टियर I की पूंजी में से साख तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद तथा निवेशों को घटाने के पूर्व की राशि पर आधारित होगी।

iv) परिपक्वता अवधि

उच्चतर टियर II लिखतों की परिपक्वता अवधि न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए।

v) ब्याज दर

निवेशकों को देय ब्याज या तो निश्चित दर अथवा बाज़ार निर्धारित रुपया ब्याज आधारभूत दर से संदर्भित अस्थायी दर पर होगा।

vi) विकल्प

उच्चतर टियर II के लिखत 'विक्रय विकल्प' अथवा 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ जारी नहीं होंगे। तथापि बैंक ये लिखत निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक शर्त का कड़ा अनुपालन करने की शर्त के अधीन 'क्रय विकल्प' के साथ जारी कर सकते हैं:

- क्रय विकल्प केवल तब प्रयोग में लाया जाएगा, जब वह लिखत कम-से-कम 10 वर्ष तक प्रचलित हो;
- भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन के साथ ही क्रय विकल्प प्रयोग में लाया जाएगा। क्रय विकल्प के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बातों के साथ क्रय विकल्प के प्रयोग के समय तथा क्रय विकल्प का प्रयोग करने के बाद, दोनों समय पर बैंक की सीआरएआर की स्थिति को ध्यान में लेगा।

vii) अवरुद्धता खंड

क. उच्चतर टियर II के लिखत अवरुद्धता की शर्त के अधीन होंगे जिसके अनुसार बैंक परिपक्वता के बाद भी ब्याज अथवा मूल धन अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, यदि:

- बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम है; अथवा
- अदायगी के कारण बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम हो जाता है अथवा कम बना रहता है।

ख. तथापि, जब ऐसी अदायगी के परिणामस्वरूप निवल हानि हो अथवा निवल हानि में वृद्धि हो तो बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ब्याज का भुगतान कर सकते हैं बशर्ते सीआरएआर विनियामक मानदंड से अधिक रहता है।

ग. ब्याज की देय तथा अदत्त रहनेवाली रकम बाद के वर्षों में नकद/चेक से अदा करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि बैंक उपर्युक्त विनियामक अपेक्षा का अनुपालन करता है। ऐसा अदत्त ब्याज तथा मूलधन अदा करते समय बैंकों को बकाया मूल धन तथा ब्याज पर संबंधित उच्चतर टियर II के बाण्ड की कूपन दर से अनधिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज अदा करने की अनुमति है।

घ. जारीकर्ता बैंकों को चाहिए कि वे अवरुद्धता की शर्त को लागू किए जाने के सभी मामलों के बारे में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को अधिसूचित करें।

viii) *दावे की वरिष्ठता*

उच्चतर टियर II के लिखतों में निवेशकों के दावे

- टियर I की पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेश करने वालों के दावों से वरिष्ठ होंगे; तथा
- सभी अन्य ऋणदाताओं के दावों से गौण होंगे।

ix) *बढ़ा*

उच्चतर टियर II के लिखतों पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए दीर्घावधि अधीनस्थ ऋण के मामले में दिये जानेवाले बढ़े के समान ही उनकी अवधि के अंतिम पांच वर्षों के दौरान प्रगामी बढ़ा लागू होगा। टियर II की पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने के लिए जैसे उनकी परिपक्वता अवधि नजदीक आती है वैसे ही इन लिखतों पर नीचे दी गयी सारणी के अनुसार प्रगामी बढ़ा लगाया जाना चाहिए :

| लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि | बड़े की दर (प्रतिशत में) |
|--|--------------------------|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम | 80 |
| दो वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम | 60 |
| तीन वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम | 40 |
| चार वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम | 20 |

x) प्रतिदान/भोचन

उच्चतर टियर II के लिखत धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं होंगे। सभी प्रतिदान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से होंगे।

xi) अन्य शर्तें

- उच्चतर टियर II के लिखत पूर्णतः प्रदत्त, गैर-जमानती तथा किसी भी प्रकार के प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त होने चाहिए।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा उच्चतर टियर II के लिखतों में निवेश, ऋण लिखतों में निवेश के लिए ईसीबी नीति में निर्धारित सीमाओं के भीतर होंगे। इसके अलावा अनिवासी भारतीय भी विद्यमान नीति के अनुसार इन लिखतों में निवेश के लिए पात्र होंगे।
- इन लिखतों को जारी करने के मामले में बैंकों को सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तें यदि कोई हो तो, का अनुपालन करना चाहिए।

2. आरक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन

- बैंक की विभिन्न शाखाओं अथवा अन्य बैंकों द्वारा निर्गम के लिए प्राप्त तथा उच्चतर टियर II के लिखत के आबंटन को अंतिम रूप दिये जाने तक लंबित रखी गयी निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना के प्रयोजन से ध्यान में लेना होगा।
- उच्चतर टियर II के लिखत के माध्यम से बैंक द्वारा जुटायी गयी कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना के प्रयोजन के लिए निवल मांग तथा मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा तथा इसलिए उसपर सीआरआर/ एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

3. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

उच्चतर टियर II के लिखत जारी करनेवाले बैंकों को निर्गम पूर्ण होते ही भारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें जुटाये गये ऋण के ब्योरे तथा उपर्युक्त मद 1 में निर्दिष्ट निर्गम की शर्तों की विस्तृत जानकारी दी गयी हो तथा उससे प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतिलिपि भी संलग्न हो।

4. अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी उच्चतर टियर II के लिखतों में निवेश

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूंजी की परस्पर धारिता के लिए 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा निर्धारित की गयी 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में निवेश के साथ अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये उच्चतर टियर II बैंक के निवेश को भी गिना जाएगा तथा वह परस्पर धारिता सीमाओं के अधीन भी होगा।
- अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये उच्चतर टियर II लिखतों में बैंक के निवेश पर पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5. उच्चतर टियर II के लिखतों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना

बैंकों को उनके द्वारा जारी किये गये उच्चतर टियर II के लिखतों की जमानत पर अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

बैंक अपने तुलन पत्र में व्याख्यात्मक टिप्पणी/अभ्युक्तियों के द्वारा तथा अनुसूची 4 - 'उधार' के अंतर्गत "बांड/डिबेंचर के रूप में जारी" संकर ऋण पूंजी लिखत शीर्ष के अंतर्गत भी उच्चतर टियर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि दर्शाएं।

उच्चतर टियर II पूंजी के भाग के रूप में बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) पर लागू शर्तें

1. निर्गम की शर्तें

1.1 लिखतों की विशेषताएं

(क) ये लिखत बेमियादी (पीसीपीएस) अथवा दिनांकित (आरएनसीपीएस और आरसीपीएस) हो सकते हैं जिनकी नियत परिपक्वता अवधि न्यूनतम 15 वर्ष होगी।

(ख) बेमियादी लिखत संचयी होंगे। दिनांकित लिखत संचयी अथवा असंचयी हो सकते हैं।

1.2 सीमा

टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ इन लिखतों की बकाया राशि किसी भी समय टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उक्त सीमा सुनाम तथा अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने से पूर्व की टियर I पूंजी की राशि पर आधारित होगी।

1.3 राशि

राशि जुटाने के संबंध में निर्णय बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

1.4 विकल्प

(i) इन लिखतों को किसी 'पुट ऑप्शन' अथवा 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ निर्गमित नहीं किया जाएगा।

(ii) लेकिन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक किसी तारीख विशेष को कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं।

(क) लिखत पर कॉल ऑप्शन की अनुमति लिखत के कम-से-कम 10 वर्ष तक चलते रहने पर दी जाएगी; तथा

(ख) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा।

1.5 कूपन

निवेशकों को देय कूपन की दर या तो निश्चित दर होगी अथवा बाज़ार निर्धारित रुपया ब्याज बैंच मार्क दर से संबंधित अस्थिर दर होगी।

1.6 कूपन का भुगतान

1.6.1 इन लिखतों पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाएगा और तदनुसार लाभ-हानि लेखे में नामे डाला जाएगा। तथापि, यह केवल तब देय होगा जब,

(क) बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो;

(ख) ऐसे भुगतान के प्रभाव के कारण बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे;

(ग) बैंक को कोई निवल हानि न हुई हो। इस प्रयोजन हेतु निवल हानि की परिभाषा (i) पिछले वित्तीय वर्ष /छमाही के अंत में, जैसी स्थिति हो, संचित हानि; अथवा (ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई हानि के रूप में की गई है।

(घ) पीसीपीएस तथा आरसीपीएस के मामले में अदत्त/अंशतः अदत्त कूपन को देयता के रूप में माना जाएगा। ब्याज की देय तथा अदत्त रहने वाले राशि को अगले वर्षों में भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते बैंक उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(ङ) आरएनसीपीएस के मामले में, यदि पर्याप्त लाभ उपलब्ध भी हो और सीआरएआर का स्तर विनियामक न्यूनतम के अनुरूप हो तो भी आस्थगित कूपन का भुगतान आगामी वर्षों में नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि पर्याप्त लाभ की स्थिति है और सीआरएआर का स्तर विनियामक न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप है तो बैंक विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर कूपन का भुगतान कर सकते हैं।

1.6.2 ब्याज का भुगतान न किए जाने /विनिर्दिष्ट दर से कम दर पर ब्याज की दर की अदायगी किए जाने के सभी मामले निर्गमकर्ता बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों को सूचित किए जाने चाहिए।

1.7 उच्चतर टियर II पूंजी में शामिल किए गए प्रतिदेय अधिमान शेयरों का मोचन/चुकौती

1.7.1 ये सभी लिखत धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं होंगे।

1.7.2 परिपक्वता पर इन लिखतों का मोचन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा:

(क) बैंक का सीआरएआर भारिबैं द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक हो,

(ख) ऐसे भुगतान के परिणामस्वरूप बैंक का सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से कम न हो जाए अथवा कम न बना रहे।

1.8 दावे की वरिष्ठता

इन लिखतों में निवेश करनेवालों के दावे टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र लिखतों में निवेश करनेवालों के दावों से वरिष्ठ होंगे तथा सभी अन्य ऋणदाताओं, जिनमें निम्नतर टियर II के ऋणदाता तथा जमाकर्ता शामिल हैं, के दावों से गौण होंगे। उच्चतर टियर II में सम्मिलित विभिन्न लिखतों के निवेशकों के बीच उनके दावों की वरिष्ठता एक दूसरे के समान होगी।

1.9 सीआरएआर की गणना के प्रयोजन के लिए परिशोधन

नीचे दी गयी सारणी में दर्शाए गए अनुसार टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने के लिए उनकी परिपक्वता अवधि निकट आने के समय अंतिम पांच वर्ष के दौरान पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए प्रतिदेय अधिमान शेयरों (संचयी तथा असंचयी, दोनों) पर प्रगामी बड़ा लगाया जाएगा।

| लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि | बड़े की दर (प्रतिशत में) |
|--|-----------------------------|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम | 80 |
| दो वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम | 60 |
| तीन वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम | 40 |
| चार वर्ष तथा उससे अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम | 20 |

1.10 अन्य शर्तें

(क) ये लिखत पूर्णतया चुकता, गैर-जमानती तथा सभी प्रकार की प्रतिबंधक शर्तों से मुक्त होने चाहिए।

(ख) विदेशी संस्थागत निवेशक और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश निर्गम के क्रमशः 49 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होने चाहिए बशर्ते प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक न हो तथा प्रत्येक अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न हो। इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश रुपये में मूल्यवर्गित कापॉरिट ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) सीमा से बाहर होगा। तथापि, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश अलग सीमा के अधीन होगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिमान शेयरों और ईक्विटी शेयरों की समग्र अनिवासी धारिता सांविधिक/विनियामक सीमा के अधीन होगी।

(ग) बैंकों को चाहिए कि वे लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी / अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा यदि कोई शर्तें निर्धारित की गई हों तो उनका अनुपालन करें।

2. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन

(क) निर्गम के लिए बैंक अथवा अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा संगृहीत की गयी तथा इन लिखतों के आबंटन को अंतिम रूप दिए जाने तक धारित निधियों को आरक्षित निधि अपेक्षाओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए विचार में लेना होगा।

(ख) इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से बैंक द्वारा जुटाई गयी कुल राशि को आरक्षित निधि अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग तथा मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में समझा जाएगा और इसलिए उस पर सीआरआर /एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी।

3. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

उक्त लिखत जारी करने वाले बैंकों को चाहिए कि वे जुटाये गये ऋण के ब्यौरे तथा प्रस्ताव दस्तावेज़ की प्रतिलिपि सहित उक्त मद 1 पर विनिर्दिष्ट निर्गम की शर्तों के ब्यौरे देते हुए, संबंधित निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद एक रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्रस्तुत करें।

4. अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में निवेश

(क) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में किसी बैंक के निवेश को 6 जुलाई 2004 के परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/21.01.002/2004-05 द्वारा विनिर्दिष्ट, निवेशकर्ता बैंकों की पूंजी के 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के साथ अनुपालन की गणना करते समय पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में किये गये निवेश के साथ गिना जाएगा तथा ये परस्पर धारिता सीमाओं के भी अधीन होंगे।

(ख) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी इन लिखतों में किसी बैंक के निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए शत-प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

5. इन लिखतों की जमानत पर अग्रिमों की मंजूरी

बैंकों को अपने द्वारा जारी इन लिखतों की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करने चाहिए।

6. तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को तुलन पत्र पर मद सं. 1 के रूप में अनुसूची 4 - उधार के अंतर्गत उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

टियर - II पूंजी जुटाने हेतु बैंकों द्वारा
गौण ऋण के रूप में गैर जमानती बांड जारी करना

1. बांड जारी करने की शर्तें

टियर-II की पूंजी में शामिल होने की पात्रता के लिए गौण ऋण के रूप में जारी होने वाले बांडों की शर्तें निम्नलिखित के अनुसार होनी चाहिए:

(क) राशि

गौण ऋण की राशि बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा निश्चित की जानी चाहिए।

(ख) परिपक्वता अवधि

(i) पांच वर्ष से कम प्रारंभिक परिपक्वता वाले या एक वर्ष की शेष अवधि वाले गौण ऋण लिखतों को टियर-II की पूंजी के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अवधि पूर्णता के अनुसार उन पर नीचे दी गयी दरों पर प्रगामी रूप से बट्टा लगाया जाना चाहिए:

| लिखतों की शेष अवधि | बट्टा दर (%) |
|--------------------------------------|--------------|
| एक वर्ष से कम | 100 |
| एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम | 80 |
| दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम | 60 |
| तीन वर्ष से अधिक तथा चार वर्ष से कम | 40 |
| चार वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम | 20 |

(ii) बांडों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होनी चाहिए। तथापि, यदि बांड वर्ष की अंतिम तिमाही में अर्थात् 1 जनवरी से 31 मार्च तक जारी किये जायें तो उनकी न्यूनतम अवधि 63 माह होनी चाहिए।

(ग) ब्याज दर

कूपन दर का निर्धारण बैंकों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

घ) कॉल ऑप्शन

गौण ऋण लिखतों को किसी 'पुट ऑप्शन' अथवा 'स्टेप-अप ऑप्शन' के साथ निर्गमित नहीं किया जाएगा। तथापि, बैंक निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कॉल ऑप्शन के साथ लिखत जारी कर सकते हैं :

- (i) कॉल ऑप्शन का प्रयोग लिखत के कम-से-कम 5 वर्ष तक चलते रहने के बाद किया जाए; तथा
- (ii) कॉल ऑप्शन का प्रयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते समय तथा उसके बाद बैंक की सीआरएआर स्थिति को विचार में लेगा।

(ङ) अन्य शर्तें :

- (i) लिखत पूर्णतः चुकता, बेजमानती, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त होने चाहिए तथा वे धारक की पहल पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होने चाहिए।
- (ii) अनिवासी भारतीयों/एफआइआइ को जारी किये जाने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग से आवश्यक अनुमति ली जानी चाहिए।
- (iii) बैंकों को चाहिए कि अगर सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा इन लिखतों के निर्गम के संबंध में कोई शर्तें निर्धारित की गयी हों तो वे उनका पालन करें।

2. टियर II पूंजी में शामिल करना

गौण ऋण लिखत बैंक की टियर - 1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे। टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ ये लिखत टियर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

3. बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करना

बैंकों को अपने स्वयं के बांडों की जमानत पर अग्रिम प्रदान नहीं करने चाहिए।

4. आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं का पालन

बैंक द्वारा जुटायी गयी गौण ऋण की कुल राशि को आरक्षित निधि की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा और इस प्रकार उस पर सीआरआर/एसएलआर संबंधी अपेक्षाएं लागू होंगी।

5. गौण ऋण में निवेश पर कार्रवाई

बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के गौण ऋण में निवेशों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए 100% जोखिम भार दिया जायेगा। साथ ही, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टियर II बांडों में बैंक का कुल निवेश निवेशकर्ता बैंक की कुल पूंजी की 10 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होगा। इस प्रयोजन के लिए पूंजी वही होगी जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए गिनी जाती है।

6. भारतीय बैंकों द्वारा जुटाया गया विदेशी मुद्रा में गौण ऋण

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से मामला-दर मामला आधार पर अनुमोदन ले सकते हैं।

7. खुदरा निवेशकों को गौण ऋण

खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करने वाले बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करें :

क) प्रस्तावित ऋण निर्गम के सामान्य आवेदन पत्र के अंत में नीचे निर्दिष्ट उद्धरण को शामिल किया जाना चाहिए जो यह व्यक्त करता है कि निवेशकों ने लिखत की विशेषता और जोखिमों को समझ लिया है :

"इस आवेदन के द्वारा मैं/हम स्वीकार करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने ढबैंक का नामज् के ढजारी किये जाने वाले लिखत का नामज् के निर्गम की उन शर्तों को समझ लिया है जिन्हें ड्राफ्ट शेलफ प्रॉस्पेक्टस, शेलफ प्रॉस्पेक्टस और श्रृंखला दस्तावेज में प्रकट किया गया है।"

ख) अस्थायी दर वाले लिखतों के लिए बैंकों को अपनी मीयादी जमा दर को बेंचमार्क के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

ग) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन पत्र और निवेशक के साथ अन्य प्रकार के पत्राचार में मोटे अक्षरों में (फॉन्ट आकार 14) स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि गौण बांड किस प्रकार मीयादी जमा से अलग है और विशेष रूप से यह कि इस पर जमा बीमा की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है ।

8. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं

बैंकों को चाहिए कि वे निर्गम पूरा होने के तुरंत बाद ऑफर दस्तावेज की प्रति सहित जुटायी गयी पूंजी के ब्यौरे जैसे जुटायी गयी राशि, लिखत की परिपक्वता, ब्याज दर देते हुए रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

9. तुलन पत्र में वर्गीकरण

इन लिखतों को तुलन पत्र में 'अनुसूची 4 - उधार' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

| क्र. सं. | निवेश का स्वरूप | परिपक्वता | विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (ऋण के % के रूप में) |
|----------|---|-----------|--|
| | सरकार पर दावे | | |
| 1. | सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | समस्त | 0.0 |
| 2. | केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश | समस्त | 0.0 |
| 3. | ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां केन्द्र सरकार ने ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की वापसी की गारंटी दी है। (इनमें इंदिरा /किसान विकास पत्र (आइवीपी/केवीपी) में निवेश तथा ऐसे बॉण्ड तथा डिबेंचरों में निवेश जहां केन्द्र सरकार ने ब्याज तथा मूलधन की वापसी की गारंटी दी है शामिल होंगे।) | समस्त | 0.0 |
| 4. | ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां राज्य सरकार ने ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की वापसी की गारंटी दी है। | समस्त | 0.0 |
| 5. | ऐसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती की केन्द्र /राज्य सरकार की गारंटी नहीं है । | समस्त | 1.80 |
| 6. | ऐसे सरकारी उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जो कि अनुमोदित बाज़ार उधार संबंधी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं। | समस्त | 1.80 |
| 7. | उपर्युक्त मद सं. 2, 4 तथा 6 में शामिल राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश जहां निवेश अनर्जक है। तथापि बैंकों को केवल चूककर्ता संस्थाओं द्वारा जारी की गयी राज्य सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों पर 9.0% पर पूंजी बनाए रखनी होगी और उस राज्य सरकार द्वारा जारी की हुई अथवा | समस्त | 9.00 |

| | | | |
|-----|--|--|-------|
| | गारंटीकृत सभी प्रतिभूतियों पर नहीं। | | |
| 8. | बैंकों पर दावे तथा ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश जिनके ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती की बैंकों ने गारंटी दी है। | परिपक्वता की शेष अवधि छः महीने अथवा उससे कम | 0.30 |
| | | परिपक्वता की शेष अवधि 6 तथा 24 महीनों के बीच | 1.125 |
| | | परिपक्वता की शेष अवधि 24 महीनों से अधिक | 1.80 |
| 9. | अपनी टियर II पूंजी के लिए अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए अधीनस्थ ऋण लिखतों तथा बाण्डों में निवेश | समस्त | 9.00 |
| | अन्यों पर दाव | | |
| 10. | राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त तथा पर्यवेक्षित आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) की आवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश (अनुबंध 10.2 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के अधीन)। | समस्त | 4.50 |
| 11. | 50% जोखिम भार वाले आवास ऋण द्वारा समर्थित बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश | समस्त | 4.50 |
| 12. | किसी मूलभूत सुविधा से संबंधित प्रतिभूतीकृत पेपर में निवेश। | समस्त | 4.50 |
| 13. | प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए स्थापित एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश सहित अन्य सभी निवेश | समस्त | 9.00 |
| 14. | ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बाण्ड, डिबेंचर्स तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसमें पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंड से मुक्त एक्सपोजर भी शामिल हैं। | समस्त | 11.25 |
| 15. | बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश तथा वाणिज्य | समस्त | 13.5 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| | स्थावर संपदा में अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र | | |
| 16. | जोखिम पूंजी निधियों में निवेश | समस्त | 13.5 |
| 17. | प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जारी लिखतों में निवेश | समस्त | 11.25 |
| 18. | प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) संविभाग के अंतर्गत धारित प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश | समस्त | 13.5 |

‘सरकार पर दावा’ श्रेणी में सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां तथा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, खज़ाना बिल तथा अन्य अल्पावधि निवेश तथा लिखत शामिल होंगे जिनके मूलधन तथा ब्याज दोनों की चुकौती की सरकार ने पूर्णतः गारंटी दी हैं। ‘अन्यों पर दावे’ श्रेणी में सरकार तथा बैंकों को छोड़कर प्रतिभूतियों के अन्य जारीकर्ता शामिल होंगे।

अवधि पद्धति

(टाइम बैंड तथा प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन)

| टाइम बैंड | प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन |
|-------------------|-----------------------------|
| क्षेत्र 1 | |
| 1 महीना अथवा कम | 1.00 |
| 1 से 3 महीने | 1.00 |
| 3 से 6 महीने | 1.00 |
| 6 से 12 महीने | 1.00 |
| क्षेत्र 2 | |
| 1.0 से 1.9 वर्ष | 0.90 |
| 1.9 से 2.8 वर्ष | 0.80 |
| 2.8 से 3.6 वर्ष | 0.75 |
| क्षेत्र 3 | |
| 3.6 से 4.3 वर्ष | 0.75 |
| 4.3 से 5.7 वर्ष | 0.70 |
| 5.7 से 7.3 वर्ष | 0.65 |
| 7.3 से 9.3 वर्ष | 0.60 |
| 9.3 से 10.6 वर्ष | 0.60 |
| 10.6 से 12 वर्ष | 0.60 |
| 12 से 20 वर्ष | 0.60 |
| 20 वर्षों से अधिक | 0.60 |

हॉरिजॉन्टल डिसअलाउन्स

| क्षेत्र | टाइम बैंड | क्षेत्रों के भीतर | निकट के क्षेत्रों के बीच | क्षेत्र 1 से क्षेत्र 3 के बीच |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| क्षेत्र 1 | 1 महीना अथवा कम | 40% | 40% | 100% |
| | 1 से 3 महीने | | | |
| | 3 से 6 महीने | | | |
| | 6 से 12 महीने | | | |
| क्षेत्र 2 | 1.0 से 1.9 वर्ष | 30% | 40% | 100% |
| | 1.9 से 2.8 वर्ष | | | |
| | 2.8 से 3.6 वर्ष | | | |
| क्षेत्र 3 | 3.6 से 4.3 वर्ष | 30% | 40% | 100% |
| | 4.3 से 5.7 वर्ष | | | |
| | 5.7 से 7.3 वर्ष | | | |
| | 7.3 से 9.3 वर्ष | | | |
| | 9.3 से 10.6 वर्ष | | | |
| | 10.6 से 12 वर्ष | | | |
| | 12 से 20 वर्ष | | | |
| 20 वर्ष से अधिक | | | | |

टिप्पणी : प्रत्येक मुद्रा के लिए पूंजी भारों की अलग से गणना की जाए तथा फिर उन्हें विरुद्ध चिह्न की स्थितियों के बीच कोई समायोजन न करते हुए जोड़ दिया जाए। उन मुद्राओं के मामले में जिनमें व्यापार नगण्य है (जहां संबंधित मुद्रा में पण्यवर्त (टर्नओवर्ज) समग्र विदेशी मुद्रा पण्यवर्त के 5 प्रतिशत से कम है), वहां प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग गणना आवश्यक नहीं हैं। इसके अलावा, बैंक प्रत्येक समुचित टाइम-बैंड में प्रत्येक मुद्रा की निवल अधिक्रय अथवा खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति प्रविष्ट करें। तथापि, सकल स्थिति आंकड़ा प्राप्त करने के लिए इन अलग-अलग निवल स्थितियों को प्रत्येक टाइम-बैंड में इस बात पर ध्यान दिए बिना जोड़ना है, कि क्या वे अधिक्रय अथवा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां हैं। अवशिष्ट विदेशी मुद्राओं के मामले में प्रत्येक टाइम-बैंड में सकल स्थितियां बिना किसी अतिरिक्त समायोजन के सारणी में दिये गये प्रतिफल में प्रत्याशित परिवर्तन के अधीन होंगी।

ऋण जोखिम के पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम भार

- देशी लेनदेन

क. निधीकृत जोखिम आस्तियां

| क्र. सं. | आस्ति या देयता की मद | जोखिम भार का प्रतिशत |
|----------|---|----------------------|
| I | शेष | |
| 1. | नकद, रिज़र्व बैंक के पास शेष | 0 |
| 2. | i) अन्य बैंकों के पास चालू खाते में शेष | 20 |
| | ii) बैंकों पर दावे | 20 |
| II | निवेश (एचटीएम में धारित प्रतिभूतियों पर लागू) | |
| 1. | सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 0 |
| 2. | केंद्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश टिप्पणी : यदि मद सं. 2, 4 तथा 6 में सम्मिलित राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में मूल धन / ब्याज की चुकौती में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए चूक हुई है तो बैंकों को 102.5 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना चाहिए। परंतु बैंकों को 102.5 प्रतिशत का जोखिम भार केवल राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत उन प्रतिभूतियों पर लगाना चाहिए जिन्हें चूक करने वाली कंपनियों ने जारी किया है, न कि उस राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी या गारंटी दी गयी सभी प्रतिभूतियों पर। | 0 |
| 3. | अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार ने दी है (इनमें इंदिरा/किसान विकास पत्रों में निवेश और बांडों और डिबेंचरों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूल धन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार ने दी है, | 0 |

| | | |
|-----|---|-----|
| | शामिल होंगे)। | |
| 4. | अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकारों ने दी है। | 0 |
| 5. | उन अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र /राज्य सरकार ने नहीं दी है। | 20 |
| 6. | उन प्रतिभूतियों में निवेश, जो सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं | 20 |
| 7. | वाणिज्य बैंकों पर दावे | 20 |
| 8. | अन्य बैंकों द्वारा जारी किये गये बांडों में निवेश | 20 |
| 9. | ब्याज और मूल धन की अदायगी के लिए बैंकों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश | 20 |
| 10. | बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी टियर II की पूंजी के लिए जारी किये गये अधीनस्थ ऋण लिखतों और बांडों में निवेश | 100 |
| 11. | प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी के बदले सिडबी/नाबार्ड/एनएचबी के पास जमाराशियां | 100 |
| 12. | ऐसी आवास वित्त कंपनियों की आवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त और पर्यवेक्षित हों (अनुबंध 10.2 में दी गयी शर्तों के पालन के अधीन) | 75 |
| 13. | 50% जोखिम भार वाले आवास ऋण द्वारा समर्थित बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश | 50 |
| 14. | संरचनात्मक सुविधा से संबंधित प्रतिभूतिकृत लिखत में निवेश (अनुबंध 10.3 में दी गयी शर्तों के पालन के अधीन) | 50 |
| 15. | प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी तथा बैंकों द्वारा निवेश के रूप में धारित किये गये डिबेंचर्स /बाण्ड /प्रतिभूति रसीद / पास थु प्रमाणपत्र में निवेश | 100 |
| 16. | सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों में निवेशों सहित अन्य सभी निवेश | 100 |
| | <i>टिप्पणी</i> : सहायक कंपनियों में ईक्विटी निवेश, अगोचर आस्तियां और हानियां जो टियर I की पूंजी से घटाये गये हैं, उन्हें शून्य भार दिया जाना चाहिए । | |
| 17. | ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बाण्ड, डिबेंचर्स तथा ईक्विटी उन्मुख | 125 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | म्यूच्युअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश, जिनमें पूंजी बाजार एक्सपोजर से मुक्त निवेश भी शामिल हैं | |
| 18. | बंधक समर्थित प्रतिभूतियों तथा वाणिज्य स्थावर संपदा में अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण आदि जोखिम में निवेश | 150 |
| 19. | जोखिम पूंजी निधियों में निवेश | 150 |
| 20. | तीन महीनों की निर्धारित अवधि के दौरान प्रवर्तक बैंकों द्वारा हामीदारीकृत तथा अंतरित प्रतिभूतिकरण मानक आस्ति लेन-देनों के संबंध में एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश | 100 |
| 21. | तीन महीनों की निर्धारित अवधि के दौरान थर्ड पार्टी सेवा दाता के रूप में बैंक को हामीदारीकृत तथा अंतरित प्रतिभूतिकरण मानक आस्ति लेन-देनों के संबंध में एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश | 100 |
| 22. | अन्य बैंकों से खरीदे गए अनर्जक आस्ति निवेश | 100 |
| 23. | प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी लिखतों में निवेश | 100 |
| III | ऋण और अग्रिम, जिनमें खरीदे और भुनाये गये बिल तथा अन्य ऋण सुविधायें शामिल हैं | |
| 1. | भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण टिप्पणी: 'कृषि ऋण छूट योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य राशि' शीर्ष खाते में बकाया राशि भारत सरकार पर दावे के रूप में समझी जाएगी और पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए उसपर शून्य जोखिम भार होगा। तथापि, ऋण राहत योजना द्वारा कवर किए गए इन खातों की शेष राशि उधारकर्ता पर दावे के रूप में समझी जाएगी और उसपर मौजूदा मानदंडों के अनुसार जोखिम भार होगा। | 0 |
| 2. | राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण टिप्पणी: यदि राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए चूककर्ता श्रेणी में रहे हैं तो वहां 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। | 0 |
| 3. | भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये ऋण | 100 |
| 4. | राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये ऋण | 100 |

| | | |
|------|---|-----|
| 5. | | |
| (i) | ऋण जोखिम के प्रयोजन से, साख पत्रों के अंतर्गत खरीदे /भुनाए / परक्रामित किये गये बिलों(जहां हिताधिकारी को किया जाने वाला भुगतान आरक्षित निधि के अंतर्गत नहीं है)को साख पत्र जारी करने वाले बैंक का जोखिम समझा जाएगा तथा उसपर अंतर- बैंक जोखिमों पर सामान्यतः लागू होनेवाला जोखिम भार लगाया जाएगा। | 20 |
| (ii) | "आरक्षित निधि के अंतर्गत "साख पत्रों के अंतर्गत परक्रामित बिल,साख पत्रों के बिना खरीदे /भुनाए / परक्रामित किये गये बिलों को बैंक के उधारकर्ता घटक पर गिना जाना चाहिए । तदनुसार किसी जोखिम पर उधारकर्ता के अनुरूप जोखिम भार लागू होगा: | |
| | (i) सरकार | 0 |
| | (ii) बैंक | 20 |
| | (iii) अन्य | 100 |
| 6. | सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं सहित अन्य | 100 |
| 7. | पट्टे की आस्तियां | 100 |
| 8. | डी आइ सी जी सी / ई सी जी सी द्वारा कवर किये गये अग्रिम टिप्पणी : 50 प्रतिशत का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक ही सीमित रहना चाहिए, न कि खाते में बकाया संपूर्ण शेष राशि पर। दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि के अतिरिक्त बकाया राशि पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाया जायेगा। | 50 |
| 9. | माइक्रो और लघु उद्यमों (एमएसई)के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम, जो गारंटीकृत अंश तक ही होगा। टिप्पणी: बैंक गारंटीकृत अंश के लिए शून्य जोखिम भार लगाये। गारंटी-कृत अंश के अतिरिक्त बकाया शेष राशि पर उतना ही जोखिम भार होगा जो प्रतिपक्षी पार्टी के लिए है। दो उदाहरण अनुबंध 10.1 में दिये गये हैं। | 0 |
| 10. | न्यू इंडिया एशुअरन्स कंपनी लि. की प्रस्तुति बिज़नेस क्रेडिट शील्ड के अंतर्गत बीमा कवर (अनुबंध 10.4 में दी गयी शर्तों के अधीन) टिप्पणी : 50 % का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित रखना चाहिए और लेखा में संपूर्ण बकाया शेष पर नहीं। अन्य शब्दों में, | 50 |

| | | | |
|-----|---|--|-----|
| | गारंटीकृत राशि से अधिक बकाया राशियों पर 100% जोखिम भार लगेगा। | | |
| 11. | मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पालिसियों, राष्ट्रीय बचतपत्रों, इंदिरा विकास पत्रों और किसान विकास पत्रों की जमानत पर अग्रिम, जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हैं। | 0 | |
| 12. | बैंकों के स्टाफ को दिये गये ऋण और अग्रिम जो सेवानिवृत्ति के लाभों और फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूरी तरह कवर किये गये है | 20 | |
| 13. | ऋण की श्रेणी | एलटीवी अनुपात³ (%) | |
| | (क) वैयक्तिक आवास ऋण | | |
| | (i) 20 लाख रुपये तक | 90 | 50 |
| | (ii) 20 लाख रुपये से ऊपर और 75 लाख रुपये तक | 80 | 50 |
| | (iii) 75 लाख रुपये से ऊपर | 75 | 75 |
| | (ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा- रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) | लागू नहीं | 75 |
| | (ग) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) | लागू नहीं | 100 |
| 14. | निम्न आय वालों के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत आवास ऋण (सीआरजीएफटीएल आईएच) गारंटीकृत भाग तक। ⁴ नोट: बैंक गारंटीकृत भाग के लिए शून्य जोखिम भार लगा सकते हैं। गारंटीकृत भाग से आधिक्य में बकाया शेष पर जोखिम भार लगाया जाएगा, जैसाकि प्रति-पक्षकार के लिए उचित हो। | 0 | |
| 15. | उपभोक्ता ऋण जिसमें व्यक्तिगत ऋण तथा क्रेडिट कार्ड शामिल हैं | 125 | |
| 16. | शैक्षिक ऋण | 100 | |
| 17. | सोने और चांदी के आभूषणों की प्रतिभूति पर 1 लाख रुपये तक के ऋण | 50 | |
| 18. | अंतरण वित्तपोषण (टेकआउट फाइनेंस) | | |

³कृपया आवासीय क्षेत्र- सीआरई के अंतर्गत नए उप-क्षेत्र सीआरई-आरएच तथा प्रावधानीकरण, जोखिम भार और एलटीवी अनुपात पर 21 जून 2013 का परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं. 104/08.12.015/2012-13 देखें।

⁴कृपया निम्न आय वालों के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत आवास ऋण (सीआरजीएफटीएल आईएच) - जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण पर 16 अप्रैल 2013 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.90/21.04.048/2012-13 देखें।

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| | (i) बिना शर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली संस्था की बहियों में) (क) जहां अधिग्रहण करनेवाली संस्था द्वारा पूर्ण ऋण जोखिम ले लिया गया है (ख) जहां अधिग्रहण करनेवाली संस्था द्वारा आंशिक ऋण जोखिम लिया गया है (i) अधिग्रहित की जाने वाली राशि (ii) अधिग्रहित न की जाने वाली राशि | 20 20 100 |
| | (ii) सशर्त अधिग्रहण (ऋण देने वाली और अधिग्रहण करने वाली संस्थाओं की बहियों में) | 100 |
| 19. | पूंजी बाजार एक्सपोजर जिसमें पूंजी बाजार एक्सपोजर मानदंड से मुक्त एक्सपोजर भी शामिल हैं | 125 |
| 20. | वाणिज्य स्थावर संपदा में निधि आधारित जोखिम* वाणिज्यिक स्थावर संपदा - रिहायशी आवास (सीआरई-आरएच) के लिए निधि-आधारित एक्सपोजर@ | 100 75 |
| 21. | मानक आस्ति लेन-देन के प्रतिभूतीकरण के लिए निधिक चलनिधि सुविधा | 100 |
| 22. | अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक आस्तियां | 100 |
| 23. | प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण और अग्रिम (आस्ति वित्त कंपनियों को छोड़कर) और | 100 |
| 24. | कंपनी पर, रेटिंग न किए गए अल्पावधि तथा दीर्घावधि सभी दावे, चाहे उनकी राशि कितनी भी क्यों न हो, | 100 |
| IV | अन्य आस्तियां | |
| 1. | परिसर, फर्नीचर और जुड़नार (फिक्सचर) | 100 |
| 2. | स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधान घटाकर) अग्रिम अदा किया गया कर (प्रावधान घटाकर) | 0 0 |
| | सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज | 0 |
| | सीआरआर की शेष राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज और सरकारी लेनदेनों के कारण रिज़र्व बैंक पर दावे (इस प्रकार के लेनदेनों के कारण सरकार / रिज़र्व बैंक के बैंकों पर दावों को घटाकर) | 0 |
| | अन्य सभी आस्तियां # | 100 |

i) डेरिवेटिव्स व्यापार और सीसीपी के नीम पर बकाया प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेनों (अर्थात सीबीएलओ, रिपो) के कारण सीसीपी को दी ऋणादि जोखिम को प्रतिपक्षी ऋण जोखिम के लिए शून्य जोखिम मूल्य निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि यह माना है कि सीसीपी का अपने प्रतिपक्षियों को जो एक्सपोजर होगा वह दैनिक आधार पर पूर्णतः संपार्श्विक है, जिससे वह सीसीपी के ऋण जोखिम एक्सपोजरों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।

ii) सीसीपी के पास बैंकों द्वारा रखी गई जमाराशियां /संपार्श्विक को संबंधित सीसीपी के समुचित जोखिम भार लगेगा। सीसीआइएल के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा तथा अन्य सीसीपीज के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार इन संस्थाओं को दिए गए रेटिंग के मुताबिक होगा।

तथा जहाँ तक एएफसीज पर दावों का प्रश्न है, जोखिम भार में कोई फर्क नहीं है और जिन दावों पर नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अधीन 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा, जो 100 प्रतिशत के स्तर तक घटाया जायेगा, उन्हें छोड़कर बाकी जोखिम भार एएफसी के ऋण रेटिंग द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

* चूंकि सभी वर्गीकरण भिन्न-भिन्न तकाजों से किए जाते हैं इसलिए यह संभव है कि किसी एक्सपोजर को एक साथ एक से अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हो। इस प्रकार के मामलों में एक्सपोजर की गणना भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्वयं संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक/विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा, यदि कोई, के प्रयोजन से उन सभी श्रेणियों के लिए की जाएगी जिनके लिए उक्त एक्सपोजर किया गया है। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सभी श्रेणियों पर लागू होने वाले जोखिम भारों में से सबसे बड़ा जोखिम भार उक्त एक्सपोजर पर लागू होगा।

7 मई 2012 को जारी प्रतिभूतीकरण दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करनेवाले प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों पर उक्त दिशानिर्देश में निर्धारित जोखिम भार लगाया जाएगा।

** मंजूरी के सभी नए मामलों में एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वर्तमान में किसी भी कारण से एलटीवी अनुपात निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है, तो इसे सीमाओं के भीतर लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

@: वाणिज्यिक स्थावर संपदा- रिहाइशी आवास (सीआरई-आरएच) में सीआरई खण्ड के अंतर्गत बिल्डरों/डेवलपरों को रिहाइशी आवास परियोजनाओं (कैप्टिव कनज़म्पशन को छोड़कर) के लिए ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में सामान्यतः गैर- रिहाइशी वाणिज्यिक स्थावर संपदा शामिल नहीं होगी। तथापि, एकीकृत आवासीय परियोजनाएं, जिनमें कुछ वाणिज्यिक स्थान हैं (अर्थात् शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विद्यालय आदि), को भी सीआरई-आरएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि रिहाइशी आवासीय परियोजनाओं में वाणिज्यिक एरिया कुल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि मुख्यतः रिहाइशी आवासीय कॉम्प्लेक्स में वाणिज्यिक एरिया का एफएसआई 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो परियोजना ऋणों को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाए, न कि सीआरई-आरएच।Commercial

किसी व्यक्ति की तीसरी और उसके बाद की आवासीय इकाई में बैंक के एक्सपोजर को भी सीआरई एक्सपोजर माना जाएगा।

1 आ. तुलनपत्र में शामिल न होनेवाली मदें

तुलनपत्र में शामिल न होनेवाली मदों से संबंधित ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना करने के लिए पहले नीचे सारणी में दिए गए 'ऋण परिवर्तन गुणक' से तुलनपत्र में शामिल न होनेवाली प्रत्येक मद की अंकित राशि को गुणा किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है। इसके बाद उसे संबंधित प्रतिपक्ष को दिये गये भारांक से पुनः गुणा करना होगा, जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।

| क्र. सं. | लिखत | ऋण परिवर्तन गुणक |
|----------|--|------------------|
| 1. | प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापी, उदाहरणार्थ ऋणग्रस्तता के लिए सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करने वाले अनुषंगी साखपत्रों सहित) और स्वीकृतियों (स्वीकृति जैसे पृष्ठांकनों सहित) | 100 |
| 2. | कतिपय लेनदेन संबंधी आकस्मिक मदें (उदाहरणार्थ निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन संबंधी अनुषंगी साखपत्र) | 50 |
| 3. | अल्पावधि की स्वतः समापन वाली व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे लदान के लिए रखे माल की जमानत पर प्रलेखी ऋण) | 20 |
| 4. | बिक्री और पुनर्खरीद करार तथा आश्रय सुविधा सहित आस्ति बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक का हो | 100 |
| 5. | आस्तियों की वायदा खरीद, वायदा जमाराशियां और अंशतः चुकता शेयर एवं प्रतिभूतियां, जो कतिपय कटौतियों सहित प्रतिबद्धताओं की द्योतक हों । | 100 |
| 6. | नोट निर्गम सुविधाएं और आवर्ती हामीदारी सुविधाएं | 50 |
| 7. | एक वर्ष से अधिक की मूल पूर्णता अवधि की अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ, औपचारिक अनुषंगी सुविधाएं और ऋण व्यवस्था) | 50 |
| 8. | एक वर्ष तक की मूल पूर्णता अवधि की इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं या जो बिना शर्त किसी भी समय रद्द की जा सकती हैं । | 0 |
| 9. | निम्नलिखित मूल पूर्णता अवधि की कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएं | |
| | • एक वर्ष से कम | 2 |

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| | • प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके भाग के लिए | 3 |
| 10. | अधिग्रहण करने वाली संस्था की बहियों में अंतरण (टेक-आउट) वित्त | |
| | (i) बिना शर्त लिया गया वित्त | 100 |
| | (ii) सशर्त लिया गया वित्त | 50 |
| क्र. सं. | लिखत | ऋण परिवर्तन गुणक |
| | टिप्पणी : चूंकि प्रतिपक्ष के ऋण आदि जोखिमों से जोखिम भार तय होगा, इसलिए यह सभी ऋणकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत अथवा सरकार की गारंटी से कवर होने पर शून्य प्रतिशत होगा । | |
| 11. | वाणिज्य स्थावर संपदा में गैर-निधिक जोखिम | 150 |
| 12. | गैर-निधीकृत पूंजी बाजार एक्सपोजर जिनमें वे एक्सपोजर भी शामिल हैं जो सीएमई मानदंड से मुक्त हैं | 125 |
| 13. | मानक आस्ति लेन-देनों के प्रतिभूतीकरण के लिए चलनिधि सुविधा देने की प्रतिबद्धता | 100 |
| 14. | अन्य पक्ष द्वारा दिए गए मानक आस्ति लेन-देनों के प्रतिभूतीकरण के लिए दूसरी हानि ऋण वृद्धि | 100 |
| 15. | प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को निधीतर एक्सपोजर | 100 |

टिप्पणी : तुलनपत्र से इतर मर्दों के संबंध में बैंक से इतर प्रतिपक्षियों के साथ किये जाने वाले निम्नलिखित लेनदेन बैंकों पर दावे माने जायेंगे और उन पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार होगा:

- अन्य बैंकों की प्रतिगारंटी पर बैंकों द्वारा जारी की गयी गारंटियां
- बैंकों द्वारा स्वीकार किये गये दस्तावेज़ी बिलों की पुनर्भुनाई। बैंकों द्वारा भुनाये गये जो बिल अन्य बैंक द्वारा स्वीकार किये जायेंगे उन्हें बैंक पर निधिक दावे के रूप में माना जायेगा।

उपर्युक्त सभी मामलों में बैंक को इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो लेना चाहिए कि जोखिम एक्सपोजर वास्तव में अन्य बैंकों पर है।

ग. जोखिम की स्थितियों के लिए जोखिम भार

| क्र. सं. | मद | जोखिम भार का प्रतिशत |
|----------|---|----------------------|
| 1. | विदेशी मुद्रा की जोखिम की स्थिति | 100 |
| 2. | स्वर्ण की जोखिम की स्थिति | 100 |
| | टिप्पणी: विदेशी मुद्रा और स्वर्ण दोनों की जोखिम की स्थिति की सीमाओं के संबंध में जोखिम भार की स्थिति को सीआरएआर की गणना के लिए अन्य जोखिम भार आस्तियों में जोड़ा जाना चाहिए। | |

घ. फॉर्बर्ड रेट करार / ब्याज दर स्वैप के लिए जोखिम भार

न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए फॉर्बर्ड रेट करार / ब्याज दर स्वैप के लिए जोखिम भार के कारण जोखिम भारित आस्तियों की गणना नीचे दी गयी दो चरणों की क्रियाविधि के अनुसार की जानी चाहिए:

चरण 1

प्रत्येक लिखत की काल्पनिक मूल्य राशि का नीचे दिये गये परिवर्तन गुणक द्वारा गुणा किया जाना चाहिए।

| मूल अवधिपूर्णता | परिवर्तन गुणनखंड |
|-------------------------------|------------------|
| एक वर्ष से कम | 0.5 प्रतिशत |
| एक वर्ष और दो वर्ष से कम | 1.0 प्रतिशत |
| प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए | 1.0 प्रतिशत |

चरण 2

इस प्रकार प्राप्त किये गये समायोजित मूल्य को नीचे निर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रासंगिक प्रतिपक्षी को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जायेगा:

| काउंटर पार्टी | जोखिम भार |
|------------------------|-------------|
| बैंक | 20 प्रतिशत |
| केंद्र तथा राज्य सरकार | 0 प्रतिशत |
| अन्य सभी | 100 प्रतिशत |

II. विदेश में कार्य (केवल उन भारतीय बैंकों पर लागू जिनकी विदेश में शाखाएँ हैं)

अ. निधिक जोखिम आस्तियां

| क्र. सं. | आस्ति या देयता की मद | जोखिम भार का प्रतिशत |
|----------|---|----------------------|
| i) | नकदी | 0 |
| ii) | मौद्रिक प्राधिकारी के पास शेष | 0 |
| iii) | सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश | 0 |
| iv) | अन्य बैंकों के पास चालू खाता शेष | 20 |
| v) | बैंकों पर अन्य सभी दावे, जिनमें मुद्रा बाजार में ऋण दी गयी निधियां, डिपोजिट प्लेसमेंट, जमा प्रमाणपत्रों /अस्थिर दर वाले नोटों में निवेश की निधियां शामिल हैं, लेकिन उन निधियों तक ही सीमित नहीं हैं | 20 |
| vi) | गैर बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश | 100 |
| vii) | ऋण और अग्रिम, खरीदे और भुनाये गये बिल तथा अन्य ऋण सुविधाएं | |
| | क) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे | 0 |
| | ख) राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत दावे | 0 |
| | ग) भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे | 100 |
| | घ) राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे | 100 |
| | ड) अन्य | 100 |
| viii) | अन्य सभी बैंकिंग और मूलभूत सुविधा संबंधी आस्तियां | 100 |

आ. गैर-निधिक जोखिम आस्तियां

| क्र. सं. | लिखत | ऋण परिवर्तन गुणक (प्रतिशत) |
|----------|--|----------------------------|
| i) | प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापी, उदाहरणार्थ ऋण ग्रस्तता की सामान्य गारंटी (ऋण और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करनेवाले अनुषंगी साखपत्रों सहित) और स्वीकृति (स्वीकृतियों के स्वरूप वाले पृष्ठांकनों सहित) | 100 |

| | | |
|-------|---|-----|
| ii) | कतिपय लेनदेन संबंधी आकस्मिक मर्दे (उदाहरणार्थ निष्पादन बांड, बोली बांड, वारंटी और विशेष लेनदेन संबंधी अनुषंगी साख पत्र) | 50 |
| iii) | अल्पावधि की स्वतः समापन वाली व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे लदान के लिए रखे माल द्वारा जमानती प्रलेखी ऋण) | 20 |
| iv) | बिक्री और पुनर्खरीद करार तथा आश्रय सुविधा सहित आस्ति बिक्री, जहां ऋण जोखिम बैंक का हो। | 100 |
| v) | आस्तियों की फॉर्वर्ड एसेट खरीद, फॉर्वर्ड जमाराशियां और अंशतः चुकता शेयर एवं प्रतिभूतियां, जो कतिपय कटौतियों सहित प्रतिबद्धताओं की द्योतक हों। | 100 |
| vi) | नोट निर्गम सुविधाएं और आवर्ती हामीदारी सुविधाएं | 50 |
| vii) | एक वर्ष से अधिक की मूल पूर्णतः अवधि की अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ औपचारिक अनुषंगी सुविधाएं और ऋण व्यवस्था) | 50 |
| viii) | एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि की इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं या जो बिना शर्त किसी भी समय रद्द की जा सकती हैं। | 0 |

माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सी जी टी एम एस ई) द्वारा गारंटीकृत एमएसई अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधान करने संबंधी मानदंड (अनुबंध 9 का पैरा 1(ए) III(9))

जोखिम भार

उदाहरण I

सीजीटीएमएसई कवर : बकाया राशि का 75 प्रतिशत या गैर-जमानती राशि का 75 प्रतिशत या 18.75 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो ।

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| जमानत का वसूली योग्य मूल्य | : | 1.50 लाख रुपये |
| क) बकाया जमाशेष | : | 10.00 लाख रुपये |
| ख) जमानत का वसूली योग्य मूल्य | : | 1.50 लाख रुपये |
| ग) गैर-जमानती राशि (क) - (ख) | : | 8.50 लाख रुपये |
| घ) गारंटीकृत अंश ढ(ग) का 75 प्रतिशत | : | 6.38 लाख रुपये |
| ड) असुरक्षित अंश (8.50 लाख - 6.3 लाख) | : | 2.12 लाख रुपये |

(ख) और (ड) पर जोखिम भार - प्रति पक्ष से संबद्ध
(घ) पर जोखिम भार - शून्य

उदाहरण II

सी जी टी एम एस ई कवर : बकाया राशि का 75 प्रतिशत या गैर जमानती राशि का 75 प्रतिशत या 18.75 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।

जमानत का वसूली योग्य मूल्य : 10.00 लाख रुपये

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| क) बकाया जमाशेष | : | 40.00 लाख रुपये |
| ख) जमानत का वसूली योग्य मूल्य | : | 10.00 लाख रुपये |
| ग) गैर-जमानती राशि (क) - (ख) | : | 30.00 लाख रुपये |

घ) गारंटीकृत अंश (अधिकतम) : 18.75 लाख रुपये
ड) असुरक्षित अंश (30 लाख रुपये -18.75 लाख रु : 11.25 लाख रुपये
पये)

(ख) और (ड) पर जोखिम भार - प्रति पक्ष से संबद्ध
(घ) पर जोखिम भार - शून्य

आवास वित्त कंपनियों की आवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश के लिए पूंजी पर्याप्तता हेतु उदार जोखिम भार के प्रयोजन के लिए शर्तें:

(अनुबंध 9 की मद (I)(अ) (II)(12) देखें)

1(क) प्रतिभूतीकृत आवास ऋणों में आवास वित्त कंपनियों का अधिकार, हक तथा हित तथा उसके अधीन प्राप्य राशि को अविकल्पी रूप से विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) /ट्रस्ट के पक्ष में किया जाना चाहिए।

1(ख) प्रतिभूतीकृत आवास ऋण के अधीन बंधक रखी गयी प्रतिभूतियां एसपीवी /ट्रस्ट द्वारा पूर्णतः निवेशकों की ओर से तथा उनके लाभ के लिए रखी जानी चाहिए।

1(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूति को जारी करने की शर्तों के अनुसार एस पी वी अथवा ट्रस्ट को निवेशकों को प्रतिभूतीकृत ऋणों के अधीन प्राप्य राशि प्राप्त करने सहित उसके वितरण की व्यवस्था का हकदार होना चाहिए। इसप्रकार की व्यवस्था में प्रवर्तक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) की चुकौती करने वाले और अदाकर्ता एजेंट के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया जाये। किन्तु विक्रेता, प्रबंधक, ऋण संवर्धन की सुविधा प्रदान करने वाले या चलनिधि की सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में भाग लेने वाला प्रवर्तक एचएफसी :

i. एसपीवी में कोई शेयर पूंजी नहीं रखेगा अथवा वह आस्तियों की खरीद और प्रतिभूतीकरण के लिए माध्यम (वेहिकल) के रूप में प्रयुक्त ट्रस्ट का हिताधिकारी नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए शेयर पूंजी में सभी श्रेणियों के सामान्य और अधिमान शेयर पूंजी शामिल है;

ii. एसपीवी का नाम इस प्रकार नहीं रखेगा कि उससे बैंक के साथ कोई संबंध होने का भ्रम होता हो।

iii. एसपीवी के बोर्ड में कोई निदेशक, अधिकारी अथवा कर्मचारी तब तक नहीं रखेगा जब तक कि बोर्ड में न्यूनतम तीन सदस्य न हों तथा वहां स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में हो। इसके अतिरिक्त बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकारी /प्राधिकारियों के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा।

iv. प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एसपीवी को नियंत्रित नहीं करेगा; अथवा

v. प्रतिभूतीकृत लेनदेन के कारण अथवा उसमें निवेशकों के सम्मिलित होने के कारण हुई किसी हानि अथवा लेनदेन संबंधी किसी भी आवर्ती व्यय को वहन नहीं करेगा।

1 (घ) प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋण अलग-अलग व्यक्तियों को ऐसे रिहायशी मकान अभिगृहीत करने /निर्मित करने के लिए दिये गये ऋण होने चाहिए जो अनन्य प्रथम भार के रूप में एच एफ सी के पास बंधक रखे गये हों।

1 (ङ) प्रतिभूतीकृत किये जाने वाले ऋणों को एसपीवी को देते समय किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग दी जानी चाहिए।

1 (च) एमबीएस के जारी करने की शर्तों के अनुसार चूक की स्थिति में निवेशकर्ताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वह निर्गमकर्ता अर्थात् एसपीवी को निवल वसूली के लिए कदम उठाने हेतु और निवेशकर्ताओं को आगम राशि वितरित करने के लिए कह सके।

1(छ) एमबीएस जारी करने वाले एसपीवी को अलग-अलग आवास ऋणों के एम बी एस जारी करने और उनके प्रशासन के कारोबार से भिन्न किसी अन्य कारोबार से संलग्न नहीं होना चाहिए।

1(ज) एमबीएस के निर्गम के प्रबंध के लिए नियुक्त एसपीवी और न्यासी को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

2. यदि बंधक समर्थित प्रतिभूतियां ऊपर पैराग्राफ 1 में बतायी गयी शर्तों के अनुसरण में जारी की गयी हैं और उनमें विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)/ ट्रस्ट को आवास ऋण आस्तियों की जोखिम तथा प्रतिफल का अविकल्पी अंतरण किया गया है तो, ऐसी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में किसी बैंक के निवेश को प्रतिभूतीकृत आवास ऋण प्रवर्तक आवास वित्त कंपनी पर ऋण आदि जोखिम के रूप में नहीं गिना जायेगा। किन्तु उसे विशेष प्रयोजन माध्यम /न्यास की अंतर्निहित आस्तियों पर ऋण आदि जोखिम के रूप में माना जायेगा।

संरचनात्मक सुविधा से संबंधित प्रतिभूतीकृत लिखत में निवेश पर रियायती जोखिम भार का लाभ उठाने के लिए शर्तें (अनुबंध 9 की मद (I) (अ) (II) (14) देखें)

1. संरचनात्मक सुविधा को 16 जून 2004 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/ 21.04.048/ 2002-03 में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।
2. संरचनात्मक सुविधा से आय/नकदी प्रवाह होना चाहिए जिनसे प्रतिभूतीकृत लिखत की चुकौती/ब्याज अदायगी सुनिश्चित होगी।
3. प्रतिभूतीकृत लिखत को रेटिंग एजेन्सियों से कम-से-कम 'एएए' की रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए और वह रेटिंग वैध तथा चालू होनी चाहिए। इस रेटिंग को चालू तथा वैध तब समझा जाएगा जब :

निर्गम आरंभ होने की तारीख को रेटिंग एक महीने से अधिक पुरानी न हो और निर्गम आरंभ होने की तारीख को रेटिंग एजेन्सी का रेटिंग देने का तर्काधार एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो तथा रेटिंग पत्र तथा रेटिंग तर्काधार प्रस्ताव दस्तावेज का एक हिस्सा हो।

अनुषंगी बाजार अभिग्रहण के मामले में, निर्गम का 'एएए' रेटिंग प्रचलित होना चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेन्सी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन द्वारा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

प्रतिभूतीकृत लिखत निवेशकर्ता /ऋणदात्री संस्था की बहियों में अर्जक आस्ति होना चाहिए।

न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनी लि. की प्रस्तुति बिजिनेस क्रेडिट शील्ड के अंतर्गत बीमा कवर किये गये अग्रिमों के लिए रियायती जोखिम भार का लाभ उठाने के लिए शर्तें (अनुबंध 9 की मद (I) (ए) (III) (10) देखें)

यदि न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (एनआइए) को अपने बीमा उत्पाद बिजिनेस क्रेडिट शील्ड (बीसीएस) को उपर्युक्त कार्रवाई के लिए अर्हता प्राप्त करनी है तो बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों, उनके अंतर्गत किये गये विनियमों - विशेषतः असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों तथा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं की शोधक्षमता गुंजाइश) विनियमावली, 2000 से संबंधित विनियमों तथा भविष्य में आइआरडीए द्वारा निर्धारित किन्हीं अन्य शर्तों/विनियमों का अनुपालन करना होगा।

2. एनआइए की बीसीएस पॉलिसी द्वारा कवर किये गये निर्यात ऋण के संबंध में उपर्युक्त विनियामक कार्रवाई के लिए पात्र होने के लिए **बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:**

बीसीएस पॉलिसी उनके पक्ष में समनुदेशित है, तथा

एनआइए बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत किये गये विनियमों, विशेषतः असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों तथा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं की शोधक्षमता गुंजाइश) विनियमावली, 2000 से संबंधित विनियमों तथा भविष्य में आइआरडीए द्वारा निर्धारित किन्हीं अन्य शर्तों/विनियमों का पालन करती है।

3. बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे निर्यातकों को "बिजिनेस क्रेडिट शील्ड" के अंतर्गत बीमा द्वारा कवर किये गये अग्रिमों के लिए अलग-अलग लेखें बनाएं ताकि जोखिम भारों/प्रावधानों का संचलन/सत्यापन सुविधाजनक हो।

ऋण और बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना के उदाहरण

उदाहरण 1: ऐसे मामले जिनमें खरीद-बिक्री बही में ईक्विटी तथा ब्याज दर संबद्ध डेरिवेटिव लिखत नहीं हैं:

1. मान लें

1.1 किसी बैंक में निम्नलिखित स्थिति हो सकती है :

| क्रम सं. | ब्यौरे | राशि रु. (करोड़) |
|----------|---|---------------------|
| 1. | नकद राशि तथा भारिबैं के पास शेष | 200.00 |
| 2. | बैंक शेष | 200.00 |
| 3. | निवेश : | 2000.00 |
| | 3.1 खरीद बिक्री के लिए धारित (बाज़ार मूल्य) | 500.00 |
| | | 1000.00 |
| | 3.2 बिक्री के लिए उपलब्ध (बाज़ार मूल्य) | 500.00 |
| | 3.3 परिपक्वता तक धारित | |
| 4. | अग्रिम (निवल) | 2000.00 |
| 5. | अन्य आस्तियां | 300.00 |
| 6 | कुल आस्तियां | 4700.00 |

1.2 काउंटर पार्टी के अनुसार, निवेशों को निम्नानुसार कल्पित किया गया है:

| | |
|-------|-----------------|
| सरकार | - 1000 करोड़ रु |
| बैंक | - 500 करोड़ रु. |
| अन्य | - 500 करोड़ रु. |

1.3 सरलता के प्रयोजन से हम निवेशों के ब्यौरे निम्नानुसार मान कर चलें:

i) सरकारी प्रतिभूतियां

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2015 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2010 | 100 | 11.50 | एएफएस |
| 01/03/1999 | 31/03/2003 | 01/03/2009 | 100 | 11.00 | एएफएस |
| 01/03/2000 | 31/03/2003 | 01/03/2005 | 100 | 10.50 | एचएफटी |
| 01/03/2001 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 10.00 | एचटीएम |
| 01/03/2002 | 31/03/2003 | 01/03/2012 | 100 | 8.00 | एचटीएम |
| 01/03/2003 | 31/03/2003 | 01/03/2023 | 100 | 6.50 | एचटीएम |
| जोड़ | | | 1000 | | |

ii) बैंक बॉण्ड

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2007 | 100 | 11.50 | एचएफटी |
| कुल | | | 500 | | |

i) अन्य प्रतिभूतियां

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एचएफटी |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एचएफटी |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एचएफटी |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | एचटीएम |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2017 | 100 | 11.50 | एचटीएम |
| कुल | | | 500 | | |

iv) समग्र स्थिति

| | कुल निवेश के ब्योरे (राशि करोड़ रुपये में) | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|-------------|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | बैंक बाण्ड | अन्य प्रतिभूतियां | कुल |
| एचएफटी | 100 | 100 | 300 | 500 |
| एएफएस | 600 | 400 | 0 | 1000 |
| खरीद-बिक्री बही | 700 | 500 | 300 | 1500 |
| एचटीएम | 300 | 0 | 200 | 500 |
| कुल | 1000 | 500 | 500 | 2000 |

2. जोखिम भारित आस्तियों की गणना

2.1 ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां

दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद-बिक्री के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ खरीद-बिक्री बही के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होंगी। अतः इस मामले में खरीद-बिक्री बही 1500 करोड़ रु. होगी। ऋण जोखिम की गणना करते हुए खरीद-बिक्री बही के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों को ध्यान में नहीं लिया जाएगा तथा इसलिए ऋण जोखिम आधारित जोखिम-भार निम्नानुसार होंगे :

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्रम सं. | आस्तियों के ब्यौरे | बाज़ार मूल्य* | जोखिम भार (%) | जोखिम भारित आस्तियां |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1. | नकद राशि तथा भारिबैं में शेष | 200 | 0 | 0 |
| 2. | बैंक शेष | 200 | 20 | 40 |
| 3. | निवेश | | | |
| | सरकार | 300 | 0 | 0 |
| | बैंक | 0 | 20 | 0 |
| | अन्य | 200 | 100 | 200 |
| 4. | अग्रिम (निवल) | 2000 | 100 | 2000 |
| 5. | अन्य आस्तियां | 300 | 100 | 300 |
| 6. | कुल आस्तियां | 3200 | | 2540 |

* उदाहरण के लिए बाज़ार मूल्य के रूप में माना गया है

2.2 बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां (खरीद-बिक्री बही)

(कृपया पैरा 1.3(iv) की सारणी देखें)

क . विशिष्ट जोखिम

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां : 700 करोड़ रु.- शून्य
- (ii) बैंक बाण्ड:

(राशि करोड़ रुपये में)

| ब्यौरे | पूंजी प्रभार | राशि | पूंजी प्रभार |
|--|---------------|------------|--------------|
| परिपक्वता की शेष अवधि 6 महीने अथवा उससे कम के लिए | 0.30 प्रतिशत | 200 | 0.60 |
| परिपक्वता की शेष अवधि 6 महीने तथा 24 महीने के बीच के लिए | 1.125 प्रतिशत | 100 | 1.125 |
| परिपक्वता की शेष अवधि 24 महीनों से अधिक के लिए | 1.80 प्रतिशत | 200 | 3.60 |
| कुल | | 500 | 5.325 |

- (iii) अन्य प्रतिभूतियां : 300 करोड़ रु. @ 9% = 27 करोड़ रु.

विशिष्ट जोखिम का कुल भार (i)+(ii)+(iii)

= 0 करोड़ रु. + 5.325 रु. करोड़ + 27 करोड़ रु. = 32.325 रु. करोड़

अतः, खरीद-बिक्री बही में विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार 32.33 करोड़ रुपये है।

ख. सामान्य बाज़ार जोखिम

ब्याज दर संबद्ध लिखत की मूल्य संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए आशोधित अवधि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नीचे सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के लिए रिपोर्टिंग की तारीख 31.3.2003 मानी गयी है।

(राशि करोड़ रुपये में)

| काउंटर पार्टी | परिपक्वता की तारीख | राशि (बाजार मूल्य) | कूपन (%) | सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|---|
| सरकार | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| सरकार | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| सरकार | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| सरकार | 01/03/2015 | 100 | 12.50 | 3.63 |
| सरकार | 01/03/2010 | 100 | 11.50 | 2.79 |
| सरकार | 01/03/2009 | 100 | 11.00 | 2.75 |
| सरकार | 01/03/2005 | 100 | 10.50 | 1.35 |
| बैंक | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| बैंक | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| बैंक | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| बैंक | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | 1.77 |
| बैंक | 01/03/2007 | 100 | 11.50 | 2.29 |
| अन्य | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| अन्य | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| अन्य | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| | जोड़ | 1500 | | 17.82 |

ग. बाज़ार जोखिम का कुल खर्च

विशिष्ट जोखिम तथा सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभारों के योग से ब्याज दर संबद्ध लिखतों की खरीद-बिक्री बही के लिए कुल पूंजी प्रभार प्राप्त होगा। अतः, बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार = 32.33 करोड़ रु. + 17.82 करोड़ रु. अर्थात्, 50.15 करोड़ रु. है।

घ. संपूर्ण बही के लिए सीआरएआर की गणना करने के लिए, इस पूंजीप्रभार को समकक्ष जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित करना होगा। भारत में न्यूनतम सीआरएआर 9% है। इसलिए पूंजी प्रभार को $(100 \div 9)$ से गुणा करके पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है। अतएव, बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां $50.15 * (100 \div 9) = 557.23$ करोड़ रु. है।

2.5 पूंजी अनुपात की गणना

(राशि करोड़ रुपये में)

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | कुल पूंजी | 400 |
| 2 | ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां | 2540.00 |
| 3 | बाजार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां | 557.23 |
| 4 | कुल जोखिम भारित आस्तियां (2+3) | 3097.23 |
| 5 | सीआरएआर $(1 \div 4) * 100$ | 12.91% |

उदाहरण II *ईक्विटी तथा ब्याज दर संबद्ध डेरिवेटिव लिखतों सहित ऋण तथा बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार की गणना दर्शानेवाला उदाहरण । विदेशी मुद्रा तथा सोने की जोखिम की स्थितियां भी मान ली गयी हैं।*

मान लें

किसी बैंक में निम्नलिखित स्थिति हो सकती है :

| क्रम सं. | ब्यौरे | राशि करोड़ रु पये में |
|----------|--|--------------------------|
| 1. | नकद तथा भारिबैं में शेष | 200.00 |
| 2 | बैंक शेष | 200.00 |
| 3. | निवेश : | |
| | 3.1 ब्याज दर संबद्ध प्रतिभूतियां: | |
| | खरीद बिक्री के लिए धारित | 500.00 |
| | बिक्री के लिए उपलब्ध | 1000.00 |
| | परिपक्वता तक धारित | 500.00 |
| | 3.2 ईक्विटी | 300.00 |
| 4 | अग्रिम (निवल) | 2000.00 |
| 5 | अन्य आस्तियां | 300.00 |
| 6 | कुल आस्तियां | 5000.00 |

विदेशी मुद्रा की आरंभिक स्थिति की सीमा 60 करोड़ रुपये मान ली गयी है तथा सोने की आरंभिक स्थिति 40 करोड़ रुपये मान ली गयी है।

हम यह भी मानकर चलें कि ब्याज दर संबद्ध डेरिवेटिव के संबंध में बैंक में निम्नलिखित स्थितियां हैं :

- (i) ब्याज दर स्वैप (आइआरएस), 100 करोड़ रु पये - बैंक ने अस्थिर दर ब्याज प्राप्त किया है तथा नियत दर पर भुगतान करता है, अगला ब्याज निर्धारण 6 महीनों के बाद है, स्वैप की शेष अवधि 8 वर्ष है, तथा
- (ii) ब्याज दर फ्यूचर (आरआरएफ) में अधिक्रय की स्थिति, 50 करोड़ रु पये, 6 महीने के बाद सुपुर्दगी, आधारभूत सरकारी प्रतिभूति की अवधि 3.5 वर्ष।

काउन्टर पार्टी के अनुसार निवेश निम्नानुसार माने गये हैं :

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| क) ब्याज दर संबद्ध प्रतिभूतियां | |
| सरकार | 1000 करोड़ रु पये |
| बैंक | 500 करोड़ रु पये |
| कंपनी बाण्ड | 500 करोड़ रु पये |
| ख) इक्विटी | |
| अन्य | 300 करोड़ रु पये |

ब्याज दर स्वैप्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स के लिए काउन्टर पार्टी को कंपनियों (कॉर्पोरेट्स) समझा गया है। सरलता के प्रयोजन से ब्याज दर संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार मान लें :

i) सरकारी प्रतिभूतियां

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2015 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2010 | 100 | 11.50 | एएफएस |
| 01/03/1999 | 31/03/2003 | 01/03/2009 | 100 | 11.00 | एएफएस |
| 01/03/2000 | 31/03/2003 | 01/03/2005 | 100 | 10.50 | एचएफटी |
| 01/03/2001 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 10.00 | एचटीएम |
| 01/03/2002 | 31/03/2003 | 01/03/2012 | 100 | 8.00 | एचटीएम |
| 01/03/2003 | 31/03/2003 | 01/03/2023 | 100 | 6.50 | एचटीएम |
| कुल | | | 1000 | | |

ii) बैंक बाण्ड

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एएफएस |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | एएफएस |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2007 | 100 | 11.50 | एचएफटी |
| कुल | | | 500 | | |

iii) अन्य प्रतिभूतियां

| निर्गम की तारीख | रिपोर्टिंग की तारीख | परिपक्वता की तारीख | राशि करोड़ रुपये में | कूपन (%) | प्रकार |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------|
| 01/03/1992 | 31/03/2003 | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | एचएफटी |
| 01/05/1993 | 31/03/2003 | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | एचएफटी |
| 01/03/1994 | 31/03/2003 | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | एचएफटी |
| 01/03/1995 | 31/03/2003 | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | एचटीएम |
| 01/03/1998 | 31/03/2003 | 01/03/2017 | 100 | 11.50 | एचटीएम |
| कुल | | | 500 | | |

vi) समय स्थिति

| | कुल निवेश के ब्योरे | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| | ब्याज दर संबद्ध लिखत | | | | ईक्विटी | |
| | सरकारी प्रतिभूतियां | बैंक बाण्ड | अन्य प्रतिभूतियां | कुल | | कुल जोड़ |
| एचएफटी | 100 | 100 | 300 | 500 | 300 | 800 |
| एएफएस | 600 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| खरीद-बिक्री बही | 700 | 500 | 300 | 1500 | 300 | 1800 |
| एचटीएम | 300 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 |
| कुल जोड़ | 1000 | 500 | 500 | 2000 | 300 | 2300 |

2. जोखिम भारित आस्तियों की गणना

2.1 ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियाँ

दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीद-बिक्री के लिए धारित तथा बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियाँ खरीद-बिक्री बही के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगी। अतः इस मामले में ब्याज दर संबद्ध निवेशों के संबंध में खरीद-बिक्री बही 1500 करोड़ रु.होगी। इसके अलावा, 300 करोड़ रु. की ईक्विटी स्थिति खरीद-बिक्री बही में होगी। बैंक द्वारा धारित डेरिवेटिव उत्पादों को खरीद-बिक्री बही का एक हिस्सा माना जाए। विदेशी मुद्रा तथा सोने के संबंध में जोखिम की स्थिति भी बाजार जोखिम के लिए विचार में ली जाएगी। ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना करते समय खरीद-बिक्री बही के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों को विचार में नहीं लिया जाएगा तथा इसलिए ऋण जोखिम आधारित जोखिम-भार निम्नानुसार होंगे:

(राशि करोड़ रुपये में)

| आस्तियों के ब्यौरे | बही मूल्य | जोखिम भार | जोखिम भारित आस्तियां |
|--------------------------------------|---|-----------|----------------------|
| नकद तथा भारिबैं | 200 | 0% | 0 |
| बैंक शेष | 200 | 20% | 40 |
| निम्नलिखित में निवेश (एचटीएम श्रेणी) | | | |
| सरकार | 300 | 0% | 0 |
| बैंक | 0 | 20% | 0 |
| कंपनी बाण्ड | 200 | 100% | 200 |
| अग्रिम (निवल) | 2000 | 100% | 2000 |
| अन्य आस्तियां | 300 | 100% | 300 |
| कुल | 3200 | | 2540 |
| ओटीसी डेरिवेटि के लिए ऋण जोखिम | | | |
| आइआरएस | 100 | 100% | 8.00 |
| | (ऋण परिवर्तन गुणक - 1%+प्रति वर्ष 1%) | | |
| आइआरएफ | 50 | 100% | 0.25 |
| | (1 वर्ष से कम परिपक्वता के लिए ऋण परिवर्तन गुणक - 0.5%) | | |
| कुल | 3350 | | 2548.25 |

2.2 बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां (खरीद-बिक्री बही)
(कृपया पैरा 1.7(iv) की सारणी देखें)

क. विशिष्ट जोखिम

1. ब्याज-दर संबद्ध लिखतों में निवेश :

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां - 700 करोड़ रु.- शून्य
- (ii) बैंक बाण्ड

(राशि करोड़ रुपये में)

| ब्यौरे | पूंजी प्रभार | राशि | पूंजी प्रभार |
|---|--------------|------------|--------------|
| परिपक्वता की शेष अवधि 6 महीने अथवा उससे कम के लिए | 0.30% | 200 | 0.600 |
| परिपक्वता की शेष अवधि 6 महीने तथा 24 महीने के बीच के लिए | 1.125% | 100 | 1.125 |
| परिपक्वता की शेष अवधि से 24 महीनों से अधिक के लिए | 1.80% | 200 | 3.600 |
| कुल | | 500 | 5.325 |

(iii) अन्य रु. 300 करोड़ @ 9% = रु. 27 करोड़

कुल (i)+(ii)+(iii)

= 0 करोड़ रु. + 5.325 करोड़ रु. +27 करोड़ रु. = 32.325 करोड़ रु.

2. ईक्विटी - 9% का पूंजी प्रभार - 27 करोड़ रु.

कुल विशिष्ट प्रभार (1+2)

अतएव, खरीद-बिक्री बही में विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार 59.33 करोड़ रु. है (32.33 करोड़ रु. + 27 करोड़ रु.)

ख. सामान्य बाज़ार जोखिम

(1) ब्याज दर संबद्ध लिखतों में निवेश :

ब्याज दर संबद्ध लिखत की मूल्य संवेदनशीलता की गणना करने के लिए आशोधित अवधि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नीचे सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों की रिपोर्टिंग की तारीख 31.3.2003 मान ली गयी है।

(राशि करोड़ रुपये में)

| काउंटर पार्टी | परिपक्वता की तारीख | राशि बाजार मूल्य | कूपन (%) | सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार |
|---------------|--------------------|------------------|----------|---|
| सरकार | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| सरकार | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| सरकार | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| सरकार | 01/03/2015 | 100 | 12.50 | 3.63 |
| सरकार | 01/03/2010 | 100 | 11.50 | 2.79 |
| सरकार | 01/03/2009 | 100 | 11.00 | 2.75 |
| सरकार | 01/03/2005 | 100 | 10.50 | 1.35 |
| बैंक | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| बैंक | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| बैंक | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| बैंक | 01/03/2006 | 100 | 12.50 | 1.77 |
| बैंक | 01/03/2007 | 100 | 11.50 | 2.29 |
| अन्य | 01/03/2004 | 100 | 12.50 | 0.84 |
| अन्य | 01/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.08 |
| अन्य | 31/05/2003 | 100 | 12.00 | 0.16 |
| | जोड़ | 1500 | | 17.82 |

(2) ब्याज दर संबद्ध डेरिवेटिव में स्थिति

ब्याज दर स्वैप

| काउन्टर पार्टी | परिपक्वता की तारीख | कल्पित राशि (अर्थात् बाजार मूल्य) | आशोधित अवधि अथवा मूल्य संवेदनशीलता | प्रतिफल में अनुमानित परिवर्तन | पूँजी प्रभार* |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| भारत सरकार | 30/09/2003 | 100 | 0.47 | 1.00 | 0.47 |
| भारत सरकार | 31/03/2011 | 100 | 5.14 | 0.60 | (-) 3.08 |
| | | | | | (-)2.61 |

ब्याज दर फ्यूचर

| काउन्टर पार्टी | परिपक्वता की तारीख | कल्पित राशि (अर्थात् बाजार मूल्य) | आशोधित अवधि अथवा मूल्य संवेदनशीलता | प्रतिफल में अनुमानित परिवर्तन | पूँजी प्रभार |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| भारत सरकार | 30/09/2003 | 50 | 0.45 | 1.00 | (-) 0.225 |
| भारत सरकार | 31/03/2007 | 50 | 2.84 | 0.75 | 1.070 |
| | | | | | 0.840 |

(3) डिसअलाउन्स

उपर्युक्त के अनुसार अभिकल्पित मूल्य संवेदनशीलताओं को अनुबंध के अंत में दी गयी सारणी के अनुसार पंद्रह टाइम-बैण्ड वाले अवधि-आधारित सोपान में रखा गया है। एक टाइम-बैण्ड में अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियों पर 5% का वर्टिकल डिजएलाउएन्स लगाया गया है। उपर्युक्त मामले में वर्टिकल डिजएलाउएन्स 3-6 महीने के टाइम-बैण्ड तथा 7.3 - 9.3 वर्ष टाइम-बैण्ड में लागू है। बाद में, सारणी में उल्लिखित डिजएलाउएन्सेस के अधीन हॉरिजॉन्टल समायोजन के लिए प्रत्येक टाइम-बैण्ड में निवल स्थितियों की गणना की गयी है। इस मामले में

हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स केवल क्षेत्र 3 के संबंध में लागू है। निकटवर्ती क्षेत्रों के संबंध में हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स इस मामले लागू नहीं है।

3.1 वर्टिकल डिजएलाउएन्स की गणना

ब्याज दर संबद्ध लिखतों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करते समय, बैंकों को आधार जोखिम (विभिन्न प्रकार के लिखत जिनका मूल्य सामान्य दरों में उतार-चढ़ाव के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया देता है) तथा अंतराल जोखिम (टाइम-बैण्डस में विभिन्न परिपक्वताएं) को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा प्रत्येक टाइम-बैण्ड ("वर्टिकल डिजएलाउएन्स ") में मिलती-जुलती (समायोजन) स्थितियों पर अल्प पूंजी प्रभार (5%) से किया जाता है।

वर्टिकल डिजएलाउएन्स के लिए समायोजन की स्थिति या तो अधिक्रय स्थितियों का योग तथा अथवा किसी टाइम बैण्ड में खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियों का योग, इनमें से जो भी कम है, होगी। उपर्युक्त उदाहरण में क्षेत्र 1 में 3-6 महीनों के टाइम बैण्ड तथा 7.3-9.3 वर्ष के टाइम बैण्ड को छोड़कर जहां (-) 0.22 तथा 2.79 की समायोजन स्थितियां हैं, किसी अन्य टाइम बैण्ड में समायोजन स्थिति नहीं है। 3-6 महीनों के टाइम बैण्ड में अधिक्रय स्थितियों का योग है + 0.47 तथा इस टाइम बैण्ड में खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियों का योग है (-) 0.22 । इस 0.22 की समायोजन की स्थिति पर 5% अर्थात् 0.01 का पूंजी भार लगाया जाता है। 7.3-9.3 वर्ष के टाइम बैण्ड में अधिक्रय स्थितियों का योग है +2.79 तथा इस टाइम बैण्ड में खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियों का योग है (-) 3.08 । इस 2.79 की समायोजन की स्थिति पर 5% का पूंजी भार लगाया जाता है अर्थात् 0.1395। यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी बैंक के पास एक टाइम बैण्ड में दोनों अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां नहीं हैं तो किसी वर्टिकल डिजएलाउएन्स की आवश्यकता नहीं है। भारत में कार्यरत बैंकों को अपनी बहियों में डेरिवेटिव में छोड़कर अन्य किसी खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति को लेने की अनुमति नहीं है। अतएव, भारत में कार्यरत बैंकों पर वर्टिकल डिजएलाउएन्स लागू नहीं होगा बशर्ते डेरिवेटिव में उनका शॉर्ट पोजिशन न हो।

3.2. हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स की गणना

ब्याज दर संबद्ध लिखतों पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना करते समय इस तथ्य को मान्यता देने के लिए कि ब्याज दर के उतार-चढ़ाव मैच्युरिटी बैण्ड (प्रतिफल वक्र जोखिम तथा स्प्रेड जोखिम) में पूर्णतः सहसंबंधित नहीं होते हैं अर्थात् विभिन्न टाइम बैण्ड्स में मिलती-जुलती अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां पूर्णतः समायोजित हो सकती हैं, बैंकों को अपनी

स्थितियों को टाइम-बैण्ड्स में पुनःसमायोजित करना चाहिए। ऐसा 'हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स', के द्वारा संपादित होता है।

हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स के लिए कोई समायोजन की स्थिति किसी क्षेत्र में या तो अधिक्रय की स्थितियों तथा अथवा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियों का योग, इनमें से जो भी कम है, होगी। उपर्युक्त उदाहरण में केवल क्षेत्र 3 (7.3 से 9.3 वर्ष) को छोड़कर जहां (-) 0.29 की समायोजन (मिलती-जुलती) की स्थिति है, अन्य किसी क्षेत्र में समायोजन की स्थिति नहीं है। इस क्षेत्र में अधिक्रय स्थितियों का जोड़ है 9.74 तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति का जोड़ है (-) 0.29। इस 0.29 की समायोजन की स्थिति पर निम्नानुसार हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स लागू होगा :

| | | |
|--|---|-------|
| उसी क्षेत्र (क्षेत्र 3) में - 0.29 का 30% | = | 0.09 |
| निकटवर्ती क्षेत्रों (क्षेत्र 2 तथा 3) के बीच | = | शून्य |
| क्षेत्र 1 तथा क्षेत्र 3 के बीच | = | शून्य |

यह उल्लेखनीय है कि यदि किसी बैंक के पास विभिन्न टाइम क्षेत्रों में दोनों अधिक्रय तथा खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स की आवश्यकता नहीं है। भारत में कार्यरत बैंकों को अपनी बहियों में डेरिवेटिव को छोड़कर अन्य किसी में खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति लेने की अनुमति नहीं है। अतएव डेरिवेटिव में खरीद से अधिक बिक्री की स्थितियां न होने की स्थिति में भारत में कार्यरत बैंकों पर सामान्यतः हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स लागू नहीं होंगे।

ब्याज दर से संबंधित लिखतों के लिए कुल पूंजी प्रभार

| | |
|---|--------------|
| समग्र निवल स्थिति के लिए | 16.06 |
| वर्टिकल डिजएलाउएन्स के लिए | 0.15 |
| क्षेत्र 3 में हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स के लिए | 0.09 |
| निकटवर्ती क्षेत्र में हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स | शून्य |
| क्षेत्र 1 तथा 3 के बीच के हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स के लिए | शून्य |
| ब्याज दर से संबंधित लिखतों के लिए कुल पूंजी प्रभार | 16.30 |

(4) इस उदाहरण में ब्याज दर संबद्ध लिखतों के लिए बाजार दर के लिए कुल पूंजी प्रभार की निम्नानुसार गणना की गयी है :

| क्र मांक | पूँजी प्रभार | राशि (रु.) |
|-------------|--|--------------|
| 1 | वर्टिकल डिजएलाउएन्सेस के लिए (3-6 महीने टाइम बैंड के अंतर्गत) | 1,12,500 |
| 2 | वर्टिकल डिजएलाउएन्स के लिए (7.3-9.3 वर्ष टाइम बैंड के अंतर्गत) | 13,95,000 |
| 3 | हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स (क्षेत्र 3 के अंतर्गत) | 9,00,000 |
| 4 | निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच के हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स के लिए | 0 |
| 5 | समग्र निवल जोखिम की स्थिति (17.82 - 2.61+ 0.84) | 16,06,00,000 |
| 6 | ब्याज दर संबंधित लिखतों पर सामान्य बाज़ार दर के लिए कुल पूँजी प्रभार (1 +2 +3 +4 +5) | 16,30,07,500 |

(5) ईक्विटी

ईक्विटी के लिए सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार 9% है। अतः ईक्विटी पर सामान्य बाजार जोखिम पूँजीप्रभार 27 करोड़ रु .होगा।

(6) विदेशी मुद्रा/सोने की जोखिम की स्थिति

विदेशी मुद्रा/सोने की जोखिम की स्थिति पर पूँजी प्रभार की 9% की दर से गणना की जाएगी। अतः वह होगा 9 करोड़ रुपये।

(7) इस उदाहरण में बाज़ार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार की निम्नानुसार गणना की गयी है:

(करोड़ रुपये में)

| ब्यौरे | विशिष्ट जोखिम के लिए पूँजी प्रभार | सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार | जोड़ |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------|
| ब्याज दर संबद्ध लिखत | 32.33 | 16.30 | 48.63 |
| ईक्विटी | 27.00 | 27.00 | 54.00 |
| विदेशी मुद्रा / सोना | - | 9.00 | 9.00 |
| कुल | 59.33 | 52.30 | 111.63 |

2.3 पूंजी अनुपात की गणना

संपूर्ण बही के लिए सीआरएआर की गणना के लिए खरीद-बिक्री बही में बाज़ार जोखिमों के लिए उपर्युक्त पूंजी प्रभार को समकक्ष जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित करना आवश्यक है। चूंकि भारत में 9% का सीआरएआर आवश्यक है, इसलिए पूंजी भार को $(100 \div 9)$ से गुणा करके, पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात् रु. $111.63 * (100 \div 9) = 1240.33$ करोड़ रु.। अतएव, बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भार है 1240.33 करोड़ रुपये।

(करोड़ रु पये में)

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | कुल पूंजी | 400.00 |
| 2 | ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां | 2548.25 |
| 3 | बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां | 1240.33 |
| 4 | कुल जोखिम भारित आस्तियां (2+3) | 3788.58 |
| 5 | सीआरएआर $(1 \div 4) * 100$ | 10.56% |

पूंजी अनुपात की निगरानी के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट अनुबंध 12 में दिया गया है।

**भार तथा ब्याज-दर संबद्ध लिखतों पर वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल
डिसअलाउन्स सहित पूंजी भार की गणना करने के लिए उदाहरण
(उपर्युक्त उदाहरण 2 का पैरा सं. 2.2 (बी) (3))**

**** 0.22 x 5%=0.01**

@2.79 x 5%=0.14

0.29 x 30%=0.09

| टाइम -ब्रेण्ड | क्षेत्र 1 | | | | क्षेत्र 2 | | | | क्षेत्र 3 | | | | | | पूंजी भार | |
|--|-----------|---------|---------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| | 0-1 माह | 1-3 माह | 3-6 माह | 6 माह -1 वर्ष | 1-1.9 वर्ष | 1.9 - 2.8 वर्ष | 2.8-3.6 वर्ष | 3.6-4.3 वर्ष | 4.3-5.7 वर्ष | 5.7-7.3 वर्ष | 7.3-9.3 वर्ष | 9.3-10.6 वर्ष | 10.6-12 वर्ष | 12-20 वर्ष | | 20 वर्ष से अधिक |
| स्थिति | | 0.72 | | 2.51 | | 1.35 | 1.77 | 2.29 | | 2.75 | 2.79 | | 3.63 | | | 17.82 |
| डेरिवेटिव (अधिक्रय) | | | 0.47 | | | | | 1.07 | | | | | | | | 1.54 |
| डेरिवेटिव (खरीद से अधिक-बिक्री) | | | (-)0.22 | | | | | | | | (-)3.08 | | | | | (-)3.30 |
| निवल स्थिति | | 0.72 | 0.25 | 2.51 | | 1.35 | 1.77 | 3.36 | | 2.75 | (-)0.29 | | 3.63 | | | 16.06 |
| वर्टिकल डिसअलाउन्स (5%) | | | 0.01** | | | | | | | | 0.14 @ | | | | | 0.15 |
| हॉरिजॉन्टल डिसअलाउन्स 1 (क्षेत्र 3 के अंतर्गत) | | | | | | | | | | | 0.09 # | | | | | 0.09 |
| हॉरिजॉन्टल | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| डिसअलाउन्स 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हॉरिजांटल डिसअलाउन्स 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

अधिक्रमित अनुदेशों और परिपत्रों की सूची

भाग - अ

परिपत्रों की सूची

| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|-----|---|------------|---|
| 1. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/21.01.002/ 2005-2006 | 25.01.2006 | पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजन से पूँजी जुटाने के लिए बैंकों के विकल्पों में वृद्धि |
| 2. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23 / 21.01.002/ 2002-2003 | 29.08.2002 | बीमा /गारंटी द्वारा कवर किये गये निर्यात ऋण के लिए पूँजी पर्याप्तता तथा प्रावधानन आवश्यकताएं |
| 3. | बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 65 / 23.10.015/ 2001-02 | 14.02.2002 | टियर II पूँजी में शामिल करने के लिए अधीनस्थ ऋण -भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय से उधार |
| 4. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.106 / 21.01. 002/ 2001-02 | 24.05.2002 | आवास वित्त और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के संबंध में जोखिम भार |
| 5. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 128/ 21.04.048/00-01 | 07.06.2001 | लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसआई) द्वारा गारंटीकृत लघु उद्योग अग्रिम |
| 6. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 110/ 21.01.002/ 00-01 | 20.04.2001 | प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी के बदले सिडबी / नाबार्ड के पास रखी जमाराशिय- i पर जोखिम भार |
| 7. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/ 21.01.002/00-01 | 28.02.2001 | स्टाफ को ऋण और अग्रिम - जोखिम भार देना तथा तुलनपत्र में निरूपण |
| 8. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 87/ 21.01.002/99 | 08.09.99 | पूँजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों /प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार |
| 9. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 5/ 21.01.002/98-99 | 08.02.99 | टियर II पूँजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना |

| | | | |
|------------|--|--------------|--|
| 10. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 119/ 21.01.002/98 | 28.12.98 | मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय - पूंजी पर्याप्तता अनुपात - वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांडों / प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों पर जोखिम भार |
| सं. | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
| 11. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152/ 21.01.002/96 | 27.11.96 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 12. | बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 64/23.61.001/ 96 | 24.05.96 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 13. | बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 13/ 21.01.002/96 | 08.02.96 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 14. | बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 99/21.01.002/ 94 | 24.08.94 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 15. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.01.002/94 | 08.02.94 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 16. | बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 98/ 23.50.001- 92/93 | 06.04.93 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय - भारतीय पार्टियों को विदेशी मुद्रा ऋणों पर कार्रवाई |
| 17. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 117/ 21.01.002/92 | 22.04.92 | पूंजी पर्याप्तता संबंधी उपाय |
| 18. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/21.01.002/ 2006-07 | 21.07.2006 | पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से पूंजी जुटाने के लिए बैंकों के विकल्पों में वृद्धि |

भाग - आ

विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित अनुदेशों / दिशा-निर्देशों / निदेशों संबंधी अन्य परिपत्रों की सूची

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|--|
| 1. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 105/ 21.01.002/2002-03 | 07.05.2003 | मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 -निवेश घट-बढ़ रिज़र्व |
| 2. | बैंपविवि.बीपी. बीसी. 96/ 21.04.048/ 2002-03 | 23.04.2003 | प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) (सेक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनैन्शियल असेट्स एण्ड एन्फोर्समेण्ट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश तथा संबंधित मामले |
| 3. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.018/ 2002-03 | 29.03.2003 | बैंकों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर दिशानिर्देश |
| 4. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/ 2002-03 | 25.02.2003 | समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए समेकित लेखांकन तथा अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशानिर्देश |
| 5. | बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.71/ 21.04.103/ 2002-03 | 19.02.2003 | बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली - देश संबंधी जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश |
| 6. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 67/21.04. 048/2002-03 | 04.02.2003 | बुनियादी सुविधा वित्तपोषण पर दिशानिर्देश |
| 7. | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 62/13.07. 09/2002-03 | 24.01.2003 | बैंकों द्वारा बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई |
| 8. | ए. पी. (डीआइआर सीरिज़) परिपत्र सं. 63 | 21.12.2002 | जोखिम प्रबंधन तथा अंतर-बैंक व्यवहार |
| 9. | सं. इसी.सीओ. एफएमडी. 6/02. 03.75/2002-03 | 20.11.2002 | टियर 1 पूंजी की प्रतिरक्षा |
| 10. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/21.04. 048/2001-02 | 10.01.2002 | बैंकों द्वारा निवेशों का मूल्यांकन |
| 11. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/ 12.01.001/ 2001-02 | 22.10.2001 | भारिबैं. अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखना |

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|--|
| 12. | बैंपविवि.बीपी. बीसी. 73/ 21.04. 018/2000-01 | 30.01.2001 | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना खर्च - लेखांकन और विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार |
| 13. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/ 21. 04. 048/ 2000 | 10.10.2000 | मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय - वर्ष 2000-2001 की मध्यावधि समीक्षा |
| 14. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.169/21.01.002/2000 | 03.05.2000 | मौद्रिक तथा ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 15. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.144/21.04.048/2000 | 29.02.2000 | आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानन तथा अन्य संबंधित मामले और पर्याप्तता मानक - 'टेक आउट' वित्तपोषण |
| 16. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.121/21.04.124/99 | 03.11.1999 | मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 17. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/ 21.04.048/99 | 18.10.1999 | आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानन - बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यन |
| 18. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.82/21.01. 002/99 | 18.08.1999 | मौद्रिक अपर ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 19. | एफएससी. बीसी. 70/24.01.001/99 | 17.7.1999 | उपस्कर पट्टेदारी कार्यकलाप - लेखांकन / प्रावधानन के मानदण्ड |
| 20. | एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/1999-2000 | 7.7.1999 | वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप |
| 21. | बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.24/ 21.04. 048/99 | 30.03.99 | विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता - आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानन |
| 22. | बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.35/ 21.01.002/99 | 24.04.99 | मौद्रिक आधार ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 23. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.103/21.01.002/98 | 31.10.98 | मौद्रिक आधार ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 24. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.32/21.04. 018/98 | 29.04.1998 | मौद्रिक आधार ऋण नीति संबंधी उपाय |
| 25. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.9/21.04. 018/98 | 27.01.1998 | बैंक का तुलनपत्र - प्रकटीकरण |
| 26. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.048/97 | 29.01.97 | विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय- निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानन |

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|---|
| 27. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 3/ 21.01.002/2004-05 | 06.07.2004 | पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के बीच पूँजी की परस्पर धारिता |
| 28. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/ 21.04.151/ 2003-04 | 24.06.2004 | बाज़ार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार पर दिशानिर्देश |
| 29. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/ 21.04. 048/ 2003-04 | 16.06.2004 | वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बुनियादी सुविधा वित्तपोषण पर दिशा-निर्देश |
| 30. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 91/ 21.01. 002/ 2003-04 | 15.06.2004 | वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण पर जोखिम भार |
| 31. | एफ. सं. 11/7/2003-बीओए | 06.05.2004 | राष्ट्रीयकृत बैंकों को टियर II पूँजी वर्धन के लिए गौण ऋण जारी करने की अनुमति |
| 32. | बैंपवि. एफआइडी. सं. सी-15/ 01.02.00/2003-04 | 15.06.2004 | सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को ऋणों पर जोखिम भार |
| 33. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 29/ 21.01.048/2004-05 | 13.08.2004 | विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण |
| 34. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 61/ 21.01.002/2004-05 | 23.12.2004 | वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - आवास ऋण तथा उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार |
| 35. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 85/ 21.04.141/2004-05 | 30.04.2005 | पूँजी पर्याप्तता -आइएफआर |
| 36. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.04.141/2004-05 | 13.07.2005 | अनर्जक परिसंपत्तियों की खरीद पर दिशानिर्देश |
| 37. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 21/ 21.01.002/2005-06 | 26.07.2005 | पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र पर जोखिम भार |
| 38. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/ 21.04.141/2005-06 | 10.10.2005 | पूँजी पर्याप्तता - आइएफआर |
| 39. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/ 21.04.048/2005-06 | 01.02.2006 | मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देश |
| 40. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 73/ 21.04.048/2005-06 | 24.03.2006 | साख-पत्र के अधीन भुनाए गए बिल - जोखिम भार और ऋणादि जोखिम मानदंड |

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|-------------|---|
| 41. | बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/ 21.01.002/2005-06 | 25.05.2006 | 2006-07 के लिए एपीएस - वाणिज्यिक स्थावर संपदा और जोखिम पूँजी निधियों के संबंध में ऋणादि जोखिमों पर जोखिम भार |
| 42. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 87/ 21.01.002/2005-06 | 08.06.2006 | नवोन्मेष टियर I / टियर - II बांड - बैंकों द्वारा डेरिवेटिव संरचनाओं के माध्यम से बचाव-व्यवस्था |
| 43. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.048/2005-06 | 22.06.2006 | अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड |
| 44. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 53/ 21.04.048/2006-07 | 31.01.2007 | वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधानन अपेक्षा तथा पूँजी पर्याप्तता के लिए जोखिम भार |
| 45. | आइडीएमडी सं. /11.01.01(बी)/ 2006-07 | 31.01.2007 | सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन - शार्ट सेलिंग |
| 46. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 92/ 21.01.002/2006-07 | 3.05.2007 | वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य : रिहायशी आवास ऋण पर जोखिम भार |
| 47. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 42/ 21.01.002/2007-08 | 29.10.2007 | विनियामक पूँजी के भाग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने के लिए दिशानिर्देश |
| 48. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 59/ 21.01.002/2007-08 | 17.01.2008 | पूँजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - शिक्षा ऋणों के लिए जोखिम भार |
| 49. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 83/ 21.01.002/2007-08 | 14.05.2008 | आवासीय संपत्ति की जमानत पर दावे-जोखिम भार के लिए सीमा में परिवर्तन |
| 50. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 88/ 21.01.002/2007-08 | 30.05.2008 | पूँजी पर्याप्तता मानदंड- सहायक/सहयोगी कम्पनियों में बैंकों के निवेश तथा प्रवर्तक बैंकों में सहायक/सहयोगी कम्पनियों के निवेश पर कार्रवाई |
| 51. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 26/ 21.04.048/2008-09 | 30 .07.2008 | कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, |

| क्र. सं. | परिपत्र सं. | दिनांक | विषय |
|----------|--|------------|--|
| | | | प्रावधानीकरण और पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड |
| 52. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 31/ 21.04.157/2008-09 | 08.08.2008 | बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड |
| 53. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 76/ 21.04.132/2008-09 | 03.11.2008 | बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकशील दिशानिर्देश |
| 54. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 83/ 21.01.002/2008-09 | 15.11.2008 | विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण तथा कॉर्पोरेट, वाणिज्य स्थावर संपदा तथा प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण - जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति एक्सपोजर के लिए जोखिम भार |
| 55. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 118/ 21.04.048/2008-09 | 25.03.2009 | ऋण संविभागों के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का विवेकपूर्ण प्रयोग |
| 56. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 120/ 21.01.002/2008-09 | 02.04.2009 | विनियामक पूंजी के भाग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने से संबंधित दिशानिर्देश |
| 57. | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 12.05.2009 | बैंकों पर दावे - प्रधान कार्यालयों/ओवरसीज़ शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के गारंटीकृत/ प्रति गारंटीकृत एक्सपोजर |
| 58. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. 134/ 21.06.001/2008-09 | 26.05.2009 | केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी) के प्रति बैंक के एक्सपोजरों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता मानदंड |
| 59. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 38/ 21.01.002/2008-09 | 07.09.2009 | टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण जारी करना |
| 60. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 69/ 21.06.001/2009-10 | 13.01.2010 | टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम |
| 61. | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 18.01.2010 | प्रतिभूति प्राप्तियों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा |
| 62. | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 25.01.2010 | बैंकों के पूंजी लिखतों के निवेशकों की आय |

| | | | |
|-----|---|----------------|--|
| | | | गारंटीकृत करना |
| 63. | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 28.01.2010 | पूँजी पर्याप्तता की गणना के लिए तिमाही गैर-लेखा परीक्षित लाभों को शामिल करना |
| 64. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 87/21.06.001/2009-10 | 07.01.2010 | पूँजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मानदंड - नया पूँजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ) - समांतर प्रयोग तथा विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा |
| 65. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 69/08.12.001/2010-11 | 23.12.2010 | वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास ऋण - एलटीवी अनुपात, जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण |
| 66. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 71/21.06.001 /2010-11 | 31.12.2010 | एनसीएएफ संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - समांतर प्रयोग तथा न्यूनतम विवेकपूर्ण सीमा |
| 67. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 75/21.06.001 /2010-11 | 20.01.2011 | विनियामक पूँजी लिखत-स्टेप अप ऑप्शन |
| 68. | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं.80/21.04.018 /2010-11 | 09.02.2011 | सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के पेंशन विकल्प पुनः खोलना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमाओं में वृद्धि -विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार |
| 69 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं.69/21.06.001/2011-12 | 27.12. 2011 | पूँजी बाजार एक्सपोज़र से मुक्त वित्तीय हस्तियों में बैंकों के निवेश के लिए पूँजी अपेक्षा |
| 70 | बैंपविवि मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 17.04. 2012 | ओवरसीज़ कार्पोरेट बॉडी शब्द हटाया जाना |
| 71 | बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं. 61/21.06.203/2011-12 | 30.11. 2011 | क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश |
| 72 | बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 103/21.04.177/2011-12 | 07.05. 2012 | प्रतिभूतीकरण लेनदेनों पर दिशानिर्देशों में संशोधन |
| 73 | बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.90/21.04.048/2012-13 | 16 अप्रैल 2013 | निम्न आय वालों के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटीकृत अग्रिम (सीआरजीएफटीएलआईएच) - जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण |
| 74 | बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.95/21.06.001/2012-13 | 27 मई 2013 | पूँजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर विवेकाधीन दिशानिर्देश - नई पूँजी पर्याप्तता संरचना - समांतर चलाना और विवेकाधीन धरातल |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| 75 | बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.104/08. 12.015/2012-13 | 21 जून 2013 | आवासीय क्षेत्र - सीआरई के भीतर नए उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) तथा प्रावधानीकरण, जोखिम भार और एलटीवी अनुपातों का औचित्य |
|----|---|----------------|--|

3. शब्दावली

| | |
|----------------------|---|
| आस्ति | किसी व्यक्ति अथवा कारोबार के स्वामित्व वाली कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मूल्य है, परिसंपत्ति अथवा आस्ति कहलाती है। |
| बिक्री के लिए उपलब्ध | बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां हैं जहां बैंक का उद्देश्य न तो व्यापार का है न ही परिपक्वता तक धारण करने का। इन प्रतिभूतियों को उचित मूल्य पर मूल्यन किया जाता है। यह उचित मूल्य चालू बाजार भाव अथवा चालू मूल्य से संबंधित अन्य आंकड़ों के उपलब्ध सर्वोत्तम स्रोत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। |
| तुलन पत्र | तुलन पत्र किसी विशिष्ट समय पर अभिलेखबद्ध किसी व्यापारी संस्था की आस्तियों तथा देयताओं का वित्तीय विवरण है। |
| बैंकिंग बही | बैंकिंग बही में ऐसी आस्तियां तथा देयताएं होती हैं जिन्हें मूलतः संबंधों के कारण अथवा नियमित आय तथा सांविधिक बाध्यताओं के लिए संविदाकृत किया जाता है और सामान्यतः परिपक्वता तक रखा जाता है। |
| बासल पूंजी समझौता | <p>बासेल पूंजी समझौता विभिन्न देशों में कार्यरत बैंकों के लिए मानकीकृत जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए 1988 में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच किया गया एक करार है। इस समझौते के स्थान पर जून 2004 में प्रकाशित नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (बासल II) लाया गया।</p> <p>बासल II आपस में एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले ऐसे तीन स्तंभों पर आधारित है जो बैंकों तथा पर्यवेक्षकों को बैंकों के समक्ष विभिन्न जोखिमों का सही मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। ये तीन स्तंभ निम्नानुसार हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, जो वर्तमान मापन ढांचे को और परिष्कृत करने का प्रयास करती हैं। • किसी संस्था की पूंजी पर्याप्तता तथा आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की पर्यवेक्षी समीक्षा ; |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित तथा सुदृढ़ बैंकिंग प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावी प्रकटीकरण के माध्यम से बाजार अनुशासन |
| बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति | बासल समिति, बैंक पर्यवेक्षकों की ऐसी समिति है जिसमें जी-10 देशों में से प्रत्येक देश के सदस्य शामिल हैं। यह समिति विशिष्ट पर्यवेक्षी समस्याओं के निपटान पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच है। यह समिति बैंकों के विश्व व्यापी गतिविधियों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों के विदेशी प्रतिष्ठानों के संबंध में राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों को आपस में बांटने के लिए समन्वय करती है। |
| मूल संकेतक दृष्टिकोण | बासेल II के अंतर्गत अनुमत परिचालनगत जोखिम की माप की तकनीक है। यह दृष्टिकोण एकल संकेतक के सुनिश्चित प्रतिशत (अल्फा फैक्टर) के रूप में परिचालनगत जोखिम के लिए भार निर्धारित करता है। यह संकेतक बैंक के जोखिम एक्सपोजर के लिए परोक्षी (प्रोक्सि) का कार्य करता है। |
| आधार जोखिम | विभिन्न आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्र से इतर मर्दों की ब्याज दर अलग-अलग परिमाण में परिवर्तित हो सकने के जोखिम को आधार जोखिम कहते हैं। |
| पूंजी | कारोबार चलाने, निवेश करने तथा भावी आय निर्माण करने के लिए उपलब्ध निधियों (उदा. मुद्रा, ऋण तथा ईक्विटी) को पूंजी कहते हैं। पूंजी उन भौतिक आस्तियों को भी कहते हैं जिनका उपयोग भावी आय निर्माण करने के लिए किया जाता है। |
| पूंजी पर्याप्तता | किसी संस्था की वर्तमान देयताओं की तुलना में तथा उसकी आस्तियों से संबद्ध जोखिमों की तुलना में उसके पूंजीगत संसाधनों की पर्याप्तता की माप। पूंजी पर्याप्तता का उचित स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किसी संस्था के पास उसकी गतिविधियों के समर्थन के लिए पर्याप्त पूंजी है तथा उसकी निवल मालियत उसकी आस्तियों के मूल्य में होनेवाले प्रतिकूल परिवर्तनों को दिवालिया न होते हुए आत्मसात करने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, बीआइएस (बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स) के नियमों के अंतर्गत बैंकों को अपने जोखिम समायोजित आस्तियों के लिए पूंजी का एक निर्धारित स्तर बनाए रखना अपेक्षित है। |
| पूंजी आरक्षित निधियां | कंपनी के लाभों का वह हिस्सा जिसका शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान नहीं किया गया है। उन्हें अवितरणीय आरक्षित निधि भी कहा जाता है। |

| | |
|---------------------|--|
| परिवर्तनीय बॉण्ड | ऐसा बॉण्ड जो निवेशक को निश्चित परिवर्तन कीमत पर अथवा पूर्व-निर्धारित कीमत निर्धारण फॉर्म्यूला के अनुसार बॉण्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प देता है। |
| स्थायी पूंजी | टियर 1 पूंजी को सामान्यतः स्थायी पूंजी कहा जाता है। |
| ऋण जोखिम | यह जोखिम कि संविदात्मक करार अथवा लेनदेन करनेवाली कोई पार्टी, अपनी बाध्यताएं पूर्ण नहीं कर सकेगी अथवा बाध्यताएं पूर्ण करने में चूक करेगी। ऋण जोखिम लगभग किसी भी लेनदेन अथवा लिखत, यथा स्वैप्स, रिपो, सीडी, विदेशी मुद्रा लेनदेन आदि से संबद्ध हो सकता है। विशिष्ट प्रकार के ऋण जोखिमों में सम्प्रभु (सोवरिन) जोखिम, देश जोखिम, विधिक अथवा नियंत्रण से बाहर वाला जोखिम, सीमांत (मार्जिनल) जोखिम तथा निपटान जोखिम शामिल हैं। |
| डिबेंचर | कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे बांड जिनपर सामान्यतः विनिर्दिष्ट तारीखों को छमाही आधार पर नियत ब्याज दर देय होता है तथा जिनकी मूल राशि की डिबेंचर के मोचन पर किसी विनिर्दिष्ट तारीख को चुकौती की जाती है। |
| आस्थगित कर आस्तियां | अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटे की पूर्ति, जिसे भावी कर योग्य आय के प्रति प्रतिसंतुलित किया जा सकता है और जिसे समय निर्धारण में अंतर माना जाता है, आस्थगित कर आस्तियां माना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का लेखांकन मानक 22 के अनुसार लेखांकन किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों से भावी आय कर भुगतान कम हो जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे पूर्वदत्त आय कर हैं और आस्तियों की परिभाषा पूर्ण करते हैं। इसके विपरीत आस्थगित कर देयताओं से भावी वर्ष के आय कर भुगतान में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि वे उपचित आय कर हैं और देयताओं की परिभाषा पूर्ण करते हैं। |
| डेरिवेटिव | कोई भी डेरिवेटिव लिखत अपना ज्यादातर मूल्य किसी आधारभूत उत्पाद से प्राप्त करता है। डेरिवेटिव के उदाहरणों में फ्यूचर्स, ऑप्शन्स, फॉवर्डस् तथा स्वैप्स शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए एक वायदा संविदा हाज़िर मुद्रा बाज़ार तथा उधार लेने तथा देने के लिए हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न की जा सकती है। पूर्व में डेरिवेटिव लिखत ज्यादातर केवल उन उत्पादों तक सीमित थे, जिन्हें हाज़िर बाज़ारों से व्युत्पन्न किया जा सकता था। तथापि, आज यह शब्द किसी भी ऐसे उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसे किसी अन्य उत्पाद से व्युत्पन्न किया जा सकता है। |

| | |
|--|---|
| अवधि (इयूरेशन) | अवधि (मैकले अवधि) नियत आय प्रतिभूतियों की मूल्य अस्थिरता की माप करती है। यह अक्सर विभिन्न कूपनों तथा विभिन्न परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों के बीच ब्याज दर जोखिम की तुलना में प्रयोग में लाया जाता है। यह किसी नियत आय प्रतिभूति से संबद्ध सभी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का भारित औसत है। इसे वर्षों में अभिव्यक्त किया जाता है। नियत आय प्रतिभूति की अवधि हमेशा उसकी परिपक्वता की अवधि से कम होती है। केवल शून्य प्रतिभूतियों के मामले में अवधि और परिपक्वता अवधि समान होती है। |
| विदेशी संस्थागत निवेशक | भारत के बाहर स्थापित अथवा निगमित कोई संस्था जिसका भारत में प्रतिभूतियों में निवेश करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कोई देशी आस्ति प्रबंधन कंपनी अथवा देशी संविभाग प्रबंधक जो किसी उप-खाते की ओर से, भारत में निवेश के लिए भारत के बाहर से जुटाई अथवा एकत्रित अथवा लाई गयी निधियों का प्रबंधन करता है, को विदेशी संस्थागत निवेशक समझा जाएगा। |
| वायदा संविदा | एक वायदा संविदा दो पार्टियों के बीच सहमत भावी तारीख को सुपुर्दगी के लिए किसी सहमत मूल्य पर किसी वस्तु अथवा वित्तीय लिखत की सहमत मात्रा को खरीदने अथवा बेचने का करार है। फ्युचर्स संविदा के विपरीत, एक वायदा संविदा हस्तांतरणीय नहीं है अथवा उसकी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद-बिक्री नहीं हो सकती, उसकी शर्तें मानक नहीं हैं और किसी भी मार्जिन का लेनदेन नहीं होता है। वायदा संविदा के खरीदार को लॉंग द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और बेचने वाले को शॉर्ट द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। |
| सामान्य प्रावधान तथा हानि आरक्षित निधि | ऐसी निधियां जो किसी विशिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक गिरावट अथवा इंगित करने योग्य संभाव्य हानि के लिए न हो और अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो तो उन्हें टियर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है। |
| सामान्य जोखिम | वह जोखिम जो समग्र बाजार परिस्थितियों से संबंधित है, जबकि विशिष्ट जोखिम वह जोखिम है जो किसी विशिष्ट प्रतिभूति के जारीकर्ता से संबंधित है। |
| प्रतिरक्षा या बचाव (हेजिंग) | जोखिम के प्रति एक्सपोजर को हटाने अथवा कम करने के लिए कोई कदम उठाना। |
| खरीद-बिक्री के लिए धारित | ऐसी प्रतिभूतियां जहां मूल्य/ब्याज दर में अल्पावधि उतार-चढ़ावों का लाभ उठाते हुए खरीद-बिक्री करने का उद्देश्य है। |
| क्षैतिज अस्वीकृति (हॉरिज़ॉन्टल) | अपेक्षित पूंजी में प्रतिसंतुलन करने की अस्वीकृति जिसका उपयोग विनियामक पूंजी के लिए बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बीआइएस पद्धति में |

| | | |
|--|------------------------|---|
| | डिजएलाउंस) | किया जाता है। ट्रेडिंग संविभाग पर ब्याज दर जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी के अभिकलन के लिए बीआइएस पद्धति में लॉग तथा शॉर्ट पोज़िशनस का प्रतिसंतुलन अनुमत है। फिर भी प्रतिफल वक्र के विभिन्न क्षैतिज बिंदुओं पर लिखतों के ब्याज दरों का जोखिम पूर्णतः सहसंबंधित नहीं है। इसलिए, बीआइएस पद्धति में इन प्रतिसंतुलनों के कुछ हिस्से को अस्वीकृत किया जाता है। |
| | सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत | इस संवर्ग में ऐसे कई पूंजी लिखत है जिनमें ईक्विटी तथा ऋण के कुछ वैशिष्ट्यों का संयोग होता है। प्रत्येक की एक खास विशेषता होती है जिसका पूंजी के रूप में उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जहां इन लिखतों में ईक्विटी के जैसी समानताएं हैं, विशेषतः जब वे परिसमापन को रोककर निरंतर आधार पर हानियों का समर्थन कर सकते हैं तो उन्हें टियर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है। |
| | ब्याज दर जोखिम | यह जोखिम कि ब्याज दरों में उतार-चढ़ावों के कारण आस्तियों अथवा देयताओं (अथवा आगमनों /बहिर्गमनों) के वित्तीय मूल्य में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए यह जोखिम कि भावी निवेश निम्नतर दरों पर करने होंगे अथवा भावी उधार उच्चतर दरों पर लेने होंगे। |
| | लॉग पोज़िशन | लॉग पोज़िशन उस स्थिति (पोज़िशन) को कहते हैं जहां आधारभूत प्रतिभूति के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण लाभों में वृद्धि होती है। |
| | बाज़ार जोखिम | किसी लेनदेन अथवा समझौते में निर्धारित दरों अथवा कीमतों की अपेक्षा बाज़ार कीमतों अथवा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि का जोखिम। |
| | आशोधित अवधि | <p>आशोधित अवधि अथवा किसी ब्याज वाहक प्रतिभूति की अस्थिरता उसकी मैकॉल अवधि को प्रतिभूति की कूपन दर जोड़ एक से भाग देकर प्राप्त की जाती है। यह प्रतिफल में हुए 100 आधार अंकों के परिवर्तन के लिए प्रतिभूति की कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। यह सामान्यतः केबल प्रतिफल में अल्प परिवर्तनों के मामले में सही होती है।</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\text{एमडी} = \frac{dp}{dY} \frac{1}{P}$ </div> <p>जहां एमडी = आशोधित अवधि</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>पी = सकल कीमत (अर्थात् स्पष्ट कीमत जोड़ उपचित ब्याज)</p> <p>डीपी = कीमत में तदनुरूप अल्प परिवर्तन</p> <p>डीवाई = प्रतिफल में अल्प परिवर्तन के साथ कूपन भुगतान की बारंबारता।</p> |
| बंधक-समर्थित प्रतिभूति | <p>एक बॉण्ड जैसी प्रतिभूति जिसमें बंधकों के समूह द्वारा संपार्श्विक प्रदान किया जाता है। आधारभूत बंधकों से प्राप्त आय का ब्याज तथा मूलधन की चुकौतियों के लिए उपयोग किया जाता है।</p> |
| म्युच्युअल फंड | <p>म्युच्युअल फंड, निवेशकों को यूनिट जारी करके संसाधनों को एकत्रित करने तथा प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करने का एक तंत्र है। यह मुद्रा बाजार लिखतों सहित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एक अथवा उससे अधिक योजनाओं के अंतर्गत आम लोगों अथवा उनके एक वर्ग को यूनिटों की बिक्री के माध्यम से धन राशि जुटाने के लिए न्यास के रूप में स्थापित निधि है।</p> |
| निवल ब्याज मार्जिन | <p>निवल ब्याज मार्जिन है औसत ब्याज अर्जक आस्तियों द्वारा विभाजित निवल ब्याज आय।</p> |
| निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) | <p>निवल एनपीए = सकल एनपीए - (ब्याज उंचंत खाते में शेष + समायोजन होने तक प्राप्त तथा धारित डीआइसीजीसी/ ईसीजीसी दावे + उंचंत खाते में रखा गया प्राप्त आंशिक भुगतान + धारित कुल प्रावधान)</p> |
| नॉस्ट्रो खाते | <p>विदेशी मुद्रा निपटान खाते जो एक बैंक अपने विदेशी प्रतिनिधि बैंकों के पास रखते हैं। ये खाते देशी बैंक की आस्तियां हैं।</p> |
| तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र | <p>तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़र बैंक की उन व्यवसायिक गतिविधियों को कहा जाता है जिनमें सामान्यतः आस्तियों (ऋण) को दर्ज करना तथा जमाराशियां स्वीकार करना शामिल नहीं होता। तुलन-पत्रेतर गतिविधियों से सामान्यतः शुल्क मिलता है लेकिन उनसे आस्थगित अथवा आकस्मिक देयताएं अथवा आस्तियां निर्माण होती हैं और इसलिए वे वास्तविक आस्तियां अथवा देयताएं बनने तक संस्था के तुलन पत्र में प्रकट नहीं होती हैं।</p> |
| ओपन पोज़िशन | <p>किसी लिखत अथवा पण्य में देय तथा प्राप्य राशियों के बीच का निवल अंतर ओपन पोज़िशन है। यह अंतर किसी लिखत अथवा पण्य में निवल लाँग अथवा निवल शॉर्ट पोज़िशन के आस्तित्व के कारण निर्माण होता है।</p> |
| ऑप्शन | <p>ऑप्शन एक ऐसी संविदा है जो खरीदार को सहमत तारीख (समाप्ति अथवा निपटान की तारीख) को अथवा उससे पूर्व सहमत दर (निष्पादन दर) पर किसी</p> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>आस्ति, पण्य, मुद्रा अथवा वित्तीय लिखत को खरीदने (कॉल ऑप्शन) अथवा बेचने (पुट ऑप्शन) का अधिकार प्रदान करता है लेकिन उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है।</p> <p>खरीदार बिक्रीकर्ता को इस अधिकार के बदले में एक रकम जिसे प्रिमियम कहा जाता है, अदा करता है। यह प्रिमियम ऑप्शन का मूल्य है।</p> |
| जोखिम | <p>अपेक्षित परिणाम घटित न होने की संभावना। जोखिम की माप की जा सकती और वह अनिश्चितता के समान नहीं है जिसकी माप नहीं की जा सकती है। वित्तीय संदर्भ में जोखिम का अर्थ होता है वित्तीय हानि की संभावना। इसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।</p> |
| जोखिम आस्ति/ परिसंपत्ति अनुपात | <p>बैंक का जोखिम आस्ति अनुपात बैंक की जोखिम आस्तियों का उसकी पूंजीगत निधियों के प्रति अनुपात होता है। जोखिम आस्तियों में उच्च श्रेणी निर्धारित सरकारी आस्तियों तथा सरकारी एजेंसियों की बाध्यताओं तथा नकद राशि से इतर आस्तियां शामिल की जाती हैं - उदाहरण के लिए कंपनी बांड तथा ऋण। पूंजीगत निधियों में पूंजी तथा अवितरित आरक्षित निधियां शामिल होती हैं। जोखिम आस्ति अनुपात जितना कम होता है उतना ही बैंक का 'पूंजी समर्थन' बेहतर होता है।</p> |
| जोखिम भार | <p>बासेल II में बाध्यताधारियों के ऋण जोखिम की माप के लिए जोखिम भारांकन अनुसूची निर्धारित की गयी है। सम्प्रभुओं, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमों को बाहरी श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा दिए गए रेटिंग से यह जोखिम भार जुड़ा होता है।</p> |
| प्रतिभूतीकरण | <p>प्रतिभूतीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समान ऋण लिखत/ आस्तियों को एकत्रित किया जाता है और उन्हें बाजार में बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है ताकि बेचा जा सके। ऋण प्रतिभूतीकरण की प्रक्रिया बैंकों द्वारा अपने पूंजी आस्ति अनुपातों को सुधारने के लिए अपनी आस्तियों को तुलन पत्र से हटाने के लिए प्रयोग में लायी जाती है।</p> |
| शॉर्ट पोजिशन | <p>शॉर्ट पोजिशन उस स्थिति (पोजिशन) को कहा जाता है जहां आधारभूत प्रतिभूति अथवा उत्पाद के मूल्य में हुई गिरावट से लाभ होता है। बिक्रीकर्ता के पास लॉग पोजिशन न होते हुए भी प्रतिभूति की बिक्री करने को भी शॉर्ट पोजिशन कहते हैं।</p> |
| विशिष्ट जोखिम | <p>बाज़ार जोखिमों पर बीआइएस के प्रस्तावों के ढांचे के भीतर, किसी बाज़ार</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | अथवा बाज़ार क्षेत्र (सामान्य जोखिम) से संबद्ध जोखिम के विपरीत किसी खास प्रतिभूति, जारीकर्ता अथवा कंपनी से संबद्ध जोखिम को विशिष्ट जोखिम कहा जाता है। |
| गौण ऋण | गौण ऋण, ऋण की स्थिति दर्शाता है। ऋणकर्ता के दिवालिया होने अथवा परिसमापन की स्थिति में गौण ऋण की चुकौती अन्य ऋणों की चुकौती के बाद ही की जा सकती है। चुकौती के लिए उसका दावा गौण होता है। |
| टियर वन (अथवा टियर I) पूंजी | विनियामक पूंजी के एक घटक को टियर I पूंजी कहते हैं। उसमें मुख्यतः शेयर पूंजी तथा प्रकट आरक्षित निधि (साख (गुडविल) यदि हो को घटाकर) शामिल होती है। टियर I की मदें उच्चतम गुणवत्ता की समझी जाती हैं क्योंकि वे हानियों के समर्थन के लिए पूर्णतः उपलब्ध होती हैं। बासल II में परिभाषित पूंजी की अन्य श्रेणियां हैं (टियर II अथवा अनुपूरक) पूंजी तथा टियर III (अथवा अतिरिक्त अनुपूरक) पूंजी। |
| टियर टू (अथवा टियर II) पूंजी | यह विनियामक पूंजी का एक घटक है। इसे अनुपूरक पूंजी भी कहा जाता है और इसमें कुछ आरक्षित निधियां तथा गौण ऋण के कुछ प्रकार शामिल होते हैं। बैंक की गतिविधियों से होने वाली हानियों को आत्मसात करने में जहां तक टियर II मदों का प्रयोग किया जा सकता है उस हद तक वे विनियामक पूंजी होती हैं। टियर II पूंजी की हानि आत्मसात करने की क्षमता टियर I पूंजी से कम होती है। |
| खरीद-बिक्री (ट्रेडिंग) बही | दीर्घावधि निवेश के लिए रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के विपरीत अल्पावधि खरीद-बिक्री के प्रयोजन के लिए धारित वित्तीय लिखतों की बही को खरीद-बिक्री बही अथवा संविभाग कहा जाता है। खरीद-बिक्री बही का संबंध उन आस्तियों से है, जिन्हें मुख्यतः कीमतों /प्रतिफलों में अल्पावधि अंतरों पर लाभ कमाने के लिए धारित किया जाता है। खरीद-बिक्री बही में बैंकों के लिए कीमत जोखिम मुख्य चिन्ता है। |
| हामीदारी | सामान्यतः, हामीदारी देने का अर्थ है कुछ शुल्क के बदले में जोखिम का दायित्व लेना। उसके दो सबसे सामान्य संदर्भ हैं : क) प्रतिभूतियां : कोई व्यापारी अथवा निवेश बैंक, जारीकर्ता से प्रतिभूतियों का नया निर्गम खरीदने और निवेशकों को इन प्रतिभूतियों को वितरित करने के लिए तैयार होता है। हामीदार एक व्यक्ति अथवा किसी हामीदारी समूह का एक भाग हो सकता है। अतः जारीकर्ता के पास अनबिकी प्रतिभूतियां रहने का |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>कोई जोखिम नहीं रहता है।</p> <p>ख) बीमा : कोई व्यक्ति अथवा कंपनी प्रीमियम कहे जानेवाले शुल्क के लिए आग, चोरी, मृत्यु, असमर्थता आदि के जोखिम के समक्ष वित्तीय मुआवजा देने के लिए सहमत हो जाती है।</p> |
| अप्रकट आरक्षित निधियां | <p>ये आरक्षित निधियां अनेक बार अनपेक्षित हानियों के समक्ष राहत का काम करती हैं लेकिन वे अपेक्षाकृत कम स्थायी स्वरूप की होती हैं और उन्हें 'स्थायी पूंजी' नहीं समझा जा सकता है। बैंक की बहियों में अधोमूल्यित आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां निर्मित होती हैं, विशेषतः बैंक परिसर तथा बाज़ार में बिक्री योग्य प्रतिभूतियां । पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों पर अनपेक्षित हानियों की राहत के रूप में किस सीमा तक निर्भर किया जा सकता है वह संबंधित आस्तियों के बाजार मूल्यों के अनुमानों की निश्चितता के स्तर, कठिन बाज़ार परिस्थितियों अथवा जबरन बिक्री के अंतर्गत उनमें बाद में आनेवाली गिरावट, उन मूल्यों पर वास्तविक बिक्री करने की संभाव्यता, पुनर्मूल्यांकन के कर परिणाम आदि पर मुख्यतः निर्भर होती है।</p> |
| जोखिम मूल्य (वीएआर) | <p>यह बाज़र जोखिम के प्रति एक्सपोज़र के अभिकलन तथा नियंत्रण की पद्धति है। वीएआर एकल अंक (मुद्रा की राशि) है जो निर्धारित समयावधि (धारण अवधि) के दौरान तथा निर्धारित आत्म विश्वास के स्तर पर किसी संविभाग की अधिकतम अपेक्षित हानि का अनुमान लगाता है।</p> |
| जोखिम पूंजी निधि | <p>ऐसे नये कारोबारों में निवेश करने के प्रयोजन वाली निधि, जिनकी संवृद्धि की उत्तम संभावनाएं हैं लेकिन जिनकी पूंजी बाज़ारों में पहुंच नहीं है।</p> |
| वर्टिकल डिसअलाउन्स | <p>बाज़ार जोखिम के लिए आवश्यक विनियामक पूंजी निर्धारित करने के लिए बीआइएस पद्धति में अलग-अलग ऋण जोखिम वाली प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल वक्र में एक ही टाइम बैंड में दो या अधिक प्रतिभूतियों में शॉर्ट पोजिशन द्वारा किसी लांग पोजिशन के सामान्य जोखिम प्रभार को प्रतिसंतुलित किये जाने की अस्वीकृति को वर्टिकल डिसअलाउन्स कहा जाता है।</p> |